डब्लू.डी.आर.ए.

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

किसानों की समृद्धि -हमारी प्राथमिकता

सुरक्षित एवं निरापद भंडारण तथा प्रतिभूत वित्तपोषण हेतु अपने उत्पाद को डब्लूडीआरए द्वारा पंजीकृत भांडागारों में जमा करवाएं

- माल की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं एवं सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सुरक्षित भांडागार
- भांडागारों द्वारा सभी जोखिमों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु भंडारित सामग्री का अनिवार्य बीमा
- पंजीकृत भांडागारों द्वारा जालसाजी, छेड़छाड़ अथवा विकृति से मुक्त इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (इएनडब्लूआर) जारी करने की सुविधा
- किसानों/जमाकर्ताओं द्वारा नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद का प्रयोग करके बैंकों से प्रतिभूत वित्तपोषण की सुविधा।
- कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण पर किसानों के लिए निःशुल्क जागरूकता कार्यक्रम
- जमाकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण/विवाद समाधान

डब्लू.डी.आर.ए.

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
	सिंहावलोकन	
1.1	प्राधिकरण की स्थापना और निगमन	1
1.2	प्राधिकरण का गठन	1
1.3	संगठन	1
1.4	लक्ष्य दूरदृष्टि और उद्देश्य	1
1.5	परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता	2
1.6	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	2
1.7	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	3
1.8	परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभः	3
1.9	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (ई–एन.डब्लू.आर.)	3
1.10	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ	4
1.11	इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली के लाभ	4
1.12	प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	4
1.13	प्राधिकरण की बैठक	5
1.14	भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी) की बैठक	5
1.15	प्राधिकरण की वैबसाइट	5
1.16	विज्ञापन एवं प्रचार	5
1.17	जागरूकता प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम	6
1.18	विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा।	6
1.19	स्थापना दिवस संगोष्ठी	6
1.20	भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी	6

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.

कृषि विपणन एवं भांडागारण सें संबंधित नीति तथा कार्यकमों की समीक्षा

2.1	भूमिका	7
2.2	खाद्यान्नों का उत्पादन	7
2.3	अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन	8
2.4	कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	8
2.5	केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	10
2.6	गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद	11
2.7	दालों तथा तिलहनों की खरीद	11
2.7.1	मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)	11
2.7.2	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)	12
2.7.3	निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस.)	13
2.8	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	13
2.9	भंडारण क्षमता में वृद्धि	14
2.9.1	कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.)	14
2.9.2	निजी उद्यमी गारंटी योजना	15
2.9.3	साइलो का निर्माण	15
2.9.4	केन्द्रीय सैक्टर (पूर्व योजना) स्कीम	15
2.10	सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता	16
2.11	राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम)	16
2.12	मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	17
2.13	फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना	18
2.14	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश	18
2.15	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वस्तुऐं	19

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा

3.1	प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल	24
3.1.1	भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन तथा अन्य अपडेट	25
3.1.2	आवेदन शुल्क आवश्यकताए	27
3.1.3	पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता	28
3.1.4	पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण	29
3.1.5.	वर्तमान प्रतिभूति जमा	29
3.1.6	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	31
3.1.7	छोटे भांडागारों के लिए छूट	32
3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	32
3.2.1	आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	33
3.2.2	भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में अन्य प्रावधान	33
3.3	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के संबंध में अधिसूचना	34
3.4.	भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ	34
3.5	पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर. जारी किया जाना	35
3.6	भांडागारों का पंजीकरण	35
3.7	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति	37
3.8	भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण	37
3.9	भारतीय खाद्य निगम के भांडागारों का प्रमाणीकरण	38
3.10	भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग।	38
3.11	निरीक्षण एजेंसियों के इमपैनलमेंट तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश	38

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
3.12	निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना	39
3.13	निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान	40
3.14	वर्ष 2022–23 में निरीक्षण अधिकारियों एवं जोड़े गए नए निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण	40
3.15	भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण	41
3.16	डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण।	41
3.17	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण	42
3.18	भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम।	43
3.18.1	भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा एनडब्लूआर/इ–एनडब्लूआर प्रणाली के लाभ।	43
3.18.2	भांडागारपालों/भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण।	45
3.18.3	परखकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	46
3.19	आउटरीच कार्यक्रम, सेमिनार तथा एम.ओ.यू. का निष्पादन	46
3.19.1	आउटरीच कार्यक्रम	46
3.19.2	कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों का निष्पादन	51

गिरवी वित्तपोषण

4.1	परिचय	52
4.2	ब्याज सहायता योजना	52
4.3	रिपोजिटरी प्रणाली पर गिरवी प्रक्रिया	52
4.4	बोर्डिड बैंक	52
4.5	गिरवी वितपोषण को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम	53
4.6	बैंको के साथ बैठक	57
4.7	बैंको के साथ समझौता ज्ञापन	57
4.8	गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई पहल	57
4.9	गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा की गई पहल	58
4.10	गिरवी वित्तपोषण में वृद्वि	58

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

5.1	परिचय	61
5.2	रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ	61
5.3	रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ	61
5.3.1	गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण	62
5.3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना	62
5.3.3	रिपोजिटरिज को लाइसेंस देना तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।	63
5.3.4	प्राधिकरण का आई टी इकोसिस्टम	65
5.3.5	2020–21 के दौरान आईटी प्लेटफॉर्म का विकास	65
5.3.6	डब्लू.डी.आर.ए. मे जोखिम प्रबंधन तथा बी.सी.पी./डी.आर.	65
5.3.7	डब्लू.डी.आर.ए ने व्यवसाय निरंतरता योजना/डिजास्टर रिकवरी (बी.सी.पी/डी.आर) क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित की हैः–	65

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

6.1	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	66
6.2	प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	66
6.3	प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन	66
6.4	राजभाषा क्रियान्वयन	67
6.5	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन	67
6.6	प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण	70
6.7	वर्ष 2022–23 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे	70
6.8	डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग	70

अनुलग्नक–I वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए डब्लू.डी.आर.ए. लेखों का वार्षिक विवरण 71

अनुलग्नक–II भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट 108

अनुलग्नक–III 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग रिपोर्ट पर भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ 114

अध्यक्ष का वकतव्य

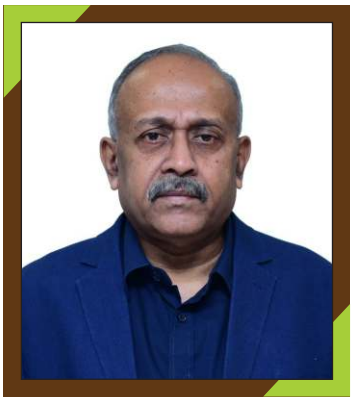

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए अग्रसारित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भांडागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियाँ नियम, 2010 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को अग्रसारित करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ शामिल हैं। रिपोर्ट में समीक्षाधीन वर्ष में प्राधिकरण द्वारा चलाई गई गतिविधियों तथा विभिन्न मुद्दों पर की गई पहलों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में डब्ल्यू.डी.आर.ए ने अपनी प्रमुख गतिविधियों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई–एन.डब्ल्यू.आर) के विरूद्ध वित्तपोषण, भांडागार पंजीकरण, किसान जागरूकता कार्यक्रम, समझौता ज्ञापन तथा गोष्ठियों आदि के आयोजन के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक कार्य निष्पादित किया है। 128.46 लाख मी.टन क्षमता के 1522 भांडागार पंजीकृत किए गए। ई–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण बढ कर 2442 करोड़ रूपए हो गया है। डब्ल्यू.डी.आर.ए ने क्षमता निर्माण के लिए 17 भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ई–एन.डब्ल्यू.आर के संबंध में किसानों तथा जमाकर्ताओं के मध्य जानकारी प्रदान करने हेतु 258 किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

रिपोर्ट वर्ष में डब्ल्यू.डी.आर.ए ने भांडागारण क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी की रणनीति अपनाई। डब्ल्यू.डी.आर.ए ने किसानों तथा भांडागारपालों के क्षमता–कौशल निर्माण के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रमों में सुधार हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ई–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने ई–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध किसानों को प्रसंस्करण शुल्क तथा किसी अतिरिक्त संपाश्र्विक (कलैटरल) आवश्यकताओं के बिना ऋण देने के लिए एक विशेष ऋण प्रोडेक्ट भी आरम्भ किया है। देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कुछ ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। डब्ल्यू.डी.आर.ए ने देश में फैले अपने हितधारकों के लिए ''ई–एन.डब्ल्यू.आर. – वित्तपोषण को बढ़ावा देने का एक प्रभावकारी साधन'' विषय पर नई दिल्ली में एक सेमिनार भी आयोजित किया। अधिकाधिक ई–एन.डब्ल्यू.आर जारी करने वाले भांडागार सेवा प्रदाताओं तथा ई–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध अधिक गिरवी वित्तपोषण प्रदान करने वाले बैंको को पुरस्कार प्रदान किए गए। नाबार्ड के सहयोग से प्राथमिकता सैक्टर ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों तथा विभिन्न बैंको के एम.एस.एम.ई प्रभागों के प्रमुखों के साथ जनवरी, 2023 में मुम्बई में ई–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध डिजिटल वित्तपोषण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस रिर्पोट में वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षित विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राधिकरण की विभिन्न पहलों के फलस्वरूप आने वाले समय में डब्ल्यू.डी.आर.ए अपने सभी हितधारकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहेगा।

टी.के.मनोज कुमार
(अध्यक्ष)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.11.2023

अध्याय –1

सिंहावलोकन

1.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन अधिनियम, 2007) (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम को क्रियान्वित करने तथा इसके तहत दिए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए 26 अक्तूबर, 2010 को की गई थी।

प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में, इसका किसी अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

1.2 प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा गठित है। अधिनियम में प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

वर्ष 2022–23 में अध्यक्ष और सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

नाम	कार्य–अवधि
श्री टी.के. मनोज कुमार, अध्यक्ष	22.11.2021से
श्री हरप्रीत सिंह, सदस्य	21.02.2020 से 23.11.2022 तक सदस्य (10.06.2021 से 21.11.2021 तक अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार)
श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य	23.03.2022 से
श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य	14.12.2022 से

1.3 संगठन

प्राधिकरण में 31 मार्च, 2023 को स्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या रिपोर्ट के अध्याय–V में दी गई है।

1.4 लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना है। प्राधिकरण परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के एक प्रमुख साधन के रूप में विकसित कर रसीद के विरूद्ध ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुविधाजनक बनाने सहित बैंको को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने एवं पंजीकृत भांडागारों में जमा की गई वस्तुओ के विरूद्ध ऋण देने में उनकी रूचि में वृद्धि करना है। इससे वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, ग्रामीण क्षेत्रों में लिक्विडिटी में वृद्धि, आपूर्ति श्रंखलाओं को बेहतर बनाने, माल की ग्रेड़िग तथा गुणवत्ता में सुधार तथा जमाकर्ताओं के लिए उच्च प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

25 अक्तूबर,2010 को अधिनियम के लागू होने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू हुई। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लू. डी.आर.ए) की स्थापना करना;
(ii) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू करना;
(iii) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए भांडागारों का पंजीकरण एवं विनियमन करना;
(iv) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार और वैधानिक समर्थन प्रदान करना
(v) भांडागार रसीद की परक्राम्यता में आने वाली बाधाओं को दूर करना और जमाकर्ताओं तथा बैकों का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना;
(vi) भांडागारपालों द्वारा कुप्रबन्धन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियेपन को रोकना
(vii) परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने सहित इसके विरूद्ध बैंको द्वारा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार तथा पंजीकृत भांडागार में जमा की गई वस्तुओं के विरूद्ध ऋण देने में उनकी रूचि में वृद्धि करना है।

1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो भांडागारण के कारोबार मे संलग्न है तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहता है, उसे प्राधिकरण से अपना भांडागार पंजीकृत कराना होगा। ऐसे भांडागार जिन द्वारा परक्राम्य रसीद जारी करना प्रस्तावित नही है, उन्हें भांडागार पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए भांडागारों को प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

अधिनियम की धारा 35 में प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों का प्रावधान है। प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विनियमन और क्रियान्वयन एवं भांडागारण व्यवसाय के सुचारू विकास के लिए अधिकृत है। प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं:–

I) भांडागारपालो के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना

II) भांडागारपालों के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना।

(iii) भांडागारपालों तथा भांडागारण व्यवसाय में संलग्न कर्मचारियों के लिए अर्हताएँ, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना।

(iv) भांडागार में जमा माल को गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उसके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना

(v) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता एजेंसियों के अनुमोदन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य दर अवधारित करना और उनका उदग्रहण

(vii) भाण्डागारों, प्रत्यायन एजेंसियों और भांडागारण के कारोबार से संबंद्ध अन्य संगठनों से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी शामिल है

(viii) दरों, लाभों, निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करना जो भांडागारण कारोबार के संबंध में भांडागारपालों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएं;

(ix) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत लेखाबहियाँ रखी जाएंगी और भांडागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे;

(x) मध्यस्थों का पैनल रखना और भांडागारों और भांडागार रसीदधारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

(xi) भांडागारों में जमा प्रतिमोच्य (फंजीबल) वस्तुओं के रख–रखाव एवं हस्तांतरण के क्रेडिट शेष के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रणाली विनियमित एवं विकसित करना।

1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 अधिनियमित होने से पूर्व भांडागारो द्वारा जारी भांडागार रसीदों के लिए जमाकर्ताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था। भांडागारपाल द्वारा छल–कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालिएपन की स्थिति में ऋण की वसूली न होने का भय बना रहता था। उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त थे तथा उनमें समय लगता था। इसके अतिरिक्त परक्राम्य भांडागार रसीद का प्रारूप भी एक समान नहीं था। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में अड़चनें होने के कारण किसानों तथा सामान के जमाकर्ताओं के सामने काफी कठिनाइयाँ थीं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कृषि वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए एक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया गया।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभः–

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि;

(ii) वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, जिसके फलस्वरूप फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों में कमी

(iii) वित्तपोषण की लागत में कमी;

(iv) लघु तथा अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रंखलाएँ;

(v) मानक अनुभाग, श्रेणीकरण और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल;

(vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन;

(vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता वाला सामान)।

1.9 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (ई–एन.डब्लू.आर.)

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (रेपोजिटरी सहित जो भी नाम दिया गया हो) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नहीं है, लिखित में अथवा इलक्ट्रोनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भांडागारण परामर्शदायी समिति (वेअरहाउसिंग एडवाइजरी कमेटी) की सलाह से प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में 29 जून, 2017 को डब्लू.डी.आर.ए. (इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद) विनियम, 2017 जारी किए गए। इस विनियमों के अन्तर्गत जमा माल के विरूद्ध रेपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद जारी की जाती हैं।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। परक्राम्य इलेक्ट्रोनिक रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा पंजीकृत भांण्डागारों द्वारा जारी की जाती हैं। प्राधिकरण द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि 1 अगस्त, 2019 से सभी पंजीकृत भांडागार केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेंगे।

1.10 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिषटताएँ;

(I) ई–एन.डब्लू.आर. केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

(ii) ई–एन.डब्लू.आर. का एकमात्र स्रोत रेपोजिटरी प्रणाली है जहाँ से पंजीकृत भांडाागार द्वारा ई–एन. डब्लू.आर. जारी की जाती है।

(iii) रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इ–एन.डब्लू.आर. में उपलब्ध सूचना रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) ई–एन.डब्लू.आर. की वैधता की एक समय सीमा है।

(v) सभी ई–एन.डब्लू.आर. का ऑफ मार्केट अथवा कमोडिटी एक्सचेज प्लेटफामों पर ऑन–मार्केट व्यापार किया जा सकता है।

(vi) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे ऋण न चुकाना, समाप्ति, डिलीवरी न लेना तथा भांडागार में माल में क्षति तथा उसके खराब होने की स्थिति में ई–एन.डब्लू.आर. की नीलामी की जा सकती है।

(vii) ई–एन.डब्लू.आर. को सम्पूर्ण अथवा भाग में हस्तांरित किया जा सकता है।

1.11 ई–एन.डब्लू.आर. प्रणाली के लाभ।

(I) भांडागार रसीद में धोखाधड़ी/खोने/छेड़छाड से बचाव।

(ii) एक समान भांडागार रसीद के विरूद्ध एक से अधिक वित्तपोषण से बचाव।

(iii) मॉनीटरिंग लागत में कमी तथा बाजार भागीदारों में विश्वसनीयता बढ़ना।

(iv) बाजार भागीदारों तक सुगम पहुँच, जिसके फलस्वरूप वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी भांडागार रसीद को देख सकते हैं एवं तदनुसार प्रबंधन कर सकते हैं।

(v) सामान के भौतिक रूप में संचलन के बिना अधिक संख्या में हस्तांतरण, जिससे वित्तपोषण हेतु सुगम पहुँच।

(vi) अंशतः बिक्री/गिरवी/वापसी के लिए परक्राम्य रसीद के विखंडन की सुविधा।

1.12 प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन तथा खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) के सहयोग से एक रूपान्तरण योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत

अन्य के साथ–साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाने वाली ई–एन डब्लू आर के सृजन तथा प्रबंधन के लिए लाइसेंसप्राप्त रिपोजिटरी के माध्ययम से एक ई–एन डब्लू आर प्रणाली की स्थापना पर विचार किया गया। रूपान्तरण की योजना का विवरण रिपोर्ट के अध्याय iv में दिया गया है।

1.13 प्राधिकरण की बैठक।

रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की 30 जून, 2022, 12 जुलाई, 2022, 12 अक्तूबर, 2022, 1 दिसम्बर, 2022 तथा 16 मार्च, 2023 को बैठकें हुई, जिनमें प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, रेपोजिटरी, आई.टी. क्रियान्वयन, वित्त तथा मानव संसाधन संबंधी कार्यसूची पर विचार किया गया।

1.14 भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी) की बैठक

वर्ष 2022–23 के दौरान भांडागारण परामर्शदात्री समिति की 13 जून, 2022, 7 सितम्बर, 2022 तथा 30 जनवरी, 2023 को प्रतिभूति जमा, भांडागारपालों द्वारा प्रस्तुत बीमा, निरीक्षण एजेंसियों तथा डब्ल्यू.डी.आर.ए. में सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की गई।

1.15 प्राधिकरण की वेबसाइट

प्राधिकरण के गठन, कार्यों तथा गतिविधियों संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वेबसाइट http://www.wdra.gov.in पर उपलब्ध हैं। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दिशानिर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएँ भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों को भी वेबसाइट पर देखा जा सकता है तथा इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट हिंदी में भी विकसित की है।

1.16 विज्ञापन एवं प्रचार।

किसानों तथा अन्य हितधारको में वैज्ञानिक भंडारण तथा परक्रम्य भांडागार रसीद इलेक्ट्रॉनिक परक्रम्य भंडागार रसीदों के लाभों के संबंध में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डब्लू.डी.आर.ए.की वेबसाइट पर https://wdra.gov.in/web@wdra@video-spot लिंक देते हुए दो वीडियो अपलोड किए गए। डब्लू.डी.आर.ए.ने वर्ष 2022–23 में दूरदर्शन (डीडी) नेशनल, डीडी न्यूज तथा किसान चैनलों पर स्पोट विडियो भी टेलीकास्ट किए।

1) आज़ादी का अमृत महोत्सव–भांडागारण पंजीकरण का महत्व तथा इएनडब्लूआर के लाभ
2) सुरक्षित भंडारण–समृद्ध किसान

विडियो/फिल्म यू ट्यूब पर भी उपलब्ध हैं प्राधिकरण समय–समय चलाई गई अपनी गतिविधियो के बारे में सोशल मीडिया जैसे टिव्टर आदि का भी प्रयोग कर रहा है।

डब्ल्यू.डी.आर.ए ने वर्ष 2022–23 में दूरदर्शन (डी.डी) नेशनल, डी.डी. न्यूज तथा डी.डी. किसान चैनलों पर स्पोट विडियो भी टेलीकास्ट किए।

1.17 जागरूकता प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम

प्राधिकरण प्रशिक्षण, जागरूकता तथा आउटरीच के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी), भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकर्स, व्यापारी, कमोडिटी एक्सचेंज, राज्य सरकारों के विभागों आदि के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान प्राधिकारण ने पंजीकृत भांडागारों के नामित व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की परख पर प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया है ताकि योग्यता प्राप्त परखकर्ताओं का एक समूह तैयार होने सहित भांडागारों में परख प्रक्रिया/पद्धति में सुधार हो तथा यह इ–एन.डब्ल्यू.आर से जुड़े विभिन्न हितधारकों को भी स्वीकार्य हो। वर्ष 2022–23 में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का विवरण अध्याय– ।।। में दिया गया है।

1.18 विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा

वर्ष 2022–23 में डब्ल्यू.डी.आर द्वारा क्रियान्वित की जा रही भांडागार रसीद प्रणाली को समझनें के लिए दो विदेशी शिष्टमंडलों ने डब्ल्यू.डी.आर.ए का दौरा किया। पहला शिष्टमंडल केन्या तथा इथोपिया से था जिसने 17.05.2022 को डब्ल्यू.डी.आर.ए कार्यालय का दौरा किया एक अन्य शिष्टमंडल आइवरी कोस्ट. सेनेगल (पश्चिम अफ्रीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित निगम (आई.एफ.सी) से था जिसने 06.03.2023 का डब्ल्यू.डी.आर ए. कार्यालय का दौरा किया।

1.19 स्थापना दिवस संगोष्ठी।

डब्ल्यू.डी.आर.ए के स्थापना दिवस आयोजनों के एक भाग के रूप में ''इ–एन.डब्ल्यू.आर– गिरवी वित्तपोषण की संवृद्धि का प्रभावकारी साधन'' पर 31.10.2022 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का उद्घाटन तत्कालीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, भारत सरकार श्री सुधांशु पाण्डेय ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली स्थित जैकरांडा हॉल में किया। संगोष्ठी में डब्ल्यू.डी.आर.ए के अध्यक्ष, सदस्यगण, संयुक्त सचिव, निदेशक तथा अन्य अधिकारियों सहित संघ सरकार, विनियामक निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सार्वजनिक तथा निजी बैंकों, भंडारण निगमों, रिपोजिटरीज, कमोडिटी एक्सचेंजों', कमोडिटी बोर्डों, उद्योग चैम्बरों के प्रतिनिधियों, भांडागारण प्रशिक्षण भागीदारों, निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

1.20 भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी

14 नवम्बर, 2022 से 27 नवम्बर, 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस वर्ष आई.आई.टी.एफ का विषय आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सुझाये गये ''लोकल फोर वोकल तथा लोकल से ग्लोबल'' था। आई.आई.टी.एफ द्वारा डब्ल्यू.डी.आर.ए को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने तथा किसानों के लाभ के लिए चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी पहुँचानें का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया। प्रदर्शनी के दौरान सरकारी विभागों तथा एजेंसियों का निजी व्यापारियों, क्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के साथ सकारात्मक आदान–प्रदान हुआ।

अध्याय – II

कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

2.1 भूमिका

देश में कृषि–जलवायु की भारी विभिन्नताओं के कारण भारत के किसान भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि उत्पादन तकनीकों में परिर्वतन, परिवहन–साधनों में सुधार तथा भंडारण की सुविधाएँ एवं विपणन ढ़ांचे में बेहतरी के कारण कृषि अब एक वाणिज्यिक गतिविधि में परिवर्तित हो गई है। तथापि इस प्रकार के परिवर्तनों से इस क्षेत्र में काफी बिचौलिए भी आ गए हैं जिसके फलस्वरूप प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं जबकि अन्य वस्तुओं की लागत साल–दर–साल बढ़ती रही है। किसान यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ उनके उत्पादों के लिए अच्छा बाजार होना भी आवश्यक है।

कृषि उत्पाद के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली से उम्मीद की जाती है:

i. प्राथमिक उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की व्यवस्था हो;
ii. किसानों के उत्पाद का रख–रखाव तथा परिवहन सही लागत पर हो।
iii. उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य में प्राथमिक उत्पादकों का हिस्सा भी बढे।
iv. गुणवत्ता में समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हों।

कृषि विपणन, फसल कटाई के बाद शुरू होने वाली कोई अलग गतिविधि नहीं है। यह बेचने–योग्य कृषि उत्पाद के उगाने से शुरू हो जाती है तथा इसमें विपणन प्रणाली के सभी पहलू जैसे फसल एकत्रित करना, श्रेणीकरण, संग्रह, परिवहन तथा वितरण शामिल हैं। सम्पूर्ण विपणन श्रंखला में भांडागारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में ऊपर वर्णित सभी पहलूओं पर ध्यान दिया जाता रहा है।

2.2 खाद्यान्नों का उत्पादन

उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के कारण स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में खाद्यानों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:–

तालिका 2.1

वर्ष	खाद्यानों का उत्पादन मिलियन मी.टन
1951–52	50.82
1961–62	82.71
1971–72	105.17
1981–82	133.30
1991–92	168.38
2001–02	212.85
2011–12	259.29

2015–16	251.54
2016–17	275.11
2017–18	285.01
2018–19	285.21
2019–20	297.50
2020–21	**310.74**
2021–22	**315.62**
2022–23*	**323.58**

*14.02.2.23 को दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

तलिका 2.2 मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

फसल/समूह	उत्पादन (मिलियन टन में)		
	2020–21	2021–22	2022–23
चावल	124.37	129.47	130.84*
गेहूँ	109.59	107.74	112.18*
न्यूट्री/मोटे अनाज	51.32	51.10	52.72*
दालें	25.46	27.30	27.81
कुल	**310.74**	**315.62**	**323.55***

*14.02.2023 को दूसरे अग्रिमों अनुमानों के अनुसार

2.3 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन

वर्ष 2021–22 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन 31.12 मिलियन गाँठे (प्रत्येक गाँठ का वजन 170 कि.ग्रा) तथा गन्ने का उत्पादन 439.43 मिलियन टन था। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022–23 में कपास तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 32.72 मिलियन गांठे तथा 468.79 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2021–22 के लिए तिलहनों का उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल है, 37.96 मिलियन टन था। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022–23 में तिलहनों का उत्पादन 40.00 मिलियन टन रहेगा।

(स्रोतः 14.02.2023 को आर्थिक एवं सांख्याकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

2.4 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्य संबधित कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त तोरिया तथा भूसी रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमशः तोरीबीज, सरसों तथा खोपरा के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एम एस पी निर्धारित करते समय सी.ए.सी.पी अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे, उत्पादन–लागत, मांग–आपूर्ति, की सर्म्पूण स्थिति, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, अन्तर–फसल मूल्य, कृषि तथा कृषि से इतर क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्ते शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सहित, भूमि, पानी तथा अन्य उत्पादन स्रोतों का युक्तिसंगत उपयोग एवं एम.एस.पी. के मामले में उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत मार्जिन को ध्यान में रखता है।

विपणन मौसम 2023–24 के लिए एम.एस.पी में उत्पादन की अखिल भारत औसत लागत के कम से कम डेढ़ गुणा रखने के पूर्व निर्धरित सिंद्धान्त के अनुसार वृद्धि की गई है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। किसानों के लिए उत्पादन का प्रत्याशित मार्जिन बाजरे केलिए उच्चतम (82%) तथा तूर के लिए (58%), सोयाबीन के लिए (52%) तथा उड़द के लिए (51%) रहने का अनुमान है। शेष फसलों हेतु किसानों के लिए लागत प्रत्याशित मार्जिन उत्पादन लागत का कम से कम 50: रहने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में सरकार अनाज के सिवाय अन्य फसलों जैसे दालें, तिलहन, तथा पोषक–अनाज/श्री अन्न के लिए उच्च एम.एस. पी प्रदान करते हुए इन फसलों का बढ़ावा देती आ रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों द्वारा उनके उत्पादों में विविधता लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी योजनाएँ तथा पहल आरम्भ की हैं।

वर्ष 2022–23 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.5 मिलियन टन रहने की उम्मीद है जो गत वर्ष 2021–22 की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। पिछले 5 वर्षों में यह सबसे अधिक वृद्धि है।

तालिका 2.3 *न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष) (प्रति क्विंटल)*

क्र. स.	**वस्तु**	**प्रजाति**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2023–24 की तुलना में 2022–23 में एम.एस. पी. वृद्धि**
	खरीफ फसले							
1	धान	साधारण	1815	1868	1940	2040	2183	143(7.0)
		ग्रेड 'ए'	1835	1888	1960	2060	2203	143(6.9)
2	ज्वार	हाईब्रिड	2550	2620	2738	2970	3180	210(7.1)
		मलडंडी	2570	2640	2758	2990	3225	235(7.9)
3	बजरा		2000	2150	2250	2350	2500	150(6.4)
4	रागी		3150	3295	3377	3578	3846	268(7.5)
5	मक्का		1760	1850	1870	1962	2090	128(6.5)
6	अरहर (तूर)		5800	6000	6300	6600	7000	400(6.1)
7	मूंग		7050	7196	7275	7755	8558	803(10.4)
8	उड़द		5700	6000	6300	6600	6950	350(5.3)
9	कपास	मीडियम स्टेपल	5255	5515	5726	6080	6620	540 (8.9)
		लोंग स्टेपल	5550	5825	6025	6380	7020	640(10.0)
10	मूंगफली		5090	5275	5550	5850	6377	527(9.0)
11	सूरजमुखी सीड		5650	5885	6015	6400	6760	360(5.6)
12	सोयाबीन (पीला)		3710	3880	3950	4300	4600	300(7.0)
13	तिल		6485	6855	7307	7830	8635	805(10.3)
14	नाइजर सीड		5940	6695	6930	7287	7734	447(6.1)
	रबी फसलें							
15	गेंहूँ		1925	1975	2015	2125		
16	जौ		1525	1600	1635	1735		

17	चना		4875	5100	5230	5335		
18	मसूर (लेनटिल)		4800	5100	5500	6000		
19	रैपसीड और सरसों		4425	4650	5050	5450		
20	कुसुम		5215	5327	5441	5650		
21	तोरिया		4425	4650	5050	5450		
	अन्य फसलें							
22	खोपरा (कैलेण्डर वर्ष)	मीलिंग	9521	9960	10335	10590	10860	270(2.5)
		बाल	9920	10300	10600	11000	11750	750(6.8)
23	डी– हस्क नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		2571	2700	2800	2860	2930	70(2.5)
24	पटसन		3950	4225	4500	4750	5050	300(6.3)

#कोष्टक में दिए गए आंकडे प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोतः पीआईबी, दिल्ली द्वारा 07 जून, 2023 को पोस्ट की गई आर्थिक कार्य मंत्रीमंडल समिति की रिपोर्ट

2.5 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद।

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेंहूँ तथा मोटे अनाज) संबंधित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खरीफ विपणन तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू मानक) निर्धारित कर सभी केन्द्रीय तथा राज्य खरीद एजेंसियों को समय–पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान में 24 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेंहूँ तथा धान/चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने के लिए एवं पुराने स्टॉक के समापन की नीति अपनायी है ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाले किसी स्टॉक को आगे न ले जाना पड़े।

2.6 गत तीन वर्षों में गेहूँ तथा चावल की खरीद

तालिका 2.4 आंकड़े लाख मी. टन में

वस्तु/विपणन वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
गेहूँ	341.33	389.92	433.32	187.92
चावल	518.27	601.73	575.88	534.10*
कुल	**859.60**	991.66	**1009.32**	**722.02**

* 31.05.2023 तक का डेटा खरीफ विपणन मौसम 2022–23 के लिए प्रक्रियाधीन

(स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त सूचना)

2.7 दालों तथा तिलहनों की खरीद

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कुछ संशोधनों सहित पूर्व की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस) को शामिल करते हुए मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पॉयलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) नाम से कई स्कीम चला रहा था, जिन सब को मिलाकर ''प्रधान मत्री अन्नदाता एवं संरक्षण अभियान'' क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉककिस्ट स्कीम चलाई जा रही हैं। पी.एम–आशा के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किसी एक की खरीद के लिए पूरे राज्य के लिए विशेष रूप से तिलहनों के लिए पी.एस.एस तथा पी.डी.एस से कोई एक स्कीम चुनने का विकल्प है। दालें तथा खोपरा की खरीद पी.एस.एस के अधीन की जाती है। किसी एक राज्य में विपणन मौसम के लिए एक वस्तु के संबंध में केवल एक स्कीम पी.एस.एस अथवा पी. डी.पी.एस चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) को जिला प्राइवेट स्टॉकिस्ट को शामिल करते हुएचुनिंदा ए.पी.एम.सी में चलाई जा सकती है। पी.एस.एस. पी.डी.पी.एस तथा पी.पी.एस.एस का विवरण इस प्रकार है:–

2.7.1 मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)

यह योजना संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए राज्य को दालों, तिलहनों एवं खोपरा पर मंडी कर की छूट देने पर सहमत होना चाहिए तथा लॉजिस्टिक प्रबंधन सहित पटसन के बोरों, राज्य एजेसियों की कार्यशील पूंजी, पी.एस.एस परिचालनों के लिए निरंतर निधि की सृजन आदि में केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए जैसा कि इस योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। इन वस्तुओं की खरीद पूर्व–पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के अंदर तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य कम हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय एजेंसियों के मानकों के अनुसार उचित और प्राप्त गुणवत्ता आधार पर की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जानी वाली खरीद मौसम विशेष में वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार 25: से ऊपर खरीद करना चाहती है तो वह अपने व्यय एवं लागत पर स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से कर सकती है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25: से ऊपर तथा 40: तक खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार को उसे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपनी लागत पर प्रयोग करना होगा। केन्द्र सरकार ने तूर, उड़द और मसूर के लिए वर्ष 2023–24 हेतु मूल्य समर्थन स्कीम के अन्तर्गत खरीद के लिए 40: की सीमा हटा ली है।

वर्श 2021 से तथा 2022–23 में पी.एस.एस के अधीन दालों की खरीद का विवरण निचे दिया गया है

तालिका 2.5

पी.एस.एस के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, तिलहनों तथा खोपरा की खरीद का अस्थायी विवरण 2021–22 से 2022–2023 (31.03.2023को) (मात्रा मी. टन में)		
श्रेणी/वस्तु	**2021–22**	**2022–23**
चना	8,91,320.96	25,66,359,42
मसूर	18.35	–
मूंग	2,28,919.69	4,08,100.39
तूर	20,697.55	15,512.25
उड़द	2,571.20	453.00
कुल –दालें	**11,43,527.75**	**29,90,425.06**
तिलहन		
मूंगफली	1,51,651.02	7,325.57
सरसो	0.65	14,732.16
तिल का बीज	–	–
सोयाबीन	–	–
सूरजमुखी	3,885.72	3,850.79
कुल–तिलहन	**1,55,537.39**	**25,908.52**
खोपरा		
बॉल खोपरा	–	5,650.71
मीलिग खोपरा	1,024.97	39,857.34
कुल खोपरा	**1,024.97**	**45,508.05**

(स्रोतः कृषि एवं किसान कल्यान विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सूचना)

2.7.2 मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)।

यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा पूर्व–पंजीकृत किसानों को एक निश्चित अवधि में अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उचित औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) के तिलहनों के मूल्य के अन्तर को पाटने के लिए है। सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत खातों में किए जायेंगे। योजना में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। पी.डी.पी.एस के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री/मॉडल मूल्य अर्थात् न्यूनता में से एस.एस.पी का 25ः जो किसान प्राप्त करेगा (2ः प्रशासनिक लागत सहित) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार की सहायता, उत्पादन के 25ः तक दी जाएगी। यदि कोई राज्य अधिकतम 25ः से अधिक मात्रा कवर करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से निधि जुटानी होगी।

2.7.3 निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)।

तिलहनों की खरीद के लिए राज्य निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए तिलहनों की खरीद हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस प्रकार की खरीद पूर्व पंजीकृत किसानों से जिले/चुनिंदा ए.पी.एम.एस से चुनिंदा स्टॉकिस्टों को शामिल करते हुए की जाएगी। निजी स्टॉकिस्ट का पैनल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसाार किया जाएगा। निजी स्टॉकिस्ट को उस वस्तु विशेष को राज्य में पी.डी.पी.एस/पी.एस.एस के अन्तर्गत अधिसूचित खरीद अवधि में बेचने की अनुमति नहीं होगी। भंडारण एवं परिवहन तथा निपटान सहित सभी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टॉकिस्ट की होगी। इस प्रकार के निजी स्टॉकिस्ट जिले/कृषि उत्पाद प्रबंधन समितियाँ से निर्धारित उचित औसत लागत क्वालिटी मानकों के अनुसार चुनिंदा तिलहनों की 25: खरीद कर सकेगा।

2.8 भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति।

देश में केन्द्रीयकृत डैटा बेस के अभाव में संगठित क्षेत्र में भांडागारण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सेकेण्डरी डैटा के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे संगठित भांडागारों की अनुमानित वर्तमान क्षमता 201.36 मिलियन टन है।

जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है भांडागारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) राज्य भंडारण निगमों (एस.डब्लू.सी) राज्य विपणन संघों, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

तालिका 2.6

क्र.सं.	संगठन/क्षेत्र का नाम	31.03.2023 को भंडारण क्षमता (मी.टन में)
1	भारतीय खाद्य निगम (कैप तथा सी.डब्लू.सी, एस.डब्लू.सी, राज्य एजेंसियों तथा प्राइवेट से ली गई क्षमता को छोड़कर) स्रोतः https://fci.gov.in/storages.php?view=286	75
2	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) https://cewacor.nic.in/MasterStatic/CWCataGlance	10.44
3	राज्य भंडारण निगम (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतःखाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	43.91*
4	अन्य राज्य एजेंसियाँ (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतःनाबार्ड सर्वे डेटा	14.75
5	सहकारी क्षेत्र स्रोतःराष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	16.57
6	निजी क्षेत्र स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	100.94**
	कुल	201.36

* 31.03.2022 की क्षमता

'' इसमें कृषि विपनण एव निरीक्षण तथा भारतीय खाद्य निगम की पी.ई.जी.एस के अन्तर्गत सृजितकी गई क्षमता शामिल है।

2.9 भंडारण क्षमता में वृद्धि

सरप्लस क्षेत्रों में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवर्द्धक नीतियों सहित भांडागारों के निर्माण के लिए कई पहल की हैं। यहाँ कुछ पहलों का विवरण दिया गया है;

2.9.1 कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई)

भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 01. अप्रैल, 2014 से कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (एम.एम.आई) के अधीन कृषि विपणन अवसंरचना आई.एस.एम की उपयोजना के नए परिचालन दिशा–निर्देश 22.10.2018 से क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य (i) कृषि तथा अन्य सहायक उत्पाद जैसे बागबानी, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बाँस, लघु वनोत्पाद के विपणन योग्य सरप्लस के रख रखाव तथा प्रबंधन के लिए आधारभूत सुविधाएं सृजित करना आदि है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साधन हैं। (ii) निजी तथा सहकारी क्षेत्र में निवेश के लिए कृषि तथा सहायक उत्पाद के विपणन के लिए वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्द्धत्मक चैनलों का विकास (iii) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित उत्पाद तथा कृषि वस्तुओं आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना ताकि फसल कटाई के बाद होने वाली हानियाँ कम हो सकें तथा किसानों तथा अन्य को वित्तपोषण तथा बाजार– पहुँच की सुविधा प्राप्त हो सके (iv) ग्रामीण हाटों को ग्रेन कृषि बाजार का दर्जा प्राप्त होने में सहायता प्रदान करना जिससे किसान–उपभोक्ता बाजार लिंकेज बढ़ेगा (v) कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना जिससे (क) किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों को उगाने के प्रति उत्साहित होंगे (ख) गिरवी वित्त पोषण बढ़ाना ताकि इ–एन.डब्लू.आर. के व्यापार को बल मिल सके।

ए.एम.आई योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसकी सब्सिडी दर 25% से 33.33% तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभर्थियों की श्रेणी पर आधारित है। सब्सिडी पूँजी लागत मानक के अनुसार परियोजना की लागत पर दी जाती है।

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उप–योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना (ग्रामीण गोदाम योजना) के अन्तर्गत 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राज्यवार सृजित भंडारण क्षमता इस प्रकार है:–

तालिका:2.7

क्र. संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)
1	आंध्रप्रदेश	1514	6037179
2	अरूणाचल प्रदेश	2	1043
3	असम	354	1095817
4	बिहार	1154	890287
5	छत्तीसगढ़	1346	2152259
6	गोवा	1	299
7	गुजरात	12161	5447819
8	हरियाणा	2345	7265829

9	हिमाचल प्रदेश	88	30826
10	जम्मू एवं कश्मीर	15	88027
11	झारखंड	267	233944
12	कर्नाटक	4909	4203506
13	केरल	211	108063
14	मध्य प्रदेश	7233	24153981
15	महाराष्ट्र	3910	7621808
16	मेघालय	17	26012
17	मिजोरम	4	705
18	नागालैण्ड	36	26887
19	ओडिशा	706	1045299
20	पंजाब	1792	6954358
21	राजस्थान	1777	3497182
22	तमिलनाडु	1220	1458070
23	तेलंगाना	1192	5670028
24	त्रिपुरा	5	2807804
25	उत्तर प्रदेश	1236	5807804
26	उत्तराखंड	301	817812
27	पश्चिम बंगाल	2589	1666454
	कुल	46385	89109102

2.9.2 निजी उद्यमी गारंटी योजना,

सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के अन्तर्गत भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008 निजी उद्यामियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के अधीन भंडारण क्षमता का निर्धारण सम्पूर्ण खरीद/क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा पहले से विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशको को 10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देती है। निजी उद्यमी गारंटी योजना के लिए 152.26 लाख मेट्रिक टन क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 01.01.2023 तक 146.15लाख मी.टन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

2.9.3 साइलो का निर्माण

भंडारण सुविधाओं को अपग्रेड करने तथा आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने देश में पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर स्टील साइलो के निमार्ण के लिए एक कार्य योजना बनाई है। 31.05.2023 तक 14.25 लाख मी.टन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

2.9.4 केन्द्रीय सैक्टर (पूर्व योजना) स्कीम

सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों सहित कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर स्कीम क्रियान्वित कर

रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत इक्विटी के रूप में भूमि अधिग्रहण तथा भंडारण गोदामों के निर्माण तथा रेलवे साइडिंग विद्युतीकरण, वेब्रिज आदि की स्थापना जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम को सीधे फंड रिलीज किया जाता है। भंडारण क्षमता की कमी तथा कठिन भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सहित उत्तर पूर्व राज्यों की सरकारों को भी अनुदान सहायता के रूप में फंड रिलीज किया जाता है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों तथा उत्तर पूर्व राज्यों से इतर राज्यों में 1,64,175 मीं टन (1,17,680 मी. टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा 46.495 मी.टन राज्य सरकारों द्वारा) सृजित की गई। यह स्कीम 01.04.2017 से 31.03.2023 तक 6 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। 01.04.2017 से 12.02.2022 तक 98,670 मी.टन क्षमता (69,780मी. टन भा.खा.नि तथा 28,890 मी. टन राज्य सरकारों द्वारा) सृजित की गई।

2.10 सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता

ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षमता वाले सहकारिता भांडागारों की काफी संख्या है तथा इन भांडागारों में छोटे किसानों द्वारा अपने उत्पाद भंडारित कराने की अधिक संभावना के मददेनजर डब्लू.डी.आर.ए. सहकारी भांडागारों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने तथा किसानों को एन.डब्लू.आर जारी करने को बढ़ावा दे रहा है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में एन.सी.डी.सी के वित्त पोषण के माध्यम से सृजित 68015 भांडागारों में कुल 16.572 मिलियन टन क्षमता थी। इन में से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी) की सहायता से सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2022–23 में लगभग 3872 मी.टन क्षमता जोड़ी गई।

2.11 राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम)

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कृषि मंडी (एन.ए.एम) योजना अनुमोदित की थी। एन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डीजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई बिक्री करार, ई भुगतान एवं विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में मंड़ियों की पंहुच बढ़ाने के लिए 1000 नियमित मंड़ियों में वैब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–एन.ए.एम में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 209 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। इ–नैम पर 23 राज्यों 4 संघ राज्य क्षेत्रों से 1361 मंडियाँ ऑन बोर्ड है। ई–नैम स्कीम शुरू हो जाने के बाद 1.76 करोड़ किसानों, 2.46 लाख व्यापारियों, 1.10 कमीशन एजेंटों, 2822 एफ.पी.ओ ने स्वयं को ई–नैम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया है।

Figure 2.1

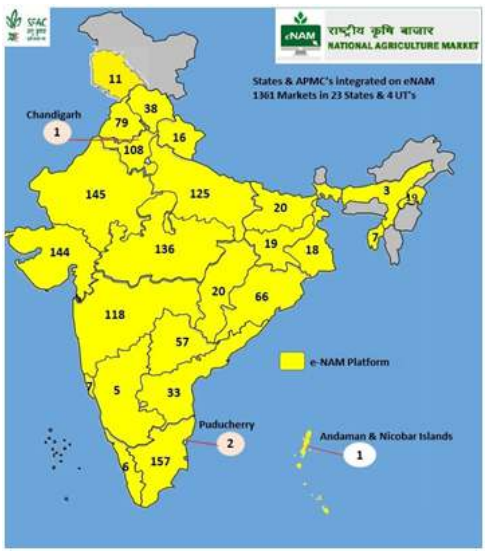

तालिका: 2.8

राज्य	नियमित बाजार
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समह	01
आंध्र प्रदेश	33
असम	03
बिहार	20
चंढ़ीगड़	01
छत्तीसगढ़	20
गोवा	07
गुजरात	144
हरियाणा	108

प्राधिकरण इ–एन.ए.एम के साथ इ.एन.डब्लू.आर प्रणाली के एकीकरण के लिए कृशि, और किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा पंजीकृत भांडागार, जिसे मार्केट सब यार्ड घोषित किया गया है, द्वारा जारी इ–एनडब्लूआर प्राप्त किसान/धारक संबंधित ई–नैम अपने स्टॉक की बिक्री कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश	38
जम्मू	11
झारखंड	19
कर्नाटका	05
केरल	06
मध्य प्रदेश	136
महाराष्ट्र	118
नागालैण्ड	19
ओडिशा	66
पुडुचेरी	02
पंजाब	79
राजस्थान	145
तमिलनाडु	157
तेलंगाना	57
त्रिपुरा	07
उत्तर प्रदेश	125
उत्तराखंड	16
पश्चिम बंगाल	18
कुल	1361

(स्रोत, ई–नैम वेबसाइट)

2.12 मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017

किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु अप्रैल, 2017 में एक नया कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, में वैकल्पिक विपणन चैनल जैसे निजी बाजार, सीधा विपणन, किसान मंडी, विशेष वस्तु बाजार का प्रावधान है ताकि किसानों को अपने उत्पाद प्रतिस्द्धर्धात्मक एवं लाभकारी मूल्यों पर बेचने की सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त कम होते जा रहे संसाधनों के भरपूर प्रयोग तथा बाजार में मूल्यों की अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ''मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन कांट्रेक्ट फार्मिग एवं सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2018 को मई, 2018 में परिचालित किया। उपर्युक्त मॉडल कांट्रेक्ट फार्मिग अधिनियम उत्पादन पूर्व से फसल कटाई से लेकर कृषि उत्पाद तथा पशुधन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट से लेकर पूरी मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

मॉडल अधिनियम का अध्याय II खण्ड 12 में भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इस प्रकार के ढांचे अथवा स्थान को मार्किट सब–यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने से डब्लू. डी.आर.ए. के पंजीकृत भांडागार इ–एन.डब्लू.आर. के अनुसार जमा सामान के प्रभावी व्यापार के लिए एक हब के रूप में कार्य करने लगेंगे। अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ने भांडागारो/साइलो/कोल्ड स्टोरेज को अपने ए.पी.एम.सी अधिनियम में डीम्ड मंडी घोषित करने का प्रावधान किया है।

2.13 फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना

भारत सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रू तक लघु अवधि फसल ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज–सहायता योजना खरीफ मौसम 2006–2007 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (केवल उनकी ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी शाखाओं द्वारा) अपने संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक दर से ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में लिए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज सहायता 1.5% निर्धारित की है।

यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंको (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारिताओं (नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति) माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त फसल ऋण पर देय तारीख अथवा उससे पहले ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है।

किसानों द्वारा अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े तथा वे उत्पाद को भांडागार में स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित हों इसके लिए वर्ष 2010–11 से एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागार स्टोर किए उत्पादों पर आगे छह महीने तक क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को उसी दर फसल ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ दिया गया है।

वर्ष 2019–20 से वर्तमान में के.सी.सी होल्डर्स किसानों को जो सहायक गतिविधियों जैसे पशु पालन तथा मछली पालन में लगे हुए है; 3 लाख रूपए तक ऋण सीमा के अन्दर आई एस एस के लाभ दिए गए है। पशु पालन तथा मछली पालन करने वाले किसान भी नए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा दो लाख रूपए के ऋण तक आई.एस.एस के लाभ सहित पी आर आई भी प्राप्त कर सकते हैं। एन डी आर एफ अनुदान के लिए अन्तर–मंत्रालयीन केन्द्रीय दल तथा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एस सी–एन ई सी) की रिपोर्ट के आधार पर भारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान भी 2% ब्याज छूट सहायता तथा 3% पी आर आई का लाभ अधिकतम 5 वर्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2018–19 से आई एस एस वस्तु रूप/सेवा आधार पर डी.बी.टी मोड पर है। किसानों के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए सुचारू कार्रवाई हेतु बैंको द्वारा प्रत्यक्ष प्रविश्टि के लिए एक आई एस पोर्टल विकसित किया गया है ताकि एक अच्छी खासी निगरानी प्रणाली अस्तित्व में आ सके।

2.14 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश।

भारत के रिजर्व बैंक के मुख्य निदेश (ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र अध्याय III- लक्ष्य एवं वर्गीकरण) 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि भांडागार रसीद के विरूद्ध कृषि उत्पाद के गिरवी/बंधक रख कर ऋण दिया जा सकता है।

क) स्वंय सहायता समूह/संयुक्त दायित्व समूह सहित अकेले किसान को कृषि उत्पाद को गिरवी/बंधक रख कर एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर के विरूद्ध (भांडागार रसीद सहित) 12 मास की अवधि के लिए 75.00 लाख रू तक ऋण दिया जा सकता है तथा एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर को छोड़कर केवल भांडागार रसीद के विरूद्ध 50.00 लाख रु. तक ऋण दिया जा सकता है

ख) व्यवसायी, किसान एफ.पी.ओ/ किसानों की कम्पनियों, भागीदारी फर्म तथा किसानों के को–आपरेशन जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों में संलगन है; कृषि उत्पाद (भांडागार रसीदों सहित) गिरवी/बंधक रखने द्वारा 12 मास की अवधि के लिए 75.00 लाख रू तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। या एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर को छोड़कर केवल भांडागार रसीद के विरूद्ध 50.00 लाख रू. तक ऋण दिया जा सकता

2.15 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वस्तुऐ

डब्ल्यू.डी.आर.ए भारत के राजपत्र के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं अधिसूचित करता है। वस्तुओं को अधिसूचित करने का कानूनी निहितार्थ यह है कि परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाता है। इससे इन वस्तुओं का इ–एन.डब्ल्यू.आर के माध्यम से व्यापार करना सरल होने सहित किसान इ–एन. डब्ल्यू.आर को गिरवी रख कर शीघ्र ऋण ले सकते हैं। इन वस्तुओं में कृषि तथा गैर–कृषि दानों प्रकार की वस्तुऐं शामिल है। एफ. एस.एस.ए.आई द्वारा निर्धारित मानक सरकारी एजेंसियों जैसे एगमार्क वी.आई.एस मौजूद होने की स्थिति में ही ऐसी वस्तुओं को अधिसूचित किया जाता है। 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यू.डी.आर.ए ने 160 कृषि वस्तुओं तथा 9 गैर–वस्तुओं को अधिसुचित किया है। अधिसूचित वस्तुओं की तालिका नीचे दी गई है।

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची

तालिका 2.9

1.	उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम)
2.	उड़द दाल (छिलका रहित)
3.	उड़द दाल (छिलका सहित)
4.	मूंग (साबुत)
5.	मूंग दाल (छिलका सहित)
6.	मूंग दाल (भूसी सहित), रहित
7.	मसूर दाल (लेंटिल)
8.	मसूर (लेंटिल) दाल (छिलका भूसी रहित)
9.	अरहर /तूर (रेड ग्राम) साबुत
10.	अरहर/तूर/(रेड ग्राम) दाल (छिलका सहित)
11.	काबुली चना
12.	चना साबुत (बंगाल ग्राम)
13.	चना दाल (छिलका सहित)/दाल चना
14.	मटकी/मोठ (साबुत)
15.	मटकी /मोठ दाल (भूसी रहित)
16.	पीली मटर (साबुत)
17.	राजमा
18.	लोबिया
19.	कच्चा मिल्ड सुपरफाइन/फाइन चावल
20.	कच्चा मिल्ड मीडियम चावल
21.	कच्चा मिल्ड सामान्य (मोटा) चावल
22.	पारबाइल्ड सुपर फाइन/फाइन चावल
23.	पारबाइल्ड सामान्य फाइन/फाइन चावल

24.	पारबाइल्ड सुपर (मोटा) चावल
25.	फाइन टूटा चावल
26.	सामान्य टूटा चावल
27.	सरसों का तेल
28.	मूंगफली का तेल
29.	तिल अथवा गिंग्लेई तेल
30.	नारियल तेल
31.	लिनसीड तेल
32.	अरण्डी तेल
33.	नाइज़र बीज तेल
34.	सुरजमुखी तेल
35.	बिनौला तेल
36.	चावल भूसी तेल
37.	सोयाबीन तेल
38.	सूरजमुखी सीड तेल
39.	मक्का (कोर्न) तेल
40.	महुआ तेल
41.	सालसीड़ तेल (वसा)
42.	तारामीरा बीज
43.	तिल बीज
44.	बिनौला
45.	सूरजमुखी बीज
46.	अलसी
47.	महुआ सीड
48.	साल सीड
49.	नाइजर सीड
50.	अखरोट
51.	कच्चा काजू
52.	मूंगफली
53.	नारियल
54.	अजवायन (साबुत तथा पाउडर)
55.	जवित्री
56.	बीज रहित तारामीरा
57.	लौंग
58.	मिश्रित मसाला पाउडर
59.	धूप में सूखाए गए आम के टुकडे तथा पाउडर
60.	मिश्रित हींग
61.	जायफल
62.	करी पाउडर
63.	केसर
64.	तेजपत्ता
65.	अफीम बीज

66.	मखाना
67.	मखाना पाउडर
68.	मखाना फ्राइड
69.	गवार बीज
70	चाय
71.	कॉफी, अरविका तथा रोबुस्टा
72.	तम्बाकू
73.	रबड़
74.	देशी चना
75.	भारतीय चीनी
76.	कच्चा कपास
77.	बिनौला आयल केक
78.	रिफाइंड ब्लिचिड तथा गंधहीन पाओलीन
79.	रिफाइंड सोया तेल
80	सोया मील
81.	गुड़ अथवा जैग्री
82.	मेंथा आयल
83.	कच्चा पामेलीन ऑयल
84.	पाश्च्यकृत मक्खन
85.	घी
86.	स्किमड मिल्क पाउडर
87.	ओटस
88.	सरसों की खली एक्सपरेड
89.	सरसों की खली सोलवेंट रहित
90.	नीम केक
91.	नीम ऑयल
92.	नीम सीड
93.	टोपियाका चिप्स
94.	टोपियाका उत्पाद पशु
95.	टेबल आलू सी.आई.पी.सी प्रयोग सहित या इसके बिना
96.	आलू बीज
97.	प्रोसेसिंग आलू सी.आई.पी प्रयोग सहित या इसके बिना
98.	सेब नियन्त्रित तापमान (सी ए) स्टोरेज
99.	गाजर
100.	नागपुर मंदारिन
101.	खासी/दार्जिलिंग अथवा एनई संतरे
102.	किन्नू
103.	स्वीट लाइम
104.	नींबू
105.	अनार
106.	अंगूर
107.	बादाम

108.	किशमिश
109.	प्याज (फ्रैश एवं हाइड्रेटिड)
110.	लहसून (फ्रैश हाइड्रेटिड)
111.	अदरक (फ्रैश एवं हाइड्रेटिड)
112.	शुष्क खाद्य मशरूम
113.	लाल मिर्च
114.	धनिया (शुष्क)
115.	दाल–चीनी
116.	हल्दी
117.	इमली
118.	खजूर
119	गेंहूँ
120	चावल
121.	धान
122.	ज्वार
123.	बाजरा
124.	जौ
125.	मक्का
126.	रागी
127.	सोयाबीन
128.	सरसों
129.	रेपसीड
130.	मूंगफली
131.	मूंगफली (पोड्ज) बोरा
132.	सूरजमुखी का तेल
133.	कपास की गाँठे
134.	बिनौला
135.	पटसन की गाँठे
136.	मिर्च
137.	इमली बीज
138.	जीरा बीज
139.	अरंडी के बीज
140.	काजू के दाने
141.	सुपारी
142.	काली मिर्च
143.	धनिया
144.	सौंफ
145.	मेंथी के बीज
146.	ग्वार गम
147.	तिल बीज
148.	कुल्थी दाल
149.	इसबगोल

150.	काला चना (आटा)
151.	काफी बीन्स
152.	साबुदाना
153.	हल्दी
154.	बॉल खोपरा
155	बॉल खोपरा
156.	कप खोपरा
157.	इलाइची
158.	जमी हुई हरी मटर
159	जमी हुई पत्ता गोभी
160.	जमी हुई पालक

गैर कृषि वस्तुओं की सूची

1	एल्यूमिनियम
2	पीतल
3	तांबा
4	सीसा
5	निकल
6	जस्ता
7	टिन
8	इस्पात
9	लौह अयस्क

अध्याय – III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा

3.1 प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल

अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन प्राधिकरण ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन की प्रक्रिया को सरल बनाने, पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उद्योग द्वारा डब्ल्यू.डी.आर.ए की विनियामक प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहल की हैं। प्राधिकरण द्वारा रूपान्तरण योजना के अधीन वर्ष 2017–18 से विभिन्न गतिविधियाँ शुरू हो गई थी लेकिन उनके परिणाम गत तीन वर्षो में अधिक देखे गए।

आरम्भ में, विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में कुशलता लाने के उद्देश्य से, भांडागार पंजीकरण नियम, 2010 को वर्ष 2017 में संशोधित कर पंजीकरण आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा पंजीकरण आवेदनों को सरल तथा उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाया गया। 1 नवम्बर 2017 से पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई ताकि इसमें कम से कम समय लगे। प्राधिकरण द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू की गई। प्राधिकरण द्वारा इ–एन.डब्लू.आर. सृजित करने सहित उनके प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी पंजीकृत किए। प्राधिकरण ने उठाए गए अन्य मुख्य कदमों में प्रतिभूति जमा संबंधित अधिसूचना जारी करना, पैनल में रखी गई एजेंसियों को भोडागार निरीक्षण आबंटन पंजीकरण प्रक्रिया का डिजीटाइजेशन, पंजीकृत भांडागारों के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली तथा पंजीकृत भांडागारों में मुख्य लेन–देन कार्यो की ऑनलाइन मॉनीटरिंग पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी ई–एन.डब्ल्यू.आर की ऑनलाइन मॉनीटरिंग एवं अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने तथा विश्वास उत्पन्न करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद को विभिन्न हितधारको जैसे कोमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेजों तथा बैंको से लिंक करना शामिल है। सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय कृषि मंडी प्लेटफार्म (ई–नैम) से ई–एनडब्लूआर प्रणाली को जोड़ा गया ताकि किसानों के उत्पादों के विपणन में और अधिक कुशलता लाई जा सके।

डब्लू.डी.आर.ए ने गैर कृषि वस्तुओं को शामिल कर अपनी भूमिका में प्रमुख रूप से विस्तार किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 9 धातुओं, मिश्र धातुओं एवं अयस्क के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात 13 सितम्बर, 2021 को एक डिस्कशन पेपर प्रकाशित किया गया। विभिन्न हितधाारकों जैसे बीआईएस, सेबी, एमसीएक्ससीसीएल, एनसीसीएल, एनईआरएल, सीसीआरएल एवं वेयरहाउसिंग संस्थाओं से परामर्श कर संबंधित एसओपी एवं निरिक्षण दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। आवश्यकताओं के आधार पर 9 गैर कृषि वस्तुओं के लिए राजपत्र अधिसूचना हेतु प्रस्ताव तथा संबंधित आवदेन शुल्क, नेटवर्थ आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दिया गया। इसके साथ–साथ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय मानको के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्धारित श्रेणियो की अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। गैर कृषि भांडागारों के पंजीकरण के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के पंजीकरण पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उचित कदम भी उठाये गये। 09 गैर कृषि वस्तुओं के पंजीकृत भांडागारों में भंडारण के लिए जुलाई, 2022 में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई।

गैर कृषि वस्तुओं को भंडारित कर रहे भांडागारों से संबंधित आवेदन शुल्क नेटवर्थ अपेक्षा के लिए अप्रैल, 2022 में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, गैर कृषि वस्तुओं के उच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए नेटवर्थ मूल्य अपेक्षओं में वृद्धि की गई तथा पूरी प्रक्रिया सरल बनाने हेतु भंडारण क्षमता पर आधारित स्लैबों की संख्या 14 से घटा कर 5 कर दी गई। गैर कृषि वस्तुओं के लिए भंडारण शुल्क के स्लैबों की संख्या भी 7 से घटा कर 03 की गई।

डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण में तीव्रता लाने के लिए कृषि वस्तुओं को भंडारित कर रहे भांडागारों हेतु आवेदन शुल्क अक्तूबर, 2022 से एक वर्ष के लिए छूट दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में गैर कृषि वस्तुओं को भण्डारित करने वाले भांडागारों पर लागू प्रावधानों के सफल क्रियांवयन में प्रमुख आवश्यकताओं एवं भूमिका को समझने के संबंध में निरीक्षण ऐजिंसियों तथा भांडागारापालों के लिए अभिन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ–साथ डब्ल्यू.डी.आर.ए में भी आंतरिक दक्षता बढ़ाई जा रही है।

पंजीकरण से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए आवेदकों की सहायता एवं मार्गदशर्न के लिए 07 दिसम्बर, 2022 से एक कॉल सेंटर ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

आवेदकों के साथ बेहतर सम्पर्क के लिए विभिन्न राज्यों में आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई गई तथा आवेदनों से जुड़े मुद्दों पर स्थल पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसे एक सराहनीय गतिविधि के रूप में लिया गया तथा पंजीकरण की संख्या में बढ़ाने में योगदान मिला।

डब्ल्यू.डी.आर.ए ने भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक के साथ आउटरीच कार्यक्रमों, इ–एन.डब्ल्यू.आर को बढ़ावा देने, इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण के लिए आकर्षक ऋण योजना उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन निष्पाददित किए गए। भारतीय स्टेट बैंक नें इसी वर्ष एक प्रोडेक्ट लॉच किया है। जनवरी, 2023 ने वित्तीय संवा विभाग ने राज्य स्तरीय बैंकिग समिति (एस.एल.बी.सी) को सलाह दी है कि वे अपनी बैठकों में इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण को कार्यसूची की स्थायी मद के रूप में रखे। ऐसे प्रयासों से आगामी वर्षों में गिरवी वित्तपोषण के क्षेत्र में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस अवधि में किसानों/व्यापारियों/मिलर्स आदि ने डब्ल्यू.डी.आर.ए के कार्यों तथा इसके विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

3.1.1 भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन तथा अन्य अपडेट

भांडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम 2007, 25 अक्तूबर, 2010 को लागू हुआ था अधिनियम की धारा 24 के अधीन 26 अक्तूबर, 2010 को डब्ल्यू.डी.आर.ए की स्थापना हुई। डब्लू.डी.आर.ए ने देश में अपने पंजीकृत भांडागारों के लिए विनियमन में वृद्धि करने भांडागार रसीदों की परक्राम्यता बढ़ाने, न्यासीय विश्वास में वृद्वि करने धोखाधड़ी रोकने तथा भंडारित वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली आरम्भ की थी।

प्राप्त अनुभव के आधार पर, गत वर्षों में संबंधित नियमों एवं विनियमों में 23 फरवरी, 2017 को अधिसूचित नए पंजीकरण नियमों में कतिपय परिवर्तन किए गए। नए नियमों का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा निश्चित करने सहित पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था।

तालिका 3.1

पुराने नियमों की तुलना में नए पंजीकरण नियम, 2017 में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित शामिल हैं:–

क्र.स	**भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010**	**भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017**
1.	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन आवश्यक था।	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन की आवश्यकता नहीं है। डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण से पूर्व पात्र आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता है।
2.	एक आवेदक आवश्यक रूप से एक भांडागार कवर करना होता था।	एक आवेदन एक अथवा एक से अधिक भांडागारों के लिए हो सकता है।
3.	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए थी।	पंजीकरण अवधि 5 वर्ष के लिए है।
4.	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल नेटवर्थ का सकारात्मक होना आवश्यक था।	अब भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।
5.	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होती थी।	परक्राम्य भांडागाररसीदों के कुल मूल्य के अनुसार अधिक उपयुक्त एवं गत्यात्मक
		प्रतिभूति जमा का प्रावधान है।
6.	मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) तथा 'अपने जमाकर्ता को जाने' (के.वाई.डी) का प्रावधान नहीं था।	नए नियमों में के.वाई.डी तथा एस.ओ.पी को पूरी तरह परिभाषित किया गया है।
7.	रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए प्रावधान नहीं था।	अब यह प्रावधान है।

नवम्बर, 2021 में पंजीकरण नियमों में आगे और संशोधन कर स्वयं सहायता समूह के लिए भांडागारों के पंजीकरण शुल्क को 5,000/– रु. से घटा कर 500/– रु. कर दिया गया ताकि थोड़ी क्षमता वाले कृषि भांडागारों की भागीदारी और बढ़ सके। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियो (पीएसी) के सीमित संसाधनों को देखते हुए उन्हें पंजीकरण शुल्क में छूट भी प्रदान की गई।

दिनांक 07.05.2021 के परिपत्र द्वारा भांडागार पंजीकरण प्रमाण पत्र भी वैद्यता में एक बार शुद्धि करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते अवधि के लिए प्रतिभूति जमा विधिमान्य हो।

दिनांक 08 सितम्बर, 2021 के परिपत्र द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया और सरल बनाते हुए आवेदकों को बीमा अनुपालन के अग्रिम में पूरा करने के स्थान पर इसे पंजीकरण के अंतिम स्तर पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। पंजीकरण आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक वस्तुओं का भंडारण नहीं करवा सकता था तथा ई–एनडब्लूआर भी जारी नहीं की जा सकती थी। तथापि इस परिवर्तन के बाद यह सुविधा जारी रहती है तथा आवेदक का वित्तीय बोझ भी घट गया है।

''गैर कृषि वस्तुऐं'' तथा कृषि तथा गैर कृषि वस्तुऐं दोनों एक साथ'' भंडारित कर रहे भांडागारों के लिए आवेदन शुल्क नेटवर्थ आवश्यकता के संबंध में अप्रैल, 2022 में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। गैर कृषि वस्तुओं के उच्च मूल्य को देखते हुए नेटवर्थ मूल्य आवश्यकताऐं बढ़ाई गई तथा स्टोरेज क्षमता पर आधारित स्लैबों की संख्या 14 से घटाकर 5 की गई। इसी प्रकार कृषि वस्तुओं के लिए भी वर्तमान 07 स्लैबों की संख्या घटाकर 03 कर दी गई।

डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण को सरल तथा सुगम बनाने के लिए अक्तूबर, 2022 से एक वर्ष के लिए कृषि वस्तुऐं भंडारित कर रहे भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई।

3.1.2 आवेदन शुल्क आवश्यकताएँ

तालिका 3.2 कृषि भांडागार

भांडागार पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क वर्तमान में इस प्रकार है :

भांडागार की क्षमता	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन तक है	रू.5,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन से अधिक लेकिन 1,000 टन से कम या समान है	रू.7,500/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 1000 टन से अधिक लेकिन 2,500 टन से कम या समान है	रू.10,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 2,500 टन से अधिक लेकिन 5, 000 टन से कम या समान है	रू.15,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 5,000 टन से अधिक लेकिन 10,000 टन से कम या समान है	रू.20,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 मी. टन से कम या समान है	रू.25,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है	रू.30,000/–

टिप्पणी

1. किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ)/एफपीओ कृषि सहकारी क्रेडिट समिति तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए आवेदन शुल्क 500/– रूपए केवल है चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो।

2. अक्तूबर, 2022 से कृषि वस्तुऐं भंडारित कर रहे भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क में एक वर्ष के लिए छूट दी गई है।

तालिका 3.3 गैर–कृषि भांडागार (केवल ''गैर–कृषि'' या ''दोनों'' कृषि और गैर–कृषि वस्तुओं का भंडारण)

पंजीकरण इकाई	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है।	रू, 50,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 टन से कम या समान है।	रू 75,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है।	रू 1,00,000/–

*अप्रैल, 2022 में नए अधिसूचित किए गए।

3.1.3 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की सातवीं अनूसूची के अधीन नियम 18 में डब्लू.डी.आर.ए. के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकताओं का प्रावधान है। नेटवर्थ की अपेक्षा को भांडागारों की क्षमता से जोड़ा गया है लेकिन किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ) तथा सहकारी समितियों की क्षमता केवल साकारात्मक होनी चाहिए। अन्य संगठनों के लिए वर्तमान में नेटवर्थ आवश्यकता इस प्रकार है :

तालिका : 3.4 कृषि भांडागारों के लिए

31 मार्च, 2023 तक न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी.टन में)	नेटवर्थ(करोड रू में)
500 तक	0.04
501–1,000	0.08
1,000–15,00	0.12
1,500–2,000	0.16
2001–2,500	0.20
2,501–5,000	0.40
5,001–7,000	1.00
7,001–10,000	2
10,001–15,000	5
15,001–25,000	10
25,001–75,000	20
75,001–1,50,000	30
1,50,001–5,00,000	50
5,00,00 तथा ऊपर	100

विधायिका द्वारा सृजित निकायों के लिए नेटवर्थ केवल साकारात्मक होना आवश्यक है

तालिका: 3.5 गैर कृषि भांडागार (केवल गैर कृषि अथवा कृषि और गैर कृषि दोनों)

31 मार्च, 2023 तक न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी.टन में)	नेटवर्थ(करोड रू में)
25,000 तक	10.00
25,001–75,000	20.00
75,001 –1,50,000	30.00
1,50,001 –5,00,000	50.00
5,00,001 तथा उपर	100.00

3.1.4. पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण

पंजीकरण नियम, 2017 में भांडागारों की पंजीकरण अवधि पाँच वर्ष तथा 6 महीने ऊपर तक प्रतिभूति जमा रखने का प्रावधान है। व्यवसाय–अपेक्षाओं तथा प्रतिभूति जमा की बाधाओं को देखते हुए आवेदक 18 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि के लिए पंजीकरण की मांग करते हैं। आवेदक के अनुरोध अथवा उस अवधि के लिए प्रतिभूति जमा की उपलब्धता देखते हुए भांडागारों के पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तथा तदनुसार प्रतिभूति जमा हेतु 6 सितम्बर, 2018 से प्रावधान किया गया है।

आवेदन प्रस्तुत करते समय कभी–कभी आवेदक गलती से पंजीकरण अवधि 18 महीने सेलेक्ट कर लेते हैं जबकि प्रतिभूति जमा लम्बी अवधि (60 महीने की पूरी अवधि जमा 6 महीने) के लिए उपलब्ध करा देते हैं। पंजीकरण अवधि में संशोधन के लिए काफी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते हुए मई, 2021 से पंजीकरण अवधि में एक बार संशोधन के लिए अनुमति प्रदान की गई बशर्ते अनुरोध की गई अवधि (अधिकतम पॉच वर्ष) प्लस 6 महीने के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई हो।

3.1.5 प्रतिभूति जमा

प्रतिभूति जमा की अपेक्षा इस प्रकार हैः–

1: 2000 मी.टन तक क्षमता वाले भांडागारों के लिए:

भांडागारपाल के डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत 2000 मी.टन तक की क्षमता वाले सभी भांडागारों के लिए प्रत्येक भांडागार हेतु प्रतिभूति जमा 50,000/–रू है (जैसा कि भांडागारों के पंजीकरण के लिए नीचे तालिका 3.6 कालम 'क' में विवरण दिया गया है) जबकि परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक प्रारूप में जैसे भी हो को मिलाकर) के अधिकतम मूल्य का 3 प्रतिशत गत्यात्मक प्रतिभूति जमा के रूप में है। यहाँ भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों हेतु पिछले माह मे जारी किए कुल भांडागार रसीदों का अधिकतम मूल्य टी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भांडागारपाल 2000 मी.टन क्षमता तक के डब्ल्यू.डी.आर.ए के पास पंजीकृत सभी भांडागारों के लिए कुल प्रतिभूति जमा 'क' एवं 'ख' के जोड़ के समान होगा जैसा कि तालिका 3.6 मे दिया गया हैः–

तालिका 3.6

भांडागारपालों के लिए कुल भांडागार क्षमता (मी.टन में)	निर्धारित प्रतिभूति जमा	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा	कुल प्रतिभूति जमा निम्न राशि तक सीमित
	क	ख	ग
100 मी. टन तक	50,000 रूपए प्रति भांडागार	शून्य	कुल 50,000 रूपए तक सीमित
101–500 मी.टन	50,0000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	कुल 2.5, लाख रूपए तक सीमित
501–1000 मी.टन	50,0000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	कुल 5 लाख रूपए तक सीमित
1001–1500 मी.टन	50,0000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	कुल 7.50, लाख रूपए तक सीमित
1501–2000 मी.टन	50,0000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	कुल 10.00 लाख रूपए तक सीमित

I I. 2000 मी.टन से अधिक क्षमता वाले भांडागारपालों के लिए

भांडागारपाल के डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत 2000 मी.टन से अधिकर क्षमता वाले सभी भांडागारों के लिए प्रत्येक के लिए प्रतिभूति जमा 1 लाख रू है (जैसा कि भांडागारों के पंजीकरण के लिए तालिका 3.7 के कॉलम जैड में विवरण दिया गया है) जबकि परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (इलेक्ट्रोनिक अथवा/भौतिक प्ररूप में जारी सभी को मिलाकर) के अधिकतम मूल्य का 3 प्रतिशत गत्यात्मक प्रतिभूति जमा के रूप में है, जिसे भांडागारपाल के सभी भांडागारों के लिए पिछले माह में किसी एक दिन की भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य को टी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भांडागारपाल के 2000 मी.टन क्षमता से अधिक क्षमता वाले डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत सभी भांडागारों हेतु कुल प्रतिभूति जमा एक्स, वाई एवं जैड के जोड के समान होगी जैसा कि तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रूपए से कम अथवा 25 करोड़ रू के बराबर	0	'टी' का 3 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 250 करोड़ रूपए तक है	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक और 2,500 करोड़ रूपए तक है	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
		का 1 प्रतिशत	
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से अधिक है	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार

(क) जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (निर्धारित) प्रति भांडागार होगी, जिसमें निर्धारित तथा गत्यात्मक दोनो प्रतिभूतियॉ कवर होती है।

(ख) प्रतिभूति जमा बैंक की सावधि जमा या डब्लू.डी.आर.ए. के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधान सभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय प्रतिभूति जमा के रूप में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा जिस निकाय को क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, उसे अपने पंजीकरण आवेदन के साथ अपने निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत होगा जिसमें निकाय को इस प्रकार के क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) भांडागारपाल द्वारा जारी कुल इ–एन डब्ल्यू आर के उच्चतम मूल्य के आधार पर प्रत्येक माह के आधार पर प्रतिभूति जमा अद्यतन करनी होगी।

(ङ) नर्धारित प्रतिभूति जमा पंजीकरण अवधि से 6 महीने बाद तक रखनी होगी जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा को प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन कर प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

(च) गत्यात्मक प्रतिभूति जमा की बैधता कम से कम छह महीने के लिए रखी जा सकती है। ताकि इस अवधि में प्रतिभूति जमा की आवश्यकता में किन्हीं परिवर्तनों को ध्यान मे रखा जा सके

(छ) प्राधिकरण अपने विवेक के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि को समायोजित कर सकता है।

(ज) प्रतिभूति जमा भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, रदद् होने अथवा वापस करने के छह महीने तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी।

3.1.6 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले भांडागार चलाने वाली तथा किसानों के काफी निकट काम करने वाली राज्य स्तर की सहकारी समितियों, विशेषकर किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ) से काफी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। किसानों के निकाय होने के नाते ये किसानों की भंडारण आवश्यकताएँ पूरी करती हैं तथा उनके द्वारा जमा उत्पादों के विरूद्ध वित्त भी मुहैया कराती हैं । इन भांडागारों के पास कम क्षमता तथा अपर्याप्त संसाधन सहित वैज्ञानिक भांडागार चलाने के लिए व्यावसायिक योग्यता का अभाव है। अतः इन संस्थाओं की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंजीकरण की अपेक्षाओं में वित्तीय तथा अवसंरचना के क्षेत्र में काफी छूट प्रदान की गई हैं।

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के भांडागारों को निम्नलिखित वित्तीय छूट उपलब्ध है :–

i. अन्य भांडागारों के लिए जाने वाले 20,000/–रू से 30,000/–रू पंजीकरण शुल्क की तुलना में इनके लिए पंजीकरण शुल्क केवल 500/–रू है। (इस भाुल्क में अक्तूबर, 2022 से एक वर्ष के लिए छूट दी गई है)
ii. भंडारण क्षमता चाहे कुछ भी हो, केवल नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए जबकि अन्य के लिए भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।
iii. प्रतिभूति जमा बैंक गाारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में प्रति भांडागार 50,000/– रू है (भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार का मूल्य चाहे जो हो) जबकि अन्य के लिए 50,000 रु. (2000 मी. टन तक क्षमता के भांडागार) एक लाख रूपए तथा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के मूल्य का प्रतिशत है।

उपर्युक्त में से पहल दों छूट स्वयं सहायता समूह के लिए दी गई है।

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों का अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं :–

I. यदि भांडागार ऐसे निकासी वाले स्थान पर स्थित है जहाँ बाढ़/पानी भरने की घटना नहीं हो सकती तथा नमी आने की संभावना नहीं है तो, प्लिंथ की ऊँचाई कम से कम 30 सै. मी. स्वीकार्य है।
ii. पंजीकृत किए जानेवाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मी.टन होगी।
iii. प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में वाहनों की पार्किंग तथा उनके घूमने की स्थान की उपलब्धता पर बल नहीं दिया जाएगा चूँकि कम क्षमता वाली यूनिटें सदस्य किसानों के लिए चलाई जाती हैं।
iv. भांडागार में चट्टा–योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि गलियारों के लिए सही स्थान छोड़ा गया हो।
v. भांडागार में सामान के भंडारण तथा परिरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा एक और स्टाफ सदस्य की (पूरे समय के लिए अथवा पार्ट टाइम आधार पर) लगाया गया होना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता वांछनीय है लेकिन भांडागार के पंजीकरण के लिए इसे आवश्यक नहीं माना जाता।
vi. पक्की चार दीवारी/कंटीले तारों की बाड़ पर बल नहीं दिया जाएगा। ताथपि भांडागार में स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए ताले लगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
vii. 500 मी. टन तक की क्षमता वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारो में कम से कम एक अग्नि शमन उपकरण (आवश्यक प्रकार का) तथा छह अग्नि शमन बाल्टियॉ होनी चाहिए। जिन भांडागारों की क्षमता 500 मी. टन से अधिक लेकिन 1500 मी. टन क्षमता तक है वहाँ तीन अग्नि शमन उपकरण तथा पन्द्रह अग्निशमन बाल्टियाँ होनी चाहिए।

3.1.7 छोटे भांडागारों के लिए छूट

प्राधिकरण को छोटे भांडागारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि पंजीकरण शुल्क आवश्यकता, नेटवर्थ, प्रतिभूति जमा आदि को कम किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सेवाएँ मुहैया कराई जा सकें। छोटे भांडागारों के वास्तविक मुद्दो को देखते हुए तथा उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्राधिकरण सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भार्तों में छूट प्रदान की है:–

I) 5000 मी.टन क्षमता से नीचे की क्षमता वाले भांडागारों के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000/–रू से घटा कर क्षमता की विभिन्न स्लैबों में 5,000–15,000रू के बीच कर दिया गया है (इस घटे हुए शुल्क में अक्तूबर, 2022 से एक वर्ष के लिए छूट दी गई है)

ii) 10000 मी.टन क्षमता से नीचे के भांडागारों के लिए नेटवर्थ आवश्यकता 0.50 करोड़ – 5.000 करोड़ से घटा कर विभिन्न स्लैबों में 0.04 करोड़ से 2.00 करोड कर दी गई है।

iii) कुल 2000 मी.टन क्षमता वाले भांडागारों के लिए प्रतिभूति जमा आवश्यकता को 1.00 लाख रू (निर्धारित) + 0.50 लाख (निर्धारित) + इ–एन.डब्लू.आर. मूल्य कर दिया गया है तथा राशि सीमा निर्धारित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त किसानो/एफ.पी.ओ के लिए रिपोजिटरी प्रभार 5/–रू मी.टन से घटा कर प्रति इ–एन.डब्लू.आर. अधिकतम 500/–रू तथा किसी मात्रा के लिए रू 40/– (निर्धारित) किया गया है।

3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यान्वयन

आरम्भ में पंजीकरण आवेदन भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि कागज आधारित आवेदन तथा इसके साथ संलग्नकों के प्रस्तुतिकरण को बोझिल तथा समय लेने वाला पाया गया। अतः पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा एक सरल व पारदर्शी प्रणाली एवं इसकी ट्रैकिंग के लिए प्राधिकरण ने भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रणाली आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। नई प्रणाली में संबंधित गतिविधियों जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन प्रोसेसिंग वर्क फ्लो, संबंधित निरीक्षण एजेंसियों/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण प्रतिभूति जमा का प्रस्तुतिकरण तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली 1 नवम्बर, 2017 से लागू की गई।नई ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को उसके नए पोर्टल, https:/wdra.gov.in पर लॉगइन कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के लिए विस्तृत अनुदेश प्राधिकरण के होमपेज पर उपलब्ध हैं। नई प्रणाली के अनुसार आवेदकों को भांडागारों के पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लॉग इन के बाद वहाँ सृजित क्रेडेनशियल प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने के लिए पोर्टल के माध्यम से साइन इन करना होता है।

गैर व्यक्ति भांडागार सेवा प्रदाता (डब्लू.एस.पी) से संबंधित आवेदन की सरल तथा सुगम प्रोसेसिंग के लिए पंजीकरण को दो–स्तर–प्रकिया बनाया गया है। पहले स्तर पर भांडागारपाल आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। भांडागारपाल अनुमोदित होने के पश्चात्, अगले स्तर पर संस्था के अधीन सभी भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखी गई एजेंसियों को भी प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण ऑनबोर्ड होने के लिए क्रेडेनशियल का प्रयोग कर पोर्टल पर साइन इन करने के बाद निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आबंटन प्राप्त होगा तथा इसी प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। इससे पूर्व डब्ल्यू.डी.आर.ए निरीक्षण एजेंसी का चयन मैनुअली करता था जिसके बाद निरीक्षण आबंटित किया जाता था, या उसके लिए निरीक्षण अधिकारियों का चयन किया जाता था। यह प्रक्रिया कार्य भार तथा लंबित कार्यो के आधार पर होती थी। अब निरीक्षण एजेंसी की चयन प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है जिससे निरीक्षण का लीड समय घट गया है।

3.2.1 ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे

I) व्यक्ति / प्राधिकरण प्रतिनिधि (गैर व्यक्ति संस्था के मामले में) का फोटोग्राफ
ii) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथा अपेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र
iii) मानक संचालन प्रक्रिया (यदि डब्ल्यू.डी.आर.ए के एसओपी का अनुपालन नहीं किया गया जाता)
iv) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज
v) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 नियम 17 (26.04.2017 के परिपज के अनुसार), भांडागार के पंजीकरण के लिए भांडागार के पंजीकरण के समय बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध है के अधीन तथा निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रति
vi) भांडागार का ले–आउट प्लान
vii) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) के मामले में में बेसिक डाटा शीट
viii) तकनीकी मानक, जिसके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज)निर्मित किया गया, के बारे में प्रमाण
ix) माल परखने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची
x) माल तौलने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची
xi) अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशमन उपकरण / बाल्टियाँ आदि
xii) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पहली / छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर भांडागार स्थित है, के अधिकारों के अभिलेख अथवा रजिस्ट्रीकृत हक विलेख

3.2.2. भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में अन्य प्रावधान

विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण को सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिअल टाइम मॉनीटरिंग के लिए किए गए अन्य प्रावधान इस प्रकार है :–

i) सभी श्रेणी के भांडागारो जैसे पारम्परिक, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली
ii) पंजीकरण की तारीख से 90 दिन पूर्व की अवधि समाप्त होने की स्थिति में पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण तथा भांडागार / भांडागारपालों का परिशोधन / अद्यतन
iii) पंजीकरण का ऑनलाइन सरेंडर
iv) प्रतिभूति की मान्यता के अनुसार पंजीकरण अवधि (पाँच वर्ष अथवा कम) प्रदान करना
v) पारम्परिक भांडागारों, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो की निरीक्षण रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
vi) निरीक्षण अधिकारियों को अपनी निरीक्षण रिपोर्टों की पीडीएफ प्रतियाँ प्रिंट करने की सुविधा
vii) एजेंसियों को डैशबोर्ड की सुविधा
viii) गैर–व्यक्ति संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा एसोसिएट प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ऑनलाइन अपडेशन का प्रावधान
ix) प्रतिभूति, जमा, गोदाम पट्टे, बीमा पॉलिसी की मान्यता स्थिति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग
x) पंजीकरण प्रक्रिया तथा विनियामक अनुपालन से संबंधित ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट का प्रावधान
xi) सिंगल भांडागार की एक से अधिक बीमा पॉलिसियों को अपलोड करने की सुविधा
xii) विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण आवेदन के लंबित होने को दिखाने के लिए डैशबोर्ड तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए रिअल टाइम की सुविधा

3.3 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के संबंध में अधिसूचना

यह अनुभव किया गया था कि पेपर आधारित परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रयोग के साथ खोने, क्षत–विक्षत होने, क्षति, लिखे गए पर लिखने एवं हेर–फेर करने जैसे जोखिम जुड़े हुई हैं तथा उनकी परक्राम्यता/हस्तान्तरण की भी सीमाएँ हैं। अतः इन जोखिमों/बाधाओं को दूर करने तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता/सत्यनिष्ठा में वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन रेपोजिटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद का सृजन तथा प्रबंधन सुविधाजनक हो सके।

सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण ने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017, 29 जून, 2017 को जारी किए। प्राधिकरण ने इ–एन.डब्लू.आर. के सृजन तथा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रेपोजिटर्स पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैः–

(क) डिपोजिटरी फैसेलिटी मैसर्स सी.डी.एस.एल द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कामोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड़ (सी. सी.आर.एल)।

(ख) एन.सी.डी.ई.एक्स. पेशेवर ऑनलाइन मल्टी एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित मैसर्स नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड़ (एन.ई. आर.एल) ।

3.4. भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ

इ–एन.डब्लू.आर. एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज है। इस द्वारा कागज आधारित भांडागार रसीदों/स्टॉक रसीदों की तुलना में, संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रमुख लाभ तालिका 3.8 में दिए गए है।

तालिका 3.8

कागज आधरित/स्टॉक रसीद	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद
भावी खरीदार के लिए केवल एक ही तरीके से प्रयोग की जा सकती है।	खरीदारों की बड़ी संख्या के साथ यह किसान/जमाकर्ताओं को पूरे देश में बेहतर मोल–तोल की पहुँच के लिए सहायता करती है
इसे विखंडित नहीं किया जा सकता।	इ–एन.डब्ल्यू.आर को वस्तु के एक भाग के हस्तांतरण के लिए विखंडित किया जा सकता है
खोने, कटने–फटने, छेड़–छाड़ तथा हेर–फेर करने तथा झूठा हिसाब करने की संभावना रहती है।	इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है।
पारदर्शी तरीके से कुशल क्लिअरिंग तथा ट्रेडिग में निहित कठिनाइयाँ आती है।	कृषि उपज की ट्रेडिंग में पारदर्शिता के साथ कुशल क्लिअरिंग, सैटलमेंट तथा डिलिवरी प्रणाली में सक्षम है।
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारको के साथ बाँटना मुश्किल ।	भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारकों जैसे बैंकर्स, कोमोडिटी एक्सचेंज सरकार आदि के साथ बाँटना आसान
रसीद में सूचना की एकरूपता नहीं	अधिनियम तथा विनियमन के अधीन मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	संविधिक निकाय डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा विनियमित
परखना अनिवार्य नहीं	इ परक्राम्य भांडागार रसीद में गुणवत्ता की सूचना देना अनिवार्य।

सामान प्राप्त किए बिना परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की जोखिम।	इस प्रकार की संभावना नहीं ।
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट एन.डब्लू.आर जारी करने की जोखिम	संभव नहीं
धोखाधड़ी से सामान का मूल्य अधिक बताना	कृषि बाजार के मूल्यों की पुनः प्राप्ति संभव
कोई निगरानी तथा पर्यवेक्षण नहीं	डब्लू.डी.आर.ए द्वारा नियमित निगरानी
वेअरहाउस रसीदों की कानूनी परक्राम्यता के बिना व्यापार के लिए हस्तांतरण/पृष्ठांकन के मामले में विधिमान्य हस्तांतरण की समस्या	इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया होने आदि से एक से अधिक संख्या में हस्तांतरण संभव है तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 का विधिमान्य बैकअप
गैर विनियमित भांडागारोंके मामले में अधिक मुकदमेबाजी	मुकदमेबाजी काफी सीमा तक घट जाएगी।

3.5 पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर. जारी किया जाना

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 27 में प्रावधान है कि ''प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से, कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के पास रजिस्टर करेगा''।

इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया कि कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप से जारी नहीं करेगा तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के साथ ऑनबोर्ड होगा एवं केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद की जाएगी।

3.6 भांडागारों का पंजीकरण

1 नवम्बर, 2017 से भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद पंजीकरण के लिए कागज आधारित आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया गया है। आरम्भिक स्तर पर आने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रक्रिया में सुधार लेने के उपरांत पंजीकरण बढ़ा है तथा अब यह काफी चल निकला है।

डब्ल्यू.डी.आर.ए औसतन प्रति वर्ष 386 भांडागार पंजीकृत करता रहा है जो वर्ष 2021–22 के बढ़ कर में 610 भांडागार हो गया। इस दिशा में डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा किए गए विभिन्न उपयों के फलस्वरूप वर्श 2022–23 में पंजीकृत भांडागारों की संख्या 1522 थी। इसमें साल–दर साल 15: की वृद्धि दर्ज की गई है। संसिवार विवरण नीच दिया गया है।

तालिका 3.9 वर्ष 2022–23 के दौराण पंजीकृत किए गए भांडागारों का संस्थावार विवरण

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	भांडागारों की संख्या	क्षमता (लाख मी. टन में)
1	कम्पनी	86	4.61
2	व्यक्तिगत	310	17.20
3	सहकारी समिति	82	0.13
4	भागीदारी फर्म	49	4.22
5	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	174	7.08
6	पी.एस.यू–एस.डब्ल्यू.सी	821	95.22
	कुल	**1522**	**128.40**

वर्ष 2020, 2021–2022, तथा 2022–2023 में पंजीकृत भांडागारों की संख्या

आकृति 3.1

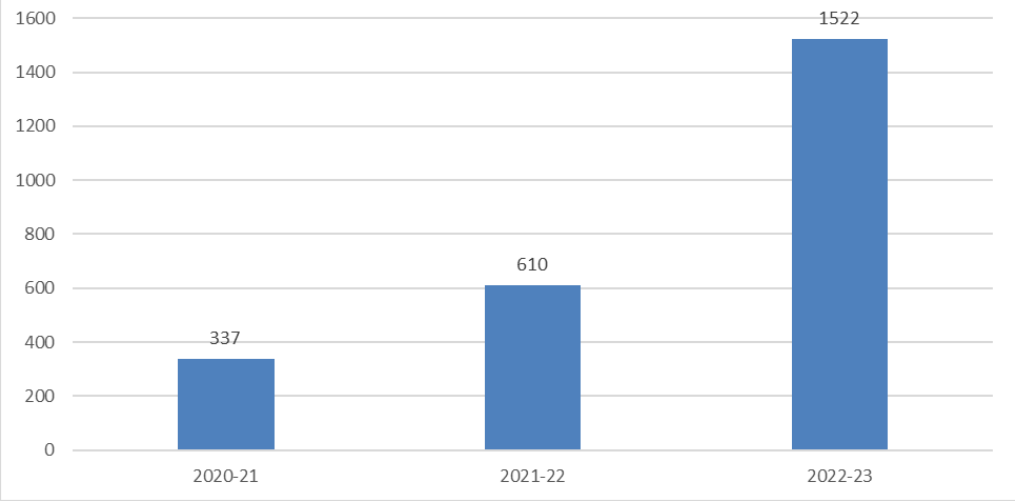

31.3.2023 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना अर्थात् 2011–12 से कुल 294 लाख मी. टन. क्षमता के 3855 भांडागार सक्रिय रहे ।

31.03.2023 को सक्रिय पंजीकरण सहित भांडागारों के पंजीकरण का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका 3.10

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या												संचयी पंजीकरण	31.03.2023 को कुल सक्रिय
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23		
1	आंध्रप्रदेश	45	16	15	19	9	0	3	20	28	8	24	67	254	150
2	असम	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	10	5
3	बिहार	0	0	2	0	2	1	2	4	5	6	28	34	84	71
4	छत्तीसगढ़	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	33	70	109	108
5	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
7	गुजरात	3	5	2	10	145	22	85	61	53	55	43	41	525	164
8	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
9	हरियाणा	15	0	0	0	8	0	2	8	6	4	14	110	167	135
10	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	3
11	जम्मू एवं कश्मीर												1	1	1
12	झारखंड	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	12	16	15
13	कर्नाटक	0	14	1	3	19	13	9	6	2	4	6	29	106	57
14	केरल	11	1	8	1	0	1	3	0	3	6	2	2	38	11
15	मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	197	66	46	44	374	1123	751
16	महाराष्ट्र	22	14	0	8	56	40	35	66	32	32	30	218	553	303
17	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
18	उड़ीसा	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	16	42	64	63
19	पंजाब	4	9	0	1	0	0	0	8	0	5	15	2	44	27
20	पदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	राजस्थान	48	4	14	10	116	28	67	59	46	35	148	112	687	327
22	तमिलनाडु	52	0	14	128	71	5	3	126	757	81	77	222	1536	1270
23	तेलंगाना	0	0	0	0	2	0	7	18	2	6	23	78	136	119
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

25	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	11	11
26	उत्तर प्रदे□	20	5	0	1	6	1	2	27	5	30	80	94	271	227
27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	19	6	32	30
	कुल योग	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**607**	**1005**	**337**	**610**	**1522**	**5778**	**3855**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संस्थावार तथा वर्षवार पंजीकृत भांडागार तथा सक्रिय भांडागारों का विवरण निम्न तालिका सं. 3.11 में दिया गया है।

तालिका सं 3.11

संस्था	कुल पंजीकृत भांडागार													31 मार्च, 2023 को कुल सक्रिय
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	संचयी पंजीकरण	
के.भ.नि.	135	25	15	3	2	5	14	84	21	81	104	28	517	356
रा.भं.निगम	87	28	9	1	16	44	0	37	59	1	218	821	1321	1136
निजी	18	26	14	81	500	163	241	386	194	141	202	426	2392	1149
पी.ए.सी./ एफ.पी.ओ	0	13	30	145	70	2	1	97	723	84	77	82	1324	1069
कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	4	0	0	5	3	8	30	9	19	78	
ए.पी.एम.सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	145
कुल	240	92	68	234	588	214	261	607	1005	337	610	1522	5778	3855

उपर्युक्त 3855 सक्रिय भांडागारों में से 62 कोल्ड स्टोरेज हैं।

3.7 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

रिपोर्ट वर्ष में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (आर.सी.एस) तमिलनाडु सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा, प्रदर्शित रूचि को देखते हुए सकारात्मक नेटवर्थ वाली ''प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों'' को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता शिविर, पंजीकरण शिविर, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022–23 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कुल 2.22 लाख मी. टन क्षमता के 82 भांडागार पंजीकृत किए गए। रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार तथा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिखाई गई रूचि एवं समर्थन सराहनीय तथा प्रशंसा योग्य है।

3.8 भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालो/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गई है, जो 19 मार्च, 2018 से प्रचालन में है। इस तारीख से पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालों/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के अद्यतन के संबंध में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे है। दिनांक 20.01.2020 के परिपत्र सं. डब्लूडीआरए/2018/1–3/ टैक–81 द्वारा यह बल दिया गया है कि डब्लू एस पी/भांडागारपालों को समान पंजीकरण सं. बनाए रखने के लिए पंजीकरण समाप्त होने के 3 महीने (90 दिन) पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यदि 90 दिन की समय–सीमा का पालन नहीं किया जाता तथा पंजीकरण की भोश समय अवधि 90 दिन से कम रह जाती है तो भांडागारपाल को भांडागार के पंजीकरण के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसी स्थिति में भांडागार की पुरानी पंजीकरण सं. ऑनलाइन आवेदन के सबंधित कॉलम में भरनी होगी।

3.9 भारतीय खाद्य निगम के भांडागारों का प्रमाणीकरण

डब्ल्यू.डी.आर.ए ने भा.खा.नि. के स्वामित वाले भांडागारों का प्रमाणित शुरू किया है जिनमें प्राधिकारण द्वारा निरीक्षण के दौरान मानक संतोषजनक पाये गये थे। 31.08.2023 तक भा.खा.नि. के 551 भांडागार प्रमाणित किये गये हैं।

तालिका : 3.12

भा.खा.नि. प्रमाणित भांडागारों में भंडारित खाद्यान्न (31.03.2023 तक)	डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा पंजीकृत सी. डब्ल्यू.सी भांडागारों में संग्रहीत खाद्यान्न जो भा.खा.नि. द्वारा किराए पर लिए गये (31.03. 2023 तक)	डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा पंजीकृत एस.डब्ल्यू.सी भांडागार में संग्रहीत खाद्यान्न जो भा.खा.नि. द्वारा किराए पर लिए गये (31.08. 2023 तक)	कुल योग
8316852.625 मी.टन	1890990.888 मी.टन	3535382 मी.टन	13743225.51 मी.टन

3.10 भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग।

भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग पंजीकृत भांडागारों के विनियामक अनुपालन के लिए एक कुशल मानीटरिंग तथा निगरानी प्रणाली की मूल आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक निरीक्षण प्रणाली विकसित की है:–

i) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन आधारभूत अवसंरचना प्रचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, नियमों और विनियमों और भांडागारों के पंजीकरण के समय प्रत्ययन एजेंसी द्वारा जाँच के रूप में जो बिन्दु निर्धारित किए गऐ हैं, पंजीकृत भांडागारों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उनका अनुपालन जारी रखना।

ii) परक्राम्य भांडागार रसीद की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना

इसके अतिरिक्त पैनल में रखी गई एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारी तथा प्राधिकरण के अधिकारी भी समय–समय पर विशेष परिस्थितियों में कुछ भांडागारों का निरीक्षण करते हैं।

3.11 निरीक्षण एजेंसियों के इमपैनलमेंट तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश

प्राधिकरण ने निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसाार निरीक्षण एजेंसियों के चयन तथा पैनल में डालने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए है:–

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप पैनल में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:–

क) आवेदक एक योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति हो ।

ख) आवेदक द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए निरीक्षण किए हुए होने चाहिए।

ग) आवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 निरीक्षण/ऑडिट किए हुए होने चाहिए

घ) आवेदक द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान भांडागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य भंडारण एवं, खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम तीस निरीक्षण किए हो।

कृ) आवेदक के पास निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार भांडागारों के निरीक्षण के तीन अर्हता प्राप्त निरीक्षण अधिकारी तथा भांडागारपाल होने चाहिए।

i) विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री (अभियांजिकी तथा तकनीकी स्नातक सहित) कृषि अथवा संबंधित विज्ञान में स्नातक डिग्री।

ii) निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात्– भण्डारण, परख, कृषि वस्तुओं के निरीक्षण एवं परीक्षण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

iii) भाण्डागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण तथा खाद्य सुरक्षा में संलग्न भांडागारों, फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम पाँच निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

iv) अच्छी आई.टी. कुशलताएं हो तथा ई–मेल, इंटरनेट आदि सहित ऑनलाइन रिर्पोट सिस्टम में कार्य करने की पूरी जानकारी हो।

v) अधिमानत प्रशिक्षित एवं लाइसेंसशुदा परख कुशलश्ता हो।

च) आवेदक के निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्यालय होने चाहिए।

i) उत्तर (चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश सहित)

ii) दक्षिण (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना)

iii) पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित)

iv) पश्चिम (दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)

v) मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित)

3.12 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना

इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए छानबीन के पश्चात् पात्र संगठनों को शॉर्टलिस्ट कर नौ निरीक्षण एजेंसियों को प्राधिकरण के निरीक्षण एजेंसी के पैनल में डाला गया। एजेंसियों को पैनल परिभाशित दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण (पंजीकरण से पूर्व) सामान्य निरीक्षण तथा अन्य निरीक्षण का कार्य सौपा गया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी हैं जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तथा निरीक्षण अधिकारी आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। निरीक्षण रिर्पोट भी विभिन्न प्रकार के निरीक्षण जैसे पारम्परिक भांडागार, साइलो तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए ऑनलाइन फाइल की जा सकती है तथा निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती है। इससे ऐसे भांडागार, जिन्होंने निरीक्षण के लिए पंजीकरण हेतु डब्लू.डी.आर.ए. में आवेदन किया है, के निरीक्षण में लगने वाला समय काफी घट गया है।

पैनल में रखी गई एजेंसियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

1. ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 210, साँई राम प्लाजा 63, मंगल नगर, भंवरकुआँ ए.बी. रोड, इन्दौर–452001
2. वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लि., एच–08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान
3. नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 24, राजेन्द्र प्लेस, नाबार्ड टावर, नई दिल्ली–110025
4. टी क्यू सर्विसेस लिमिटेड, एस.बी.यू. क्वालिटी सर्विसिज स्पलेंडिड टावर, छठी मंजिल, एच नं 1–8–364, 437, 438 एवं 455, बेगमपेट, हैदराबाद–500016
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्पादकता भवन, 5–6 इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
6. सनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड बी–231, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1 नई दिल्ली–110048
7. ब्यूरो वेरिटस, बिजनेस पार्क ग्राउंड मरोल इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस रोड सी, एमआईडीसी अंधेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र–400093
8. एसजी एनजी एसोसिएट्स ए–15/32 एलजीएफ, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

भांडागारों के निरीक्षणों की बढ़ती संख्या को देखतें हुए प्राधिकरण ने और निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में रखने के लिए प्रक्रिया आारम्भ की है।

तालिका 3.13

निरीक्षण का प्रकार	**विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रति निरीक्षण शुल्क (सभी शामिल)**		
	10,000 टन तक	10,000 से 25,000 टन तक	25,000 टन से अधिक
	(रू. में)	(रू. में)	(रू. में)
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

3.13 निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान

भंडारण एजेंसियों का शुल्क का भुगतान प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के लिए निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करता है।

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500/–रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा।
2. यदि सामान्य अथवा औचक निरीक्षण निम्नलिखित में से अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण अथवा (ख) स्टॉक निरीक्षण होगा तो, उस स्थिति में भौतिक निरीक्षण की दरों के अनुसार निरीक्षण एजेंसी को भुगतान किया जायेगा

3.14 वर्ष 2022–23 में निरीक्षण अधिकारियों एवं जोड़े गए नए निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण

पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारियों का समय–समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है जिससे वे निरीक्षण प्रणाली / स्पेसिफिकेान/वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अवगत हो सके और उनका न्यूनतम कुशलता स्तर/कार्य निष्पादन के मानक सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारिये द्वारा निरंतर फीड बैक मिल सके और तथा पैनल में रखी गई सभी एजेंसियों निरीक्षणों में एक समानता समान निरीक्षण विधि बनी रहे।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में 8 पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियो के निरीक्षण अधिकारियो के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया जिनमें कुल 64 निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त नये भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनो की बढ़ती संख्या को देखते हुए, पंजीकृत भांडागारों के कार्यनिष्पादन की बढ़ती आवश्यकता, छोटे कस्बों तथा दूरस्थ क्षेत्रों आदि में भांडागारों की भौगोलिक स्थिति आदि को देखते हुए और 22 निरीक्षण अधिकारी तथा 8 निरीक्षण एजेंसियां का पैनल बनाए रखा। 31 मार्च, 2023 डब्ल्यू.डी.आर.ए के पास 130 सक्रिय निरीक्षण अधिकारी हैं।

3.15 भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण

भांडागारों के पंजीकरण के पूर्व निरीक्षण के अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण भी करता है जो काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करते हैं। संबंधित एजेंसियों से प्राप्त विवरण के अनुसार भांडागारों में कृषि वस्तुओं के मात्रात्मक तथा गुणात्मक ऑडिट/निरीक्षण की योग्यता तथा अनुभव रखने वाले निरीक्षण अधिकारियों की स्टॉक निरीक्षण के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिकारी भी ऐसे भांडागारों की स्टॉक निरीक्षण के लिये तैनात किए जाते हैं जहाँ अचानक स्टॉक निरीक्षण अल्प सूचना पर किया जाना होता है। वर्ष 2022–23 में भांडागारो के 775 स्टॉक निरीक्षण किए गए।

13 अप्रैल, 2022 को ओरिगो कोमोडिटिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बालाजी सीड प्रोसेसिंग यूनिट भांडागार का निरीक्षण

3.16 डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण।

प्राधिकरण ने इलक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर.) के सृजन तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात मैसर्स सेण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित (सी.सी.आर.एल) तथा नेशनल कोमोडिटी एण्ड डेरिवेटिवज एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड को लगाया है। इन रिपोजिटरी द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :–

- खाताधारक के वैध प्राधिकार के आधार पर इ–एन.डब्लू.आर./इ–एन.एन.डब्लू.आर. के सुरक्षित एवं सही सृजन, रख–रखाव तथा रद्दकरण करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सभी सूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. के हस्तांतरण, गिरवी अथवा गिरवी से हटाना एवं इ–नीलामी करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. अथवा भांडागार के माध्यम से ई एन.डब्लू.आर में दिए अनुसार, भाग में अथवा पूरी डिलीवरी देना

रिपोजिटरी प्रणाली 26 सितम्बर, 2017 से लागू हो गई थी। प्राधिकरण ने 23 अप्रैल, 2019 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार ररीदों के सृजन एवं प्रबन्धन हेतु पंजीकृत रेपोजिटरीज के लिए कॉर्पोरेट दिशा निर्देश भी जारी किए थे। वर्ष 2022–23 के दौरान 64462 ई–एन. डब्लू.आर. जारी की गई। विवरण इस प्रकार है:–

तालिका : 3.14

रेपोजिटरी	एक्सचेंज	नॉन एक्सचेंज	कुल
एन.इ.आर.एल	46909	11748	58652
सी.सी.आर.एल	4290	1515	5805
कुल	**51199**	**13263**	**64462**

तलिका 3.15 वर्ष 2022–23 के दौरान रेपोजिटरी का कार्यनिश्पादन

क्रम. सं	विवरण	रेपोजिटरी का नाम		कुल
		एन.ई.आर.एल	सी.सी.आर. एल	
1	जारी की गई ई–एन.डब्लू.आर	58657	5805	64462
2	ई–एन.डब्लू.आर जारी कर रहे भांडागारों की सं.	395	103	498
3	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड भांडागारों की सं.	153	73	226
4	जमाकर्ता / ग्राहकों की संख्या जिन्होंने खाते खोले	1840	548	2388
5	जोड़े गए आर.पी. की सं.	4	10	14
6	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड प्लेज (बैक / वित्तीय संस्थाएं)	14	32	46
7	ई–एन.डब्लू.ओर के विरूद्ध जमा किए गए स्टोक की मात्रा (लाख मी. टन)	6.67	0.87	7.54
8	ई–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध जमा स्टॉक का मूल्य (करोड़ रू में)	4430.1	4.69	4471.79
9	ई–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध गिरवी / ऋण (करोड रू. में)	2250.28	191.83	2442.11

3.17 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण

ई–नैम ऑनलाइन ट्रेडिंग, मंड़ियों के संपूर्ण कामकाज के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनियमित ए. पी.एम.सी. मंड़ियों में एक वैबआधारित प्लेटफार्म है, जहाँ पर ई–नैम सदस्य के उत्पाद को उस द्वारा मंड़ी में व्यापार के लिए अंतिम रूप देने के बाद भुगतान के लिए रखा जाता है। इसमें गेट एंट्री, लॉट मैनेजमेंट, बीडिंग, ई–सेल एग्रीमेंट और ई पेमेंट आदि की गतिविधियाँ भी शामिल है। ई–नैम पर ट्रेडिग के लिए कमोडिटीज की परख हेतु 150 कृषि कमोडिटिज के लिए कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर विकसित किए गए है।

प्राधिकरण ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली को ई–नैम के साथ एकीकरण के लिए मिलकर काम किया है ताकि पंजीकृत भांडागार द्वारा जारी की गई इ–एन.डब्लू.आर. रखने वाले किसान / धारक अपना स्टॉक बेच सके और बेहतर मूल्य खोज सकें। पंजीकृत भांडागार को ई–नैम ए.पी.एम.सी मंडी में राज्य प्राधिकारियों द्वारा व्यापार के लिए उप–यार्ड के रूप में घोशित किया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए एक विशेष दिन पर ई–नैम प्लेटफार्म पर बोली लगाने के लिए इ–एन.डब्लू.आर. धारक के अनुरोध को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए, रिपॉजिटरी (सी.सी.आर.एल और एन.ई.आर.एल) और ई–नैम के बीच एक आई टी इंटरफेस बनाया गया है। अनुरोध में सभी आवश्यक जानकारी

जैसे वस्तु की मात्रा/गुणवत्ता , इ–एन.डब्लू.आर. विवरण, ई–इन.डब्लू.आर धारक का विवरण, प्रत्याशित मूल्य विक्रेता का बैंक खाता विवरण दिए जाते है। बोली को अंतिम रूप देने तथा इसे विक्रेता / इ–एन.डब्लू.आर. धारक द्वारा स्वीकार करने के बाद, खरीदार जो ई–नैम का सदस्य है, वह ई–नैम को विनिर्दिश्ट दो दिन के अंदर ई–भुगतान करेगा। ई–नैम प्रणाली अपना शुल्क काटने के बाद राशि को विक्रेता /इ–एन.डब्लू.आर. के खाते में भेज देगी। ई–नैम खरीदार को इ–एन.डब्लू.आर. हस्तांतरित करने के लिए भांडागार को संदेश भी भेजेगी (खरीदार के पास रिपोजिटरी के साथ ग्रांहक के खाता होना चाहिए अथवा उसके खाते में इ–एन.डब्लू.आर. के हस्तांतरण के लिए रिपोजिटरी में से किसी के साथ खाता खोलना होगा)

इस व्यवस्था में, किसी किसान/इ–एन.डब्लू.आर. धारक को ए.पी.एम.सी मंड़ी में अपना उत्पाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल इ–एन.डब्लू.आर. का उपयोग करके अपनी उपज बेच सकता है। यह उसे बेहतर कीमत के लिए इंतजार करने की अनुमति देगाा और उसे अपनी उपज तुरंत बेचने की आवश्यकता नहीं होगी।

आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लगभग 60 भांडागारों को संबंधित ए.पी.एम मंड़ी के ई–नैम प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए उन भांडागारों के इ–एन.डब्लू.आर. धारक की सुविधा के लिए बाजार उप–यार्ड घोशित किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि उत्पाद मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 के अन्तर्गत अधिसूचित किया है कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यरत डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज को मार्केट सब यार्ड माना जाएगा तथा ऐसे भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज के प्रचालक को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी माना जाएगा।

3.18 भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम।

भांडागारण क्षेत्र का कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकृत भांडागारों के भंडागारपालों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में लाभों की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2022–23 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः–

3.18.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा एनडब्लूआर/इ–एनडब्लूआर प्रणाली के लाभ।

वर्ष 2022–23 में प्राधिकारण ने 18 राज्यों में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों के लिए 258 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 12992 प्रतिभागी शामिल हुए जबकि वर्ष 2021–22 में 12 राज्यों में 177 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें 8874 प्रशिणार्थी शामिल हुए थे। ये जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे केन्द्रीय भंडारण निगम, सी.सी.एस.एन.आइ.ए. एम. जयपुर, आइ.सी.एम, भोपाल, यू.आर. आई.आई.सी.एम. गाँधीनगर, आई.सी.एम., मदुरई, आई.सी.एम., हैदराबाद, आर. आई.सी.एम, चंडीगढ़, मधुसुदन आई.सी.एम. भुवनेश्वर, आई.जी.आई.सी.एम लखनऊ, यू.ए.जे, जोधपुर, वी.एम.एन.आई.सी.एम, पूणे तथा एन.आई.सी.एम, चेन्नई द्वारा ओयोजित किए गए। वर्ष 2022–23 में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका 3.16

क्रम संख्या	संगठन	आयोजित किए कार्यक्रम की संख्या	भागलेनेवाले किसानों/व्यापारियों/मिल मालिकों की संख्या
1	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सी.सी.एस.एन. आई.ए.एम), जयपुर	22	1056
2	केन्द्रीय भंडारण निगम, दिल्ली	20	1005
3	आई.सी.एम., भोपाल	09	450
4	आई.सी.एम., हैदराबाद	32	1575
5	आई.सी.एम., मदुरई	27	1350
6	इंदिरा गांधी इस्टिट्यूट ऑफ कोओपेरेटिव मैनेजमेंट, लखनऊ	33	1678
7	एन.आई.सी.एम, चेन्नई	5	250
8	एन.आई.पी.एच.एम, हैदराबाद	5	250
9	आर.आई.सी.एम, चंड़ीगढ़	31	1561
10	यू.आर.आई.सी.एम, गांधीनगर	20	1040
11	डी.जी.आई.सी.एम., नागपुर	01	47
12	आई.सी.एम, देहरादून	05	241
13	आई.सी.एम., गुवाहाटी	03	151
14	आई.सी.एम., पटना	08	435
15	आई.सी.एम., तिरूवंतपुरम	05	250
16	एम.आई.सी.एम., भुवनेश्वर	07	350
17	आर. आई.सी.एम., बेंगालूरू	12	647
18	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	05	253
19	वी.एम.एन. आई.सी.एम., पूणे	08	407
	कुल	258	12992

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अधीन हुई प्रगामी प्रगति का विवरण इस प्रकार है। कुल मिलाकर 1428 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 71516 किसानों ने भाग लिया

तालिका 3.17

क्रम संख्या	वर्ष	आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1	2011–12	04	200
2	2012–13	96	4800
3	2013–14	138	6900
4	2014–15	85	4250
5	2015–16	95	4750
6	2016–17	98	4900
7	2017–18	97	4850
8	2018–19	114	5700
9	2019–20	115	5750
10	2020–21	151	7550
11	2021–22	177	8874
12	2022–23	258	12992
	कुल	**1428**	**71516**

3.18.2 भांडागारपालों / भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण।

भांडागारों को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक चलाने एवं भांडागारपालों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम पंजीकृत भांडागारों के भांडागारपालों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भांडागारपालों को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 का लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्रमुख विशिष्टताएँ, भांडागारों की मान्यता का उद्देश्य तथा, भांडागारों का पंजीकरण, कृषि वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, कीट नियंत्रण पीड़क जन्तु नियंत्रण, भांडागारण प्रबंधन, परक्राम्य भांडागारण रसीदों के माध्यम से वित्त पोषण, भांडागारो एवं वस्तुओं का बीमा आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए भांडागारों में भंडारित कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण, नमूनाकरण परिरक्षण की तकनीकों को वास्तविक रूप में जानने हेतु निकट के पंजीकृत भांडागारों का दौरा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को भाग लेने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए

2022–2023 में ए.यू.जे. जोधपुर, सी.सी.एस.एन.आई.एम. जयपुर, एन.आई.पी.एच.एम. हैदराबाद तथा एन सी सी टी नई दिल्ली, एलआईएनएसी गुरूग्राम के माध्यम से 17 (सतरह) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 715 भांडागार प्रबंधको को प्रशिक्षित किया गया है।

तालिका 3.18

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भांडागार प्रबंधकों की संख्या
1	सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम, जयपुर	3	170
2	एन.आई.पी.एच.एम., हैदराबाद	2	41
3	एन.सी.सी.टी. नई दिल्ली	9	396
4	एन.सी.डी.सी., एल.आई.एन.ए.सी, गुरूग्राम	2	68
5	ए.यू.जे, जोधपुर	1	40
	कुल	**17**	**715**

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 तक 111 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3844 प्रतिभागीयों को प्रशिक्षित किया गया।

तालिका 3.19

क्रम संख्या	वर्ष	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रषिक्षित किए गए भागिदारों की संख्या
1.	2011–12	एन.आइ.ए.एम. जयपुर	02	65
2.	2012–13	डॉ एम.सी.आर. इंस्टिट्यूट हैदराबाद एवम एन. आइ.ए.एम. जयपुर	04	131
3.	2013–14	डॉ एम.सी.आर. इंनस्टिट्यूट हैदराबाद, एन.आइ.ए. एम. जयपुर, सी.डब्लू.सी. हापुड़	11	414
4.	2014–15	आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़	10	354
5.	2015–16	सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (03) सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (01)	04	96

6.	2016–17	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (04), सी. सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (04)	08	211
7.	2017–18	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (03), सी. सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (02)	05	127
8.	2018–19	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (05)	09	265
9.	2019–20	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम.(08), एन.सी.सी.टी. (02),	14	455
10	2020–21	सी.डब्लू.सी (01), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जैयपुर (02), एन.सी.सी.टी. (08), और एन.सी.डी.सी., एल. आई.एन.ए.सी (03)	14	526
11	2021–22	सी.डब्लू.सी, (02), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (03),	13	485
		एन.सी.सी.टी. (05), तथा एन.सी.डी.सी., एल.आई. एन.ए.सी (03)		
12	2022–23	सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (03), एन.आई.पी.एच.एम (02),एन.सी.सी.टी. (09),एन.सी.डी.सी., एल.आई. एन.ए.सी (02), ए.यू.जे (01),	17	715
	कुल		**111**	**3844**

3.18.3 परखकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम

डब्ल्यू.डी.आर.ए ने परख तकनीकों से परिचित कर्मियों का एक प्रशिक्षित कैडर धीरे–धीरे विकसित करने के लिए परख प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए.टी.पी) भी शुरू किया है। ऐसा वेयरहाउसिंग सेक्टर से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान आईसीएम, मदुरै के माध्यम से कुल 05 परखकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे लगभग 117 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

3.19 आउटरीच कार्यक्रम, सेमिनार तथा एम.ओ.यू का निष्पादन

3.19.1 आउटरीच कार्यक्रम

डब्ल्यू.डी.आर.ए की छवि तथा कार्यो की जानकारी जन–जन पहुॅचाने के लिए पूरे भारतवर्ष में काफी संख्या में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्रों सहित कुछ का विवरण इस प्रकारः–

(I) आचार्य एन.रंगा कृषि विश्वविद्यालय गुंटूर में 10.03.2023 को आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पहले पी.ए.सी.एम ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी की जिसे अध्यक्ष, डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा प्राप्त किया गया।

(II) आगरा (उत्तर प्रदेश) में पी.ए.सी.सी.एस भांडागारों के लिए 4.03.2023 को प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन

(III) जम्मीकुंटा, जिला करीमनगर, तेलंगाना में दिनांक 22.07.2022 को किसानों, व्यापारियों तथा मिलर्स के लिए एन.आई.पी. एच.एम, हैदराबाद के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

(IV) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के सहयोग से डब्ल्यू.डी.आर.ए ने भांडागार कार्मिको के लिए 5 दिवसीय ऑनलाईन क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयेजित किया, जिसका उद्घाटन श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य द्वारा किया गया।

(V) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने आर.आई.सी.एम के सहयोग से कर्नाटक सैंट्रल को–ओपरेटिव बैंक लिमिटेड हुबली, धारवाड जिला कर्नाटक में 01.02.2023 को एक दिवसीय किसान जागरूता कार्यक्रम आयोजित किया

(VI) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने सैण्ट्रल वेअरहाउस मिराज (जी) के सहयोग से वर्ना सांस्कृतिक हाल, मार्केट यार्ड कालोनी में 05.12.2012 को एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयेजित किया।

(VII) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने सैण्ट्रल वेअरहाउस मिराज (जी) के सहयोग से वर्ना सांस्कृतिक हाल, मार्केट यार्ड कालोनी में 05.12.2012 को एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयेजित किया।

(VIII) आई.सी.एम.भोपाल के सहयोग से डब्ल्यू.डी.आर.ए ने 20.10.2022 को नलखेड़ा जिला अगरमालवा, मध्य प्रदेश में एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

(IX) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने आई.सी.एम तिरूवंतपुरम के सहयोग पप्पीनिवतोम सर्विस को कोआपरेटिव बैक ऑडिटोरियम त्रिसुर जिला, केरल में 07.10.2022 को एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

(X) एम.आई.सी.एम, भुवनेश्वर के सहयोग से डब्ल्यू.डी.आर.ए ने 29.07.2022 को कामास्यानगर, जिला डेनकेनला ओडिसा में एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

(XI) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने एन.आई.पी.एच.एम हैदराबाद के सहयोग से 22.08.2022 तक ए.पी.एस.डब्ल्यू, तेलंगाना एस डब्ल्यू.सी तथा डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ निजी भांडागारों के भांडागारपालों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(XII) डब्ल्यू.डी.आर.ए ने डी.एन.एस, आर.आई.सी.एम पटना के सहयोग से बिहार राज्य भांडागार निमग, हाजीपुर में 24.08. 2022 का एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम किया।

(XIII) आई.सी.एम.आर. मदुरई ने 11 जुलाई, 2022 से 15 जुलाई, 2022 तक परखकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

3.19.2 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों का निश्पादन

डब्ल्यू.डी.आर.ए के लिए देश में कृषि तथा किसानों की आय बढ़ानें के लिए संलग्न संगठनों के साथ काम करना आवश्यक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यू.डी.आर.ए ने कुछ महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

I) कृषि विश्विद्यालय जोधपुर के साथ 19.12.2022 को एम.ओ.यू.

ii) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय तथा बांदा कृषि विश्विद्यालय के साथ 23.03.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

iii) कानपुर तथा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालयों के साथ एम.ओ.यू

डब्ल्यू.डी.आर.ए, नई दिल्ली में डब्ल्यू.डी.आर.ए तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयाम्बटूर के साथ 23.03.2023 समझौता ज्ञापन।

डब्ल्यू.डी.आर.ए, कार्यालय, नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के बीच 23.03.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।

डब्ल्यू.डी.आर.ए, तथा कृषि विश्विद्यालय बांदा के बीच 23.03.2023 को डब्ल्यू.डी.आर.ए कार्यालय में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।

अध्याय –IV

गिरवी वित्तपोषण

4.1 परिचय

जैसा कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में परिकल्पित किया गया है, डब्ल्यू.डी.आर.ए विभिन्न हितधारकों जैसे किसानों, व्यापारियों, बैकों आदि के मध्य इ.एन.डब्ल्यू आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, देश में इ.एन.डब्ल्यू.आर ही केवल एकमात्र परक्राम्य भांडागार रसीद है। भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम यह अनुमति देता है कि केवल डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत भांडागार ही परक्राम्य भांडागार रसीद जारी कर सकते हैं। परक्राम्य भांडागार रसीद धारकों के पास विभिन्न कानूनी संरक्षण उपलब्ध हैं। अतः डब्ल्यू.डी.आर.ए के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा हितधारकों में न्यासी विश्वास बढ़ाना आवश्यक है।

4.2 ब्याज सहायता योजना

भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्डधारक छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए फसल कटाई के बाद छह महीने तक के लिए ब्याज सहायता लाभ का विस्तार किया है बशर्ते उत्पाद को भांडागार रसीद के विरूद्ध डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा मान्यता प्राप्त भांडागार में स्टोर करवाया गया है। इसके लिए ब्याज दर फसल ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण(7 प्रतिशत) के समान होगी। इस योजना से के.सी.सी. खातों वाले किसान इ.एन.डब्लू.आर के विरूद्ध फसल–बाद ऋण प्राप्त कर अपनी नकदी तरलता से जुड़े मुद्दों को समाधान कर सकते है।

4.3 रिपोजिटरी प्रणाली पर गिरवी प्रक्रिया

- रिपोजिटरी प्रणाली पर गिरवी प्रक्रिया निम्न प्रकार से संचालित की जाती हैः–
- जमाकर्ता वस्तु भंडारित करवाने के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत भांडागार में जाता है।
- स्टॉक की जाँच के बाद भांडागारपाल स्टॉक को भंडारित करने के लिए स्वीकृत करता है।
- भांडागारपाल, जमाकर्ता को इ–एन.डब्लू.आर/इ–एन.एन.डब्ल्यू.आर जारी करता है।
- जमाकर्ता ऋण–मांग को बैंक में प्रस्तुत करता है।
- बैंक इ–एन.डब्ल्यू.आर में अंकित विवरण की भांडागारपाल से पुष्टि प्राप्त करता है।
- भांडागारपाल से पुष्टि के बाद, बैंक इ–एन.डब्ल्यू.आर पर डिजिटल लियन मार्क करता है।
- बैंक जमाकर्ता को ऋण संवितरित कर देता है।

4.4 बोर्डिड बैंक

डब्ल्यू.डी.आर.ए के रिपोजिटरिज (एन.इ.आर.एल)/सी.सी.आर.एल अथवा दोनों पर) पर ऑनबोर्ड बैंको की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः–

तालिका 4.1 **डब्ल्यू.डी.आर.ए के रिपोजिटरीज के पास ऑन बोर्ड बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की संख्या**

क्रम.सं	श्रेणी	बैंकों की कुल सं.	आनबोर्ड बैको की सं.	ऑनबोर्ड किए जाने वाले बैंकों की सं.
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	11	1
2	निजी क्षेत्र के बैंक	21	12	9
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4	39
	कुल	**76**	**27**	**49**

4.5 गिरवी वितपोषण को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम

इ–एन.डब्ल्यू.आर को लोकप्रिय बनाने तथा इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के अधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(i) **इ–एन.डब्ल्यू.आर – गिरवी वित्तपोशण को बढ़ावा देने का प्रभावकारी साधन :** डब्ल्यू.डी.आर.ए के स्थापना दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'इ–एन.डब्ल्यू.आर–गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने का एक प्रभावकारी साधन' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। श्री सुधांशु पाण्डेय तत्कालीन सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा भंडारण क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों का आह्वान किया।

श्री सुधांशु पाण्डेय तत्कालीन सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

संगोष्ठी में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी निकायों के अधिकारियों कृषि/भांडागारण/लॉजिस्टिक/वित्तपोषण के क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों, रिपोजिटरी कमोडिटी एक्सचेंजों कमोजिटी बोर्डों, बैंको, उद्योग संगठन, प्रशिक्षण तथा डब्लयू.डी.आर.ए की निरीक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों, भांडागारपालों तथा मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। डब्लयू.डी.आर.ए द्वारा राज्य भंडारण निगमों, सार्वजनिक तथा निजी बैंकों, मार्केटिंग बोर्ड तथा भांडागारपालों द्वारा देश में गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री हरप्रीत सिंह तथा श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्यगण, डब्ल्यू.डी.आर.ए ने संगोष्ठी के दौरान सी.डब्ल्य.सी, तमिलनाडु राज्य भंडागारण निगम, सी.सी.आरएल,एन.ई.आर.एल एन.सी.एम.एल के प्रबन्ध निदेशकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रोडेक्ट प्रमुख, आई.सी.आई.सी.आई के साथ पैनल चर्चा में भाग लिया।

संगोष्ठी में संघ सरकार, नियामक निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनोंके अधिकारियों, सार्वजनिक तथा निजी बैंकों तथा भंडारण निगमों, रिपोजिटरीज, कमोडिटी एक्सचोजों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग चैम्बरों भांडागारपालों ने भाग लिया।

(II) त्रिप्पुर जिला, तमिलनाडु में आयोजित आउटरीच कार्यक्रमः सभी हितधारकों के लिए त्रिप्पुर जिले में 20.04.2022 को आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य कृषि विपणन, सहकारिता, उप पंजीयक, पी.ए.सी.के.भ.नि, राज्य भंडारण निगम तथा रिपोजिटरीज से इस सत्र में कुल मिलाकर 95 भागीदारियों ने हिस्सा लिया।

सदस्य, डब्ल्यू.डी.आर.ए श्री मुकेश जैन ने 20.04.2022 को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक से मुलाकात कर डब्ल्यू.डी.आर.ए से संबंधित विभिन्न मुद्दों, इ–एन.डब्ल्यू.आर इको सिस्टम, फसल कटाई के पश्चात प्रबंधन तथा कृषि भांडागारण पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों जैसे ग्रामीण वित्तपोषण इ–एन.डब्ल्यू.आर का प्रभाव भांडागारण प्रणाली में एफ.पी.ओ की भागीदारी, डब्ल्यू.डी.आर.ए के कार्यो को पाठयक्रम में शामिल करने के लिए इसमें बदलाव, रिपोजिटरी प्रणाली इ–एन.डब्ल्यू.आर जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

(III) बीकानेर में आउटरीच कार्यक्रम श्री मुकेश जैन, सदस्य डब्ल्यू.डी.आर.ए ने 29.04.2022 को सी.डब्ल्यू.सी के बीकानेर राजस्थान स्थित वेअरहाउस–11 का दौरा किया। वेअरहाउस प्रबंधक श्री अमर यादव ने डब्ल्यू.डी.आर.ए के अधिकारियों को भांडागारण परिचालनों की विस्तार से जानकारी दी

यह आउटरीच कार्यक्रम 29.04.2022 को सभी हितधारकों के साथ एस. के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक, एच.डी.एफ.सी, यस बैक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारीगण, वेअरहाउस प्रबन्धक, के .भ.नि, एस.डब्ल्यू.सी तथा रिपोजिटरी ने इस सत्र मे भाग लिया। सदस्य डब्ल्यू.डी.आर.ए श्री मुकेश जैन ने इ–एन. डब्ल्यू.आर प्रणाली तथा इ–एन.डब्ल्यू.आर के माध्यम से गिरवी वित्तपोषण के महत्व तथा लाभों पर प्रकाश डाला।

(IV) मुरैना, मध्य प्रदेश में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य, डब्ल्यू.डी.आर.ए ने 06.05.2022 को मुरैना, मध्य प्रदेश में पंजीकृत भांडागार, मुरैना, मध्य प्रदेश का दौर किया।

(V) मुरैना, मध्य प्रदेश में 06.05.2022 को सभी हितधारकों के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, एच.डी.एफ.सी, आई.ओ.बी, प्रमुख सी.एफ.पी.ओ तथा रिपोजिटरी, को मिलाकर इस सत्र में 52 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सदस्य, डब्ल्यू.डी.आर.ए श्री मुकेश जैन ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के लाभ तथा महत्व एवं इ–एन.डब्ल्यू.आर के माध्यम से गिरवी वित्तपोशण के बारे में प्रकाश डाला।

;(VI) दिनांक 13.01.2023 मुम्बई में नाबार्ड के प्रधानकार्यालय में इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्व डिजीटल वितपोषण पर सम्मेलन का आयोजन

4.6 बैंको के साथ बैठक

डब्ल्यू.डी.आर.ए, डिजिटल भांडागार रसीद अर्थात् डब्ल्यू.डी.आर.ए के पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध फसल बाद ऋृण के युग की शुरूआत बैंको को विश्वास में लेने के लिए सीधे उनके साथ सर्म्पक करता आ रहा है। काफी बैंको जैसे (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई.सी.आई.सी आई, एच, डी एफ, सी, यस बैंक, सैण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक आदि) के माध्यम से गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक की गई।

4.7 बैंको के साथ समझौता ज्ञापन ।

दिनांक 13.03.2023 को इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए तथा पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी) के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया।

डब्ल्यू.डी.आर.ए तथा पंजाब नेशनल बैक ने 13.03.2023 को इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्व वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए एम. ओ.यू. का आदान–प्रदान किया

4.8 गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई पहल

वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 25.01.2023 के अपने पत्र सं. 3 / 67 / 2022–ए.सी द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को 'एस. बी.आई उत्पाद विपणन ऋृण की लाइन पर ऋृण प्रोडेक्ट तैयार करने की संभावना पर विचार करने की सलाह दी है। वित्तीय सेवा विभाग ने 17.01.2023 के अपने पत्र सं 3 / 67 / 2022 द्वारा एस.एल.बी.सी के संयोजको को यह सलाह भी दी है कि वे अपनी बैठकों में इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण को अपनी कार्यसूची को एक स्थायी मद बनाएँ। इ–एन.डब्लयू.आर तथा डब्ल्यू.डी.आर.ए के विनियम के लाभों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋृण सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब यह कृषि उत्पाद को गिरवी / बंधक रखकर (भांडागार रसीद सहित, 12 मास की अवधि के लिए 50.00 लाख रूपए बढ़ा कर 75.00 लाख रूपए कर दी गई है। अन्य भांडागार रसीदों के लिए ऋृणसीमा 50.00 लाख रू. है।

4.9 गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा की गई पहल

डब्ल्यू.डी.आर.ए के पजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्व किसानों को श्रृण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक नया प्रॉडक्ट ''उत्पाद विपणन ऋृण'' शुरू किया है।

4.10 गिरवी वित्तपोषण में वृद्वि

डब्ल्यू.डी.आर.ए पंजीकृत भाण्डागारों ने अब तक 5 लाख से भी अधिक एन.डब्ल्यू.आर/इ–एन.डब्ल्यू.आर जारी की है। काफी बैंकों ने इ–एन.डब्ल्यू.आर के विरूद्ध गिरवी ऋृण देना शुरू कर दिया है तथा गिरवी ऋृण के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। यह बैंकों तथा जमाकर्ताओं का इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली विश्वास को दर्शाता है।

आकृति 4.1

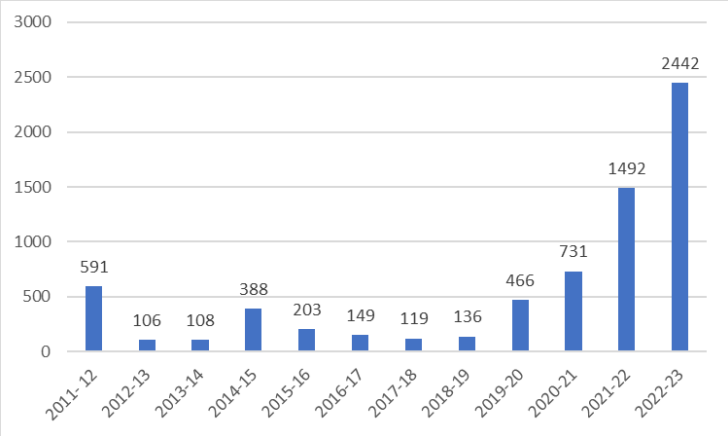

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य वार जारी की गई इ–एन.डब्ल्यू.आर का विवरण

तालिका 4.2

क्र.म सं.	राज्य का नाम	इ–एन.डब्ल्यू.आर की सं.	अनुमानित मूल्य	मात्रा (मी.टन में)
1	**आंध्रप्रदेश**	1583	2843928891	53534
2	**असम**	42	39716600	666
3	**बिहार**	3	102504	9
4	**छत्तीसगढ़**	24	54567456	1499
5	**गुजरात**	32563	17358590139	198064
6	**हरियाणा**	164	545179205	10920
7	**कर्नाटक**	675	3337831315	30525
8	**केरल**	5	8642600	5
9	**मध्य प्रदेश**	3169	4152276597	106081
10	**महाराष्ट्र**	2776	2134459362	26310
11	**पदुचेरी**	32	86655866	2113
12	**पंजाब**	40	1132627337	31072
13	**राजस्थान**	17780	18995114185	211193
14	**तमिलनाडु**	882	1975429524	44188
15	**तेलंगाना**	953	561254086	10075
16	**उत्तर प्रदेश**	3771	2410857465	28175
	कुल	**64462**	**55637233132**	**754429**

वित्तीय वर्ष 2022–2023 में वस्तुवार जारी की गई इ–एन.डब्ल्यू.आर की संख्या

आकृति 4.2

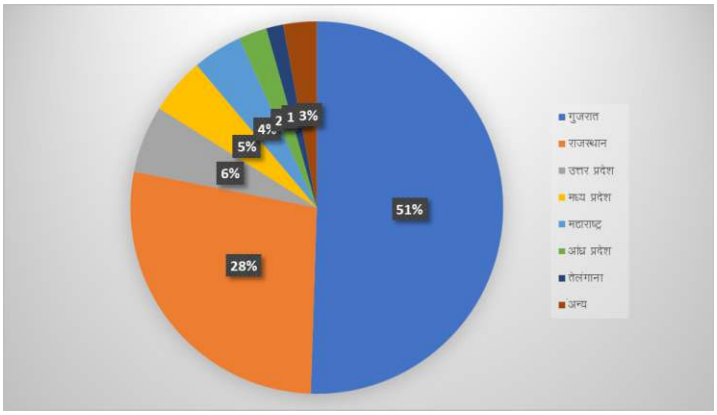

वित्तीय वर्ष 2022–23 में वस्तुवार जारी की गई इ–एन.डब्ल्यू.आर की संख्या

इ–एन.डब्ल्यू.आर की संख्या

आकृति 4.3

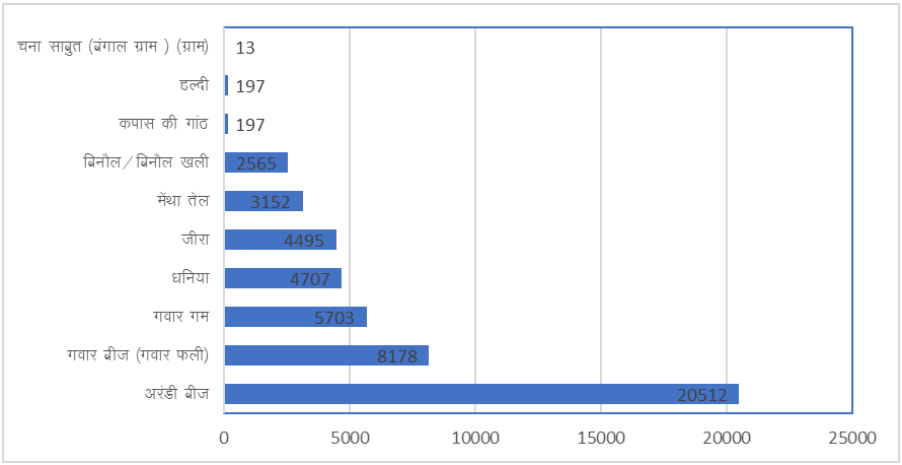

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जारी की गई एन.डब्ल्यू.आर. का वस्तुवार मूल्य

आकृति 4.4

(करोड़ रू. में)

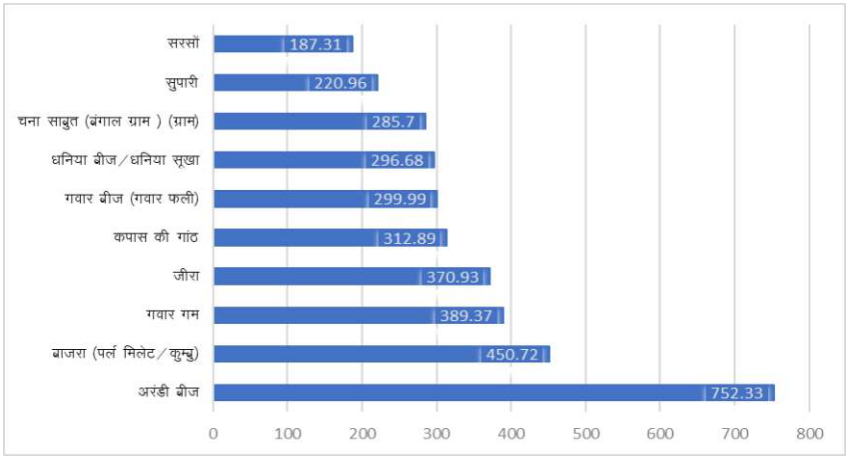

वित्तीय वर्ष 2022–23 में वस्तुवार मात्रा का विवरण

आकृति 4.5

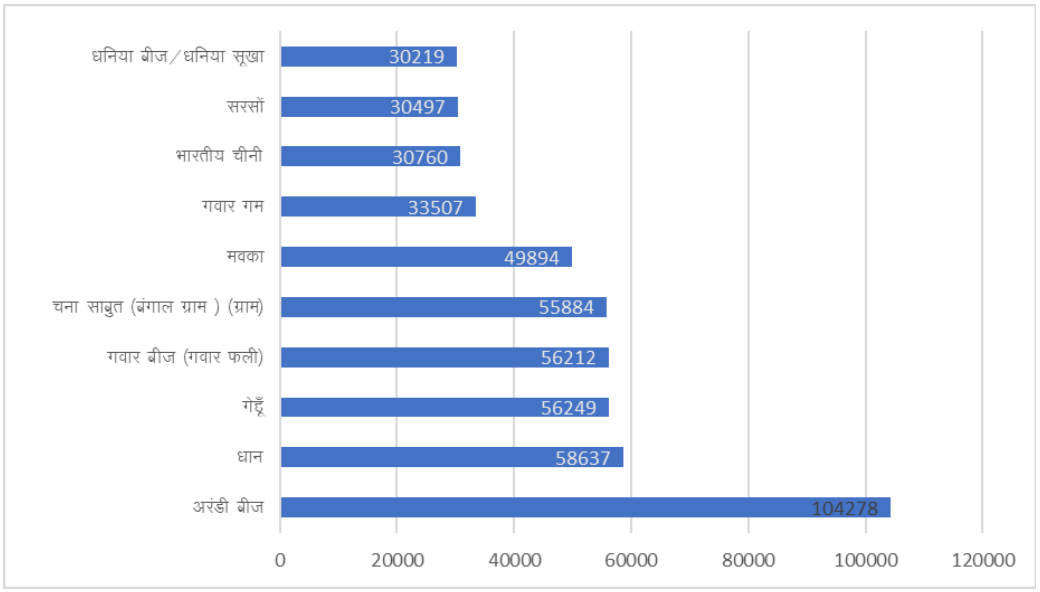

अध्याय –V

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

5.1 परिचय

परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली में निम्नलिखित चुनौतियों के कारण एन.डब्लू.आर परितंत्र का विस्तार सीमित है:–

(i) भांडागारण क्षेत्र अधिकतर असंगठित तथा छितरा हुआ रहा है।
(ii) भांडागारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है। अतः पंजीकृत भांडागारों की संख्या में वृद्धि सीमित है।
(iii) अधिनियम के अन्तर्गत विनियमन की रूपरेखा अपर्याप्त है।
(iv) पंजीकरण प्रणाली तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की प्रक्रिया कागज आधारित थी।
(v) पंजीकृत भांडागारों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रणाली अपर्याप्त थी।

उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी) के सहयोग से सार्वजनिक भांडागारण के परितंत्र को सशक्त बनाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के विरूद्ध किसानों/जमाकर्ताओं को फसल कटाई बाद ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रुपान्तरण योजना शुरू की थी।

रुपान्तरण योजना का प्रमुख केन्द्र बिन्दु परक्राम्य भांडागार रसीदों के उपयोगकर्ताओं एवं पंजीकृत भांडागारों को निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर सेवाएँ प्रदान करना रहा है:–

(क) भांडागारण क्षेत्र के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन
(ख) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के संबंध में नियमों तथा विनियमनों का पुनर्लेखन
(ग) भांडागार निरीक्षण प्रणाली तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा को सशक्त बनाना।
(घ) भांडागारों के पंजीकरण तथा निगरानी सहित प्राधिकरण के आंतरिक कार्यालय स्वचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

5.2 रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ

रूपानन्तरण योजना के अधीन मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गई:–

(i) भारत में भांडागारण क्षेत्र के संबंध में एक गुणात्मक सर्वेक्षण तथा तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण करना।
(ii) भांडागारों के पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, भांडागारों के निरीक्षण की सशक्त प्रणाली एवं शिकायत एवं विवाद निवारण प्रणाली तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना।
(iii) जमा किए गए स्टॉक के लिए पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन. डब्लू.आर.) के सृजन एवं प्रबंधन के लिए आई.टी. आधारित परितंत्र स्थापित करने हेतु रिपोजिटरीज को लाइसेंस देना।
(iv) सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा डब्लू.डी.आर.ए के पोर्टल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इको सिस्टम, ऑनलाइन व्यवसाय प्रक्रियाएँ पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली, आंतरिक स्वचालन आदि।

5.3 रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ

5.3.1 गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण

(क) गुणात्मक सर्वेक्षण

प्राधिकरण ने अप्रैल–जून 2015 में भारत में एन.आई.पी.एफ.पी के माध्यम से 9 राज्यों के 11 जिलों में गुणात्मक सर्वेक्षण कराया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में भांडागारण व्यवसाय में भांडागार परितंत्र के संबंध में हितधारकों के अनुभवों को जानना तथा भांडागार रसीद की वित्त बाजार में गहरी पहुँच तथा तत्संबंधी जोखिम को समझना था।

(ख) प्राधिकरण ने मैसर्स टी.एन.एस. प्रा.लि. नामक एक सर्वेक्षण एजेंसी से 2015–18 की अवधि में तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य उद्योग के अंदर (प) आधारभूत सुविधाओं पप) मालिकाना हक (पपप) प्रयोग पैटर्न (पअ) कमोडिटी वित्त पोषण (अ) भांडागारपालों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं की चिंताओं तथा हितों को जानना था।

पहला मात्रात्मक सर्वेक्षण 2015–16

- पहला वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 में अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक आयोजित किया गया
  दूसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17
- दूसरा वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17, जून, 2016 से अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित किया गया।
  तीसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2017–18
- तीसरा वार्षिक मात्रात्मक 2017–18 जनवरी 2017 से जून, 2017 के दौरान किया गया।

5.3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना।

रूपान्तरण योजना के अधीन पंजीकृत भांडागारों के लिए सरल तथा प्रभावी विनियमों तथा इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली हेतु निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशा निर्देश अधिसूचित/जारी किए गए:–

(I) रिपोजिटरीज तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन दिशानिर्देश 20.10.2016 को जारी किए गए।

(ii) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 भारत सरकार द्वारा 23.02.2017 को अधिसूचित किए गए।

(iii) निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश 03.03.2017/26.12.2018 को जारी किए गए।

(iv) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम 29.06.2017 को जारी किए गए।

(v) भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा अपेक्षा पर 6 जुलाई, 2017 को परिपत्र जारी किया गया जिसे बाद में प्रतिभूति जमा की अपेक्षा में संशोधन के लिए 2 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किए गए।

(vi) शिकायतों एवं विवादों के निवारण संबंधी दिशानिर्देश 06.12.2017 का जारी किए गए।

(vii) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन एवं प्रबंधन के लिए पंजीकृत रिपोजिटरीज हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 23.04.2019 को जारी किए गए।

5.3.3 रिपोजिटरिज को लाइसेंस देना तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।

प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन सहित इ–इन.डब्लू.आर से संबंधित सूचना की गोपनीयता, विश्वसनीयता तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दो रिपॉजिटरी स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया ताकि इ–एन.डब्लू.आर. का हस्तातरण, गिरवी रखा जाना तथा निकासी इ–एन.डब्लू.आर. धारक के अनुरोध के अनुसार किया जा सकेः–

- मैसर्स सैण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसिज लि. (सी.डी.एस.एल) द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कमोडिटी रिपोजिटरी लि. (सी.सी.आर.एल)।

- नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज (एन.सी.डी.एक्स) द्वारा प्रायोजित मैसर्स नेशनल ई–रिपोजिटरी लि. (एन.ई.आर. एल) ।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को पंजीकृत भांडागारों द्वारा रिपोजिटरी प्रणाली पर इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद जारी करना आरम्भ किया था। प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को उपर्युक्त दोनों रिपोजिटरी को परिचालन शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए। रिपोजिटरीज ने 26 सितम्बर, 2017 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। रिपोजिटरीज ने पंजीकृत भांडागारों को ऑनबोर्ड किया तथा रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को रिपोजिटरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए रिपोजिटरी भागीदार (आर.पी.) लगाए हैंः–

रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ता निम्नलिखित हैंः–

- डब्लू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत भांडागार (सीधे ऑनबोर्ड),
- जमाकर्ता/क्रेता–ग्राहक,
- क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज,
- बैक/वित्तीय
- संस्थाएँ,
- रिपोजिटरी भागीदार,
- नीलामी प्लेटफार्म लिंकेज,

रिपोजिटरी प्रणाली के प्रारम्भ से कुल 4,60,063 इ–एन,डब्लू, जारी की गई हैं। वर्ष 2022–23 में 64,462 इ–एन,डब्लू.आर जारी की गईं।

कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज से सहसंबद्धता

प्राधिकरण द्वारा विनियमित रिपोजिटरी अर्थात् मैसर्स सी.सी.आर.एल तथा मैसर्स एन.ई.आर.एल ने क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज जैसे एन.सी.डी.एक्स, एम.सी.एक्स, आई.जी.एक्स, बी.एस.ई आदि के साथ इंटरफेस विकसित किया है। इ–एन.डब्लू.आर. डेरीवेटिव कांट्रेक्ट सेटलमेंट के लिए प्रयोग की जाती है।

इ–एन.डब्लू.आर. का ई–नैम के साथ एकीकरण

ई–एन.डब्ल.आर का भारत सरकार की ई–नैम (इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी) के साथ एकीकरण हेतु इंटरफेस विकसित किया गया है ताकि इ–एन.डब्लू.आर. की ट्रेडिंग की सुविधा इ–नैम पर उपलब्ध हो सके। इ–नैम प्लेटफार्म अप्रैल, 2020 से परिचालन में है।

5.3.4 प्राधिकरण का आई टी इकोसिस्टम

प्राधिकरण ने अपने आई टी अनुप्रयोगों के विकास के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मैसर्स सी.एम.एस कंप्यूटर्स को लगाया है। निम्नलिखित आई टी मॉड्यूल विकसित किए गए हैं तथा परिचालित हैं :–

क) डब्लू.डी.आर.ए ई पोर्टल– प्राधिकरण की वेबसाइट www.wdra.gov.in

ख) ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा–निरीक्षण मॉडयूल

- भांडागारों का पंजीकरण
- भांडागार का निरीक्षण आबंटन तथा रिपोर्टिंग
- भांडागार के पंजीकरण का नवीकरण
- भांडागार के पंजीकरण का अभ्यर्पण
- भांडागारों के पंजीकरण का रददीकरण
- प्रतिभूति जमा (एस.डी) की समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ई–मेल अलर्ट का एकीकरण
- बीमा समाप्ति के लिए एस एम एस/ ईमेल अलर्ट का एकीकरण
- प्रभावी नियंत्रण समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ई–मेल अलर्ट का एकीकरण
- पंजीकरण/नवीकरण के लिए लचीली अवधि की सुविधा
- ए.आर. द्वारा ए.ए.आर जोड़ना/परिवर्तन
- ईमेल आधारित सपोर्ट टिकट प्रबंधन का क्रियान्वयन

ग) पर्यवेक्षण तथा निगरानी प्रणाली

- भांडागार पंजीकरण रिपोर्ट
- इ–एनडब्लू.आर. रिपोर्ट
- डब्लू.आर. एम.एस. गुणवता रिपोर्ट
- एम.आई.एस.एम.एस रिपोर्ट जिसमें सारांश रिर्पोट, विस्तृत रिपोर्ट, अपवाद रिपोर्ट तथा, अलर्ट शामिल है।

घ) ई.आर.पी लेखाकरण सिस्टम (ओडीओओ)

- लेखाकरण
- पे रोल
- सम्पत्ति वस्तु सूची प्रबंधन

ङ) डब्लू.डी.आर.ए शिकायत निवारण प्रणली

च) ई–लर्निंग, प्लेटफार्म

छ) आई.टी.हेल्पडेस्क की स्थापना

ज) रिपोजिटरी के साथ डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल का एकीकरण

झ) ई–कार्यालय की शुरूआत

ञ) भांडागारण प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू.एम)

ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण सहित डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल की शुरूआत 26 सितम्बर, 2017 को गई थी। ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण माड्यूल ने 1 नवम्बर, 2017 से पूरी तरह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

5.3.5 2022–23 के दौरान आईटी प्लेटफॉर्म का विकास

वर्ष के दौरान आई टी प्लेटफार्म में निम्नलिखित सुधार किए गए:–

(क) डब्ल्यू.डी.आर.ए तथा रिपोजिटरी आई.टी.प्रणाली के गिरवी मूल्य से जुड़ा डेटा साझा की प्रक्रिया का क्रियान्वयन

(ख) इ–एन.डब्ल्यू.आर, भांडागार तथा रिपोजिटरी से जुड़ी विविध रिपोर्टे डिजाइन कर आंतरिक तथा बाहरी प्रयोगकर्ता स्तर पर उपलब्ध कराई गई
(ग) एम.आइ.एस. डेटा साझा करने के लिए मंत्री के डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेशन
(घ) डब्ल्यू.डी.आर.ए पोर्टल का नेशनल विंडो सिस्टम प्रणाली के साथ इंटीग्रेशन
(ड़) डी.एस.डी देखने के लिए भांडागारपाल के लिए सुविधा
(च) डब्ल्यू.डी.आर.ए के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न आई.टी.टूल्स का विकास

5.3.6 डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी/डी.आर

डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी सी पी/डी.आर प्रबंधन सलाहकार की सिफारिश पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में डब्लू.डी.आर.ए डेटा तथा अन्य आई.टी सम्पदा के लिए प्राधिकरण ने जोखिम प्रबंधन अपनाया है।

डब्लू.डी.आर.ए अपने सम्पूर्ण आई.टी सोल्यूशन के लिए नोएडा स्थित सी–डैक से क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त डब्लू.डी.आर.ए ने हैदराबाद स्थित डिजास्टर रिकवरी (डी–आर) क्लाउड सेवाएँ उसी संगठन (सीडीएसी) से किराए पर ली हैं ताकि सेवाओं की अनुपलब्धता की जोखिम समाप्त हो सके।

डब्लू.डी.आर.ए में स्टोरेज मीडिया के लिए नियत्रित बैकअप हेतु सी–डैक बैकअप सेवाएँ ली हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में आवश्यक होने पर बैकअप डैटा को उपयोग में लाया जा सके।

कार्यालय परिसर में किसी घटना की स्थिति में डब्लूडीआरए ने अपने कार्मिको हेतु ई–ऑफिस के लिए वीपीएन आधारित एक्सेस तथा पोर्टल के लिए वैब–आधारित सिक्योर क्रेडेसियल आधारित एक्सेस उपलब्ध कराई ताकि वे घर अथवा अन्य स्थान पर कम्प्यूटर/लैपटाप/स्मार्टफोन का प्रयोग कर कार्यालय का काम कर सकें।

डब्लू.डी.आर.ए ने भांडागारपालों अथवा अन्य विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा, करारों के रूप में प्राप्त बैंक गारंटियों/एफ.डी. आर के लिए अग्निरोधी शेल्फ की व्यवस्था की है।

डब्लू.डी.आर.ए ने अपने परिसर के अन्दर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए हैं।

5.3.7 डब्लू.डी.आर.ए ने व्यवसाय निरंतरता योजना/डिजास्टर रिकवरी (बी.सी.पी/डी.आर) क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित की है:–

- बी.सी.एम/बी.सी.पी समिति संबंधित हितधारकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर संसाधनों के आबंटन, प्राथमिकताएँ स्थापित करना तथा विवादों के निवारण तथा रणनीतिक मागदर्शन करेगी तथा समीक्षा उपलब्ध कराएगी।

- बी.सी.पी/डी.आर. आपातकाल रिस्पोंस टीम (ई.आर.टी) आई.टी रिकवरी योजना क्रियान्वित करने सहित क्षति मूल्यांकन, बचाव तथा मरम्मत परिचालन, बी.सी.पी. प्रक्रिया के अनुसार डी.सी.डी.आर को देखेगी। इसके अलावा यह समिति प्राथमिक तथा माध्यमिक स्थानों, का सिस्टम निराकरण नेटवर्क एवं अनुप्रयोग के मुद्दे देखेगी तथा मॉक ड्रिल आयोजित करेगी।

- क्षतिपूर्ति आकलन दल (डी.ए.टी), आपातकाल प्रबन्धन एवं रिकवरी का प्रबंधन एवं समन्वय का कार्य देखेगी तथा उपयुक्त हितधारकों के साथ सूचना साझा करेगी संभावित आपदा प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा क्षतिपूर्ति आकलन रिपोर्ट स्वीकार कर व्यापार निरंतरता योजना का निर्णय करेगी तथा संबंधित कर्मचारियों को शामिल करेगी।

अध्याय –VI

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले

6.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

:

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में स्वीकृत तथा भरे गए पद निम्नानुसार हैं :

तालिका: 6.1

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव	1	1
2	निदेशक	3	1
3	अवर सचिव	2	2
4	उप निदेशक	9	5
5	प्रधान निजी सचिव	1	–
6	सहायक निदेशक	8	8
7	अनुभाग अधिकारी	2	1
8	सहायक स्तर 7	11	5
9	सहायक स्तर 6	1	1
10	लेखाकार	1	–
11	निजी सचिव	2	1
12	स्टाफ फील्ड अधिकारी	1	–
13	निजी सहायक/आशुलिपिक	2	2
14	ड्राइवर	1	1
	कुल	**45**	**28**

डब्ल्यू.डी.आर.ए के कार्यों में विस्तार के साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई हैं, 31.03.2021 को यह संस्था 16 थी, जो बढ़ कर 31.03.2022 को 22 तथा 31.03.2023 को 28 हो गई।

6.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य।

तत्कालीन निदेशक (प्रशासन और वित्त), श्री गणेश ए. बाकड़े के अवधि समाप्ति अवकाश पर जाने तथा तत्पश्चात् कार्यमुक्त होने के बाद, मुख्य सतर्कता अधिकारी का प्रभार 12.06.2022 तक सुश्री पूजा मागो, उप निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा संभाला गया। श्री जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन और वित्त),13.06.2022 से प्राधिकरण के सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कोई मामला विचारधीन अथवा लंबित नहीं था।

6.3 प्राधिकरण में सूचना का अधिकर अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुश्री प्रीति कुमार, अवर सचिव (प्रशासन एवं वित्त) ने 18.04.2022 तक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का प्रभार संभाला। तत्पश्चात श्री जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) को 15.06.2022 से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया गया। सुश्री नवनीत संधू, उप निदेशक (प्रशा. वित्त एवं संविदा) ने वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय सहायक जन सूचना

अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। श्री हरप्रीत सिंह, तत्कालीन सदस्य तथा तत्पश्चात् श्री धीरज साहू, संयुक्त सचिव ने वर्श 2022–23 में अपीली अधिकारी के रूप में कार्य किया। यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण की वैबसाइट पर दर्शायी गई। वर्श 2022–23 में आर.टी.आई अधिनियम के अन्तर्गत 07 संदर्भ प्राप्त हुए, जिनके लिए समय पर सूचना प्रदान की गई।

6.4 राजभाषा क्रियान्वयन।

प्राधिकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 30 जून, 2022, 24 सितम्बर, 2022, तथा 17 मार्च 2023 को आयोजित की गई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दक्षिण दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए दक्षिण दिल्ली–03 नराकास समूह का गठन किया गया। महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान की अध्यक्षता में छमाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए नराकास की बैठके 24 जून, 2022, 29 नवम्बर, 2022 तथा 16.03.2023को आयोजित की गईं।

प्राधिकरण में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2022 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियो के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। पखवाड़े का शुभारम्भ एन.सी.यू.आई परिसर में, जहाँ प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है, पौधारोपण तथा प्रतिज्ञा ग्रहण कार्यक्रम द्वारा हुआ। कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, आदि आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाडे के शुभारम्भ पर प्राधिकरण के अधिकारीगण प्रतिज्ञा गंहण करते हुए

6.5 स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन।

वर्ष 2022–23 में 3 अक्तूबर, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 एवं 16–28 फरवरी, 2023 के मध्य प्राधिकरण में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया । इस अवधि में निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई गईः–

I. पखवाड़े के प्रारम्भ में स्वच्छता प्रतिज्ञा ली गई तथा अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के परिसर में पौधारोपण किया गया।

ii. कार्यालय में तथा कार्यालय से बाहर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

iii. डब्ल्यू.डी.आर.ए कार्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें प्राधिकरण के काफी सदस्यों ने भाग लिया। कर्मचारियों के उत्साहवर्द्धन के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी पोस्टर लगाए गए।

iv. स्वच्छता पखवाड़े के दौरान 23.02.2023 को डब्लयू.ड़ी.आर.ए के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने श्रीमद दयानंद वेदर्श महाविद्यालय गौतम नगर, नई दिल्ली में विद्यालय के छात्रों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया।

v. स्वच्छता पखवाड़े के दौरान 24.02.2023 डब्ल्यू.डी.आर.ए के अधिकररियों डे टाइम हायर सैकंण्डरी स्कूल, किदवई नगर, नई दिल्ली स्वच्छता के महत्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की गई तथा छात्राओं में नैपकिन वितरित की तथा मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला।

vi. कर्मचारियों के लिए स्वच्छता के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई जिसका विषय प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण हितैशी ढ़ंग से निपटान था। कार्यशाला का प्रमुख बिन्दु प्रत्येक नागरिक द्वारा मन, शरीर तथा आसपास के स्थानों की स्वच्छता था।

vii. पखवाड़े के दौरान, कार्यालय परिसर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर कार्मिकों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना था। इस नीति–विषयक कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

viii. समापन समारोह में सभी स्वच्छता कर्मियों को दैनिक जीवन में स्वच्छता रखने तथा इस दिशा में उत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया।

छात्रो के लिए स्टेश्नरी का वितरण

विद्यालय मे छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन का वितरण

कार्यालय मे पौधारोपण

डब्लू.डी.आर.ए. के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता प्रतिज्ञा लिया जाना

डब्लू.डी.आर.ए. के कार्यालय के बाहर स्वच्छता अभियान

6.6 प्राधिकरण के कार्मिकों का प्रशिक्षण

डब्ल्यू.डी.आर.ए में नियमित प्रशिक्षण विकासात्मक सत्र आयोजित किए गए।

i. भांडागारों के पंजीकरण के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रयोग के लिए अधिकाररियों तथा कर्मचारियों को कार्य आबंटन के अनुसार नए सुधारों के अनुरूप प्रशिक्षण किया गया।

ii. मैसर्स रतनी फाइनेंस ने दिनांक 29.04.2022 डब्ल्यू.डी.आर.ए के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आधार पर आधा दिन की पर्सनल फाइनेंस कार्यशाला आयोजित की।

iii. सूचना प्रौद्योगिकि प्रभाग द्वारा 31.05.2022 का डब्ल्यू.डी.आर.ए के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए डेटा विश्लेशण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

iv. डब्ल्यू.डी.आर.ए के कुछ कर्मचारियों ने 28.29 जून, 2022 को राश्ट्रीय उत्पादकता परिशद के सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर, 2017) पर दो अर्धदिवसीय विशेशीकृत ऑनलाइन इ–प्रशिक्षण में भाग लिया।

v. डब्लयू.डी.आर.ए के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आई.एस.टी.एम के अतिथि संकाय प्रशिक्षक श्री मनीश कुमार भार्मा ने 28.09.2022 तथा 17.10.2022 पावर प्वाइंट प्रेजेनटेशन तथा प्रेजेनटेशन कुशलताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

6.7 वर्ष 2022–23 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे।

वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत बजट के विरूद्ध 1516.90 लाख रू की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। अन्य प्राप्तियाँ 79.97 लाख रू थीं (जिसमें पंजाब नेशनल बैक से प्राप्त 5.24 लाख रू की ब्याज राशि शामिल है) तथा गत वर्ष 2021–22 से आगे लाई गई खर्च न हुई 148.60लाख रू राशि थी। इस प्रकार कुल प्राप्ति 1745.53 लाख रू थी। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 1648.22लाख रू था। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अनुपयोग न हुई राशि 97.31 लाख रू थी, जिसे आगामी वित्त वर्ष 2023–24 में अग्रेनीत किया गया है।

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक (कृषि, खाद्य, जल स्रोत) नई दिल्ली के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक–I एवं II पर संलग्न है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष को लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रमुख टिप्पणी नहीं की गई है। तथापि सी.ए.जी की अलग आडिट रिपोर्ट पर प्राधिकरण उत्तर/टिप्पणियाँ अनुलग्नक–III पर दी गई हैं।

6.8 डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग

डब्लू.डी.आर.ए एक पूरी तरह डिजिटल सगठन है तथा पेपरलैस कार्यालय चलाता है। भांडागारों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन है। ई–फाइल प्रक्रिया के लिए 01.01.2018 से ई–ऑफिस आरम्भ किया गया। जून, 2018 से ऑनलाइन शिकायत बुकिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। वेबसाइट तथा वेबपोर्टल उपयोगकर्ता के प्रयोग के लिए और सरल तथा यूजर फ्रैंडली हो गया है। डब्लूडीआरए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को डीपीआईटी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्लूएस) के साथ एकीकृत किया गया है। डब्लूडीआरए के कार्यालय में विभिन्न हितधारकों के साथ विडियो कांफ्रेसिंग सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण एजेंसियों को आटोमेटिड निरीक्षण आबंटन के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की गई है।

Annexure-I

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

For the Financial Year 2022-23

Warehousing Development and Regulatory Authority

NCUI Building,
4th Floor, 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016

Manoj Mohan & Associates

Chartered Accountants Since 1999

Date: 21.06.2023

AUDIT REPORT

We have conducted concurrent audit of Accounts of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) for the Financial Year 2022-23. We have examined all payment vouchers, journal entries, accounts ledgers, bank accounts, etc. for the Financial Year 2022-23.

Concurrent audit is a systematic and timely examination of financial transactions on a regular basis to ensure accuracy, authenticity, compliance with procedures and guidelines and especially status of compliance with WDRA Act with respect to Accounts and identify areas of improvement to enhance efficiency.

Our audit plan involved the following:

- Examination of maintenance of books of accounts
- Examination of payment vouchers and evidence based payments
- Ensuring accuracy and timeliness in maintenance of books of accounts
- Ensuring timeliness and accuracy of financial statements

We are satisfied with the status of the maintenance of books of accounts, preparation and entries of payment vouchers, accuracy and timeliness in maintenance of accounts, accuracy of financial statements and compliance with laid down systems, procedures and policies.

We, further report according to Section 37(1) of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 all fees and charges received by the Authority should be credited to the WDRA Fund. Section 37(2) further provides that the Fund is meant for meeting expenses on:

(a). The salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority and

(b). The other expenses of the Authority in connection with the discharge of its functions and for the purposes of this Act

As per Accounts of Financial Year 2022-23, WDRA has earned an income of Rs. 147.30 lakh towards Registration/renewal fee of Warehouses and other receipts. However, this income has been credited to Sundry Payable Account and shown as liability in the books of accounts which is not in consonance with the provisions of Section 37(1) of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007. In our opinion, these receipts should have been accounted for as income in the books and not as liability.

Other income (Schedule-18) includes Rs. 9,56,651/- which is excess provisions/ liabilities pertaining to previous years.

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 009195C

CA Ravi Kumar Gupta
Partner
Membership No. 057046

Manoj Mohan & Associates is a
MSME Registered & ISO 9001 - 2015 Certified CA Firm
H.O.: F 18A Sector 27 Noida 201301 UP INDIA
mma.ca@rediff.com www.mmaca.org
+91 120 4314155; 2556515
www.mmaca.in

FORM A
(See Rule 3)
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		**307,886,472**	**306,921,408**
Corpus/Capital Fund	1	**152,620,471**	**170,162,135**
Corpus/Capital Fund(Opening)		170,162,135	168,871,084
EXCESS/DEFICIT OF INCOME & EXPENDITURE		-17,541,664	1,291,051
Reserve and Surplus	2	**0**	**0**
Earmarked /Endowment Funds	3	**0**	**0**
Secured Loans and Borrowings	4	**0**	**0**
Unsecured Loans and Borrowings	5	**0**	**0**
Deferred Credit Liabilities	6	**0**	**0**
Current Liabilities and Provisions	7	**155,266,001**	**136,759,273**
ASSETS		**307,886,472**	**306,921,408**
Fixed Asset	8	**156,788,751**	**160,735,636**
Fixed Asset		156,788,751	160,735,636
Capital Work in Progress		0	0
Investment- From earmarked/endowment funds	9	**0**	**0**
Investment-Others	10	**0**	**0**
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	**151,097,721**	**146,185,772**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		**0**	**0**
Significant Accounting Policies	24	0	0
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	25	0	0

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
FRN No.
CA Ravi Kumar Gupta
Partner
(M No 057046)

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

मुकेश कुमार जैन/MUKESH KUMAR JAIN
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM B
(See Rule 3)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
(A) INCOME		**153,233,134**	**122,567,960**
Income from sales/services	12	**0**	**0**
Grants/Subsidies	13	**151,690,000**	**120,624,000**
Fees/Subscriptions	14	**0**	**0**
Income from Investment (Income on Investment from Earmarked/Endowment fund transferred to funds)	15	**0**	**0**
Income from Royalty,Publications etc.	16	**0**	**0**
Interest Earned	17	**566,380**	**443,786**
Other Income	18	**976,754**	**1,500,174**
Increase/(Decrease) In stock of finished goods and work in progress	19	**0**	**0**
(B) EXPENDITURE		**170,774,798**	**121,276,909**
Establishment Expenses	20	**63,734,479**	**46,807,678**
Other Administrative Expenses etc.	21	**101,305,300**	**66,651,377**
Expenditure on Grants Subsidies etc.	22	**0**	**0**
Interest	23	**0**	**0**
Depreciation (Net total at the year end corresponding to schedule 8)	8	**5,735,019**	**7,817,854**
Balance being excess/(deficit) of income over expenditure (A-B)		**-17,541,664**	**1,291,051**
Transfer to Special Reserve		**0**	**0**
Transfer to/from General Reserve		**0**	**0**
Balance being surplus/(deficit) carried to Corpus/Capital Fund		**-17,541,664**	**1,291,051**
Significant accounting policies	24	**0**	**0**
Contingent liabilities and Notes to Accounts	25	**0**	**0**

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
C.A. Ravi Kumar
Partner
M No. 057046

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

मुकेश कुमार जैन/MUKESH KUMAR JAIN
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

टी.के. मनोज कुमार / T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत) / IAS (RETD.)
अध्यक्ष / Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार / Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khaz, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	0	0
20000.01 Corpus/Capital Fund (Opening Balance)	170,162,135	168,871,084
Add. Contribution towards Corpus/Capital Fund	0	0
Add/Deduct. Bal of net income/expenditure transfer from income and expenditure account	-17,541,664	1,291,051
Balance at the Year End	152,620,471	170,162,135

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-2 RESERVE AND SURPLUS AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
21000.01 Capital Reserve	**0**	**0**
As Per Last Account	0	0
Addition during the Year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.02 Revenue Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.03 Special Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition during the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.04 General Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
TOTAL	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance of the Funds	**0**	**0**
(b) Addition to the Fund	**0**	**0**
i. Donations/Grants	0	0
ii. Income from Investment made on account of funds	0	0
iii. Other Addition	0	0
Total c (a+b)	**0**	**0**
(d) Utilization/Expenditure towards objective of funds	**0**	**0**
(i) Capital Expenditure	**0**	**0**
Fixed	0	0
Others	0	0
(ii) Revenue Expenditure	**0**	**0**
Salaries, Wages and Allowances etc	0	0
Rent	0	0
Other Administrative expenses	0	0
Utilization/Expenditure Total (d)	**0**	**0**
22000.01 Balance at the Year End (c-d)	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-4 SECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
23000.01 Central Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.02 State Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03 Financial Institution (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03A Term Loans	0	0
23000.03B Interest accrued and due on term loan	0	0
23000.04 Secured Loan from Banks	**0**	**0**
23000.04A Secured Term Loans (Bank)	0	0
23000.04B Interest accrued and due on term loan (Bank)	0	0
23000.04C Other Loans (Bank)	0	0
23000.04D Interest accrued and Due (Others)	0	0
23000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
23000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
23000.07 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
24000.01 Central Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.02 State Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.03 Financial Institution (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04 Banks (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04A Term Loans (Unsecured)	0	0
24000.04B Other Loans (Unsecured)	0	0
24000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
24000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
24000.07 Fixed Deposits	**0**	**0**
24000.08 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
25000.01 Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Assets	0	0
25000.02 Others	0	0
TOTAL	0	0
Note: Amount due within one year	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
26000.01 Current Liabilities	**147,742,958**	**130,837,714**
26000.01A Acceptance	**0**	**0**
26000.01B Sundry Creditors	**129,843,576**	**112,169,339**
26000.01BA Sundry Creditors for Goods	0	0
26000.01BB Sundry Creditors Others	129,843,576	112,169,339
26000.01BB1 Sundry Creditors Others (BECIL)	0	0
26000.01BB2 Sundry Creditors Others (Post Master)	0	0
26000.01BB3 Sundry Creditors Others (Others)	5,269,244	2,324,682
26000.01BB4 Sundry Payble	124,574,332	109,844,657
26000.01C Advances Received	**0**	**0**
26000.01D Interest Accrued but not due on	**0**	**0**
26000.01DA Secured Loans/Borrowings	0	0
26000.01DB Unsecured Loans/Borrowings	0	0
26000.01E Statutory Liabilities	**1,211,547**	**536,610**
26000.01EA Statutory Liability-Overdue	0	0
26000.01EB TDS	1,211,547	536,610
26000.01EBA TDS-Salary	786,344	362,898
26000.01EBB TDS-Others	425,203	173,712
26000.01EBC GST-TDS	0	0
26000.01F Other Current Liabilities	**16,687,835**	**18,131,765**
26000.01FA Security Deposit	11,528,919	11,457,558
26000.01FB Earnest Money Deposit (EMD)	0	0
26000.01FC Stale Cheque Pending for Re-issue	699,681	3,000
26000.01FD Salary Payable	4,359,235	3,619,613
26000.01FE Withheld from Party's Bills	100,000	100,000
26000.01FF Leave Salary Contribution Payable	0	2,951,594
26000.01FG Other Liabilities	0	0
26000.01FGA PM/CM Relief Fund	0	0
26000.01FH NPS/Pension Contribution Payable	0	0
26000.02 Provision for Expenses	**7,523,043**	**5,921,559**
26000.02A Provision for Taxation	**0**	**0**
26000.02B Provision for Gratuity	**777,357**	**516,246**
26000.02C Provision for Superannuation/Pension	**0**	**0**
26000.02D Provision for Accumulated Leave Encashment	**778,282**	**613,135**
26000.02E Provision for Trade Warranties/Claims	**0**	**0**

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
26000.02F Provisions for Unpaid Expenses	**5,967,404**	**4,792,178**
26000.02FA Provisions for Telephone Expenses	0	12,846
26000.02FB Provisions for Audit Fee	42,480	529,320
26000.02FC Provisions for Rent, Rates and Taxes	0	0
26000.02FD Provisions for Inspection system in Warehouses	0	1,162,250
26000.02FE Provisions for Newspapers & Periodicals	0	33,684
26000.02FF Provisions for Training of Warehouseman	0	0
26000.02FG Provisions for Miscellaneous Expenses	5,924,924	1,540,976
26000.02FH Provision for Professional Charges	0	31,235
26000.02FI Provision for Outsourced Manpower (DEO)	0	0
26000.02FJ Provision for Repair & Maintenance Exp.	0	136,993
26000.02FK Provisions for Farmers Awareness	0	1,344,874
TOTAL	**155,266,001**	**136,759,273**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY														
SCHEDULE - 8 FIXED ASSETS AS ON 31-03-2023														
S. No.	Description	Factor	Cost/ valuation as at beginning of the year	Addition (more than 180 days)	Addition (less than 180 days)	Deduction during the year	Cost/ valuation at the year end	Depreciation as at beginning of the year	Depreciation during the year	Depreciation on deduction during the year	Total depreciation upto the year end	NET as at the current year end (WDV)	NET as at the previous year end (WDV)
1	A. Fixed Asset:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a). Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	b) Leasehold Land	56 Years	174200000	-	-	-	174200000	18664286	3110714	-	21775000	152425000	155535714
8	c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	d) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	19357676	-	-	-	19357676	19357675	-	-	19357675	1	1
10	3. Plant, Machinery & Equipments	15%	5140283	-	-	-	5140283	4207933	648644	-	4856577	283706	932350
11	4. Vehicles	15%	703433	-	-	-	703433	703432	-	-	703432	1	1
12	5. Furniture & Fixtures	10%	5478818	259914	28487	-	5767219	2939623	568169	-	3507792	2259427	2539195
13	6. Office Equipment	15%	1136803	6018	4044	-	1146865	615847	157819	-	773666	373199	520956
14	7. Computer & Peripheral	40%	4560613	458128	1014154	136493	5896402	3499737	1067698	107695	4459740	1436662	1060876
15	8. Electric Installation	15%	122321	-	28250	-	150571	116815	23318	-	140133	10438	5506
16	9. Library Books	40%	120763	15663	2274	-	138700	120501	17901	-	138402	298	262
17	10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11. Software	40%	27415307	-	-	-	27415307	27274532	140756	-	27415288	19	140775
19	Total of A	-	238236017	739723	1077209	136493	239916456	77500381	5735019	107695	83127705	156788751	160735636
20	B. Capital Work in Progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Total (A + B)	-	238236017	739723	1077209	136493	239916456	77500381	5735019	107695	83127705	156788751	160735636

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
11000.01 In Government Securities	0	0
11000.02 Other Approved Securities	0	0
11000.03 Share	0	0
11000.04 Debentures and Bonds	0	0
11000.05 Subsidiaries and Joint Venture	0	0
11000.06 Other (Fixed Deposit)	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-10 INVESTMENT - OTHERS AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
12000.01 In Government Securities	0	0
12000.02 Other Approved Securities	0	0
12000.03 Shares	0	0
12000.04 Debentures and Bonds	0	0
12000.05 Subsidiaries and Joint Ventures	0	0
12000.06 Others	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-11 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. AS ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(A) 13000.01 Current Assets	**145,905,718**	**132,966,076**
13000.01A Inventories	**0**	**0**
13000.01AA Stores and Spares	0	0
13000.01AB Loose Tools	0	0
13000.01AC Stock in Trade	0	0
13000.01AD Finished Goods	0	0
13000.01AE Work in Progress	0	0
13000.01AF Raw Materials	0	0
13000.01B Sundry Debtors	**0**	**0**
13000.01C Cash Balance in Hand (Including Cheque/Draft and Imprest)	**98,150**	**0**
13000.01CA Imprest Cash	0	0
13000.01CB Temporary Advance	98,150	0
13000.01CC Cheque/Draft in Hand	0	0
13000.01D Bank Balance	**145,807,568**	**132,966,076**
13000.01DA With Schedule Banks	145,807,568	132,966,076
13000.01DAA On Current Account (PNB)	9,731,620	14,866,415
13000.01DAB On Deposit Account (Includes Margin Money)	1,145,663	746,846
13000.01DAC On Saving Account (Canara Bank)	0	113,874,904
13000.01DAD On Saving Account (SBI)	134,930,285	3,477,911
13000.01DB With Non- Schedule Banks	0	0
13000.01DBA On Current Account	0	0
13000.01DBB On Deposit Account	0	0
13000.01DBC On Saving Account	0	0
13000.01E Post Office Saving Account	**0**	**0**
(B) 13000.02 Loan,Advances and Other Assets	**5,192,003**	**13,219,696**
13000.02A Loans	**8,000**	**0**
13000.02AA Loan to staff	8,000	0
13000.02AA1 TA Advance	8,000	0
13000.02AB Other Entities Engaged in Activities/Objective Similar to That Entity	0	0
13000.02AC Other	0	0
13000.02B Adv & Other Recoverable in Cash/ Kind or for Value to be Received	**4,014,536**	**9,250,989**
13000.02BA On Capital Account	0	0
13000.02BB Prepayments (Prepaid Expenses)	266,098	271,504
13000.02BC Security Deposit Made by WDRA	0	0
13000.02BD EMD made by WDRA	0	0

Name	Current Year	Previous Year
13000.02BE Advance to Others (Suppliers)	3,748,438	2,251,985
13000.02BF Sundry recoverable	0	6,727,500
13000.02BFA Sundry Recoverable - FCI	0	6,727,500
13000.02BFB Sundry Recoverable - FCI PVT. GDNS	0	0
13000.02BFC Sundry Recoverable-Others	0	0
13000.02C Income Accrued	**1,169,467**	**3,968,707**
13000.02CA On Investment from Earmarked/Endowment Fund	0	0
13000.02CB Accrued on Investment - Others	0	0
13000.02CC Accrued on Loan and Advances	0	0
13000.02CD Others (Includes Income due unrealized)	0	0
13000.02CE Accrued Interest	1,169,467	3,968,707
13000.02D Claim Receivable	**0**	**0**
TOTAL (A+B)	**151,097,721**	**146,185,772**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-12 INCOME FROM SALES/SERVICES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
30000.01 Income from Sales	**0**	**0**
30000.01A Sales of Finished Goods	0	0
30000.01B Sale of Raw Material	0	0
30000.01C Sale of Scraps	0	0
30000.02 Income from Services	**0**	**0**
30000.02A Labour and Processing Charges	0	0
30000.02B Professional/Consultancy Charges	0	0
30000.02C Agency Commission and Brokerage	0	0
30000.02D Maintenance Services (Equipment/Property)	0	0
30000.02E Others	0	0
TOTAL	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-13 GRANT/SUBSIDIES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
31000.01 Central Government (Min. of CAF & PD)	151,690,000	120,624,000
31000.01A Grant In Aid for Salary Head	62,573,000	50,500,000
31000.01B Grant In Aid for General Head	89,117,000	70,124,000
31000.02 State Government	0	0
31000.03 Government Agencies	0	0
31000.04 Institutions/Welfare Bodies	0	0
31000.05 International Organisation	0	0
TOTAL	**151,690,000**	**120,624,000**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
32000.01 Entrance Fee	0	0
32000.02 Fees/Subscriptions	0	0
32000.03 Seminar/program Fees	0	0
32000.04 Consultancy Fees	0	0
32000.05 Inspection Agency Empanelment Fees	0	0
32000.06 Other Fees	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
33000.01 INTEREST FROM INVESTMENT (Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33000.01A On Government Securities	0	0
33000.01B Other Bonds/Debentures	0	0
33000.02 Dividends	**0**	**0**
33000.02A On Shares	0	0
33000.02B On Mutual Fund and Securities	0	0
33000.03 Rents	**0**	**0**
33000.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL (Transferred to Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33001.01 INTEREST FROM OTHER INVESTMENT	**0**	**0**
33001.01A Interest on Government Securities	0	0
33001.01B Interest on other Bonds/Debentures	0	0
33001.02 Dividends from Investment	**0**	**0**
33001.02A Dividend on Shares	0	0
33001.02B Dividend on Mutual Fund and Securities	0	0
33001.03 Rent Received	**0**	**0**
33001.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**
GRAND TOTAL	**0**	**0**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
34000.01 Income from Royalty	0	0
34000.02 Income from Publications	0	0
34000.03 Others	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-17 INTEREST EARNED FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
35000.01 Interest on Term Deposits	**0**	**21,526**
35000.01A From Schedule Bank	0	21,526
35000.01B From Non- Schedule Bank	0	0
35000.01C From Institutions	0	0
35000.01D From Others	0	0
35000.02 Interest on Saving Accounts	**566,380**	**422,260**
35000.02A From Schedule Bank	566,380	422,260
35000.02A1 Interest from PNB (Current)	566,380	422,260
35000.02A3 Interest from SBI (Savings)	0	0
35000.02A2 Interest from Canara Bank (Savings)	0	0
35000.02B From Non-Schedule Bank	0	0
35000.02C Interest from Post Office Saving Accounts	0	0
35000.02D Interest Others	0	0
35000.03 Interest from Loans	**0**	**0**
35000.03A Int. on loan from Employee/Staff	0	0
35000.03B Int. on loan (Others)	0	0
35000.04 Interest on Others	**0**	**0**
TOTAL	**566,380**	**443,786**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-18 OTHER INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
36000.01 Profit on Sale/Disposal of Assets	**18,473**	**0**
36000.01A Profit on Sale/Disposal of Owned Assets	18,473	0
36000.01B Profit on Sale/Disposal of assets acquired out of Grants or received free of cost	0	0
36000.02 Income from Export Incentives Realized	**0**	**0**
36000.03 Fee for Miscellaneous Services	**0**	**0**
36000.04 Prior Period Income	**0**	**0**
36000.05 Excess Provision/Liabilities Written Back	**956,651**	**1,500,174**
36000.06 Miscellaneous Income	**1,630**	**0**
36000.07 Receipts against Penalty	**0**	**0**
36000.07A Penalty - Repository	0	0
36000.07B Penalty - Warehousemen	0	0
36000.07C Penalty - Others	0	0
TOTAL	**976,754**	**1,500,174**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-19 INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
(b) Less Opening Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
40000.01 Salary and Wages	48,586,364	36,182,625
40000.01A Basic Pay	34,011,525	24,462,803
40000.01B Dearness Allowance (DA)	7,449,865	5,089,409
40000.01C Transport Allowance	1,780,613	1,713,441
40000.01D HRA	5,096,346	4,736,918
40000.01E Deputation Expenses	248,015	180,054
40000.02 Allowances and Bonus	3,537,988	742,420
40000.03 Employer Contribution to Provide Fund	1,583,269	1,179,810
40000.04 Contribution to Other Fund	0	0
40000.05 Medical Facility	1,426,583	1,068,467
40000.06 Expenses on Employment Retirement and Terminal Benefits	426,258	382,535
40000.06A Retirement Benefit-Gratuity (WDRA)	261,111	145,319
40000.06B Retirement Benefit-Leave Encasement (WDRA)	165,147	237,216
40000.07 Other Employee Expenses	3,848,984	4,755,448
40000.07A Leave Encashment	620,647	1,110,985
40000.07B Leave Salary Contribution	2,976,986	3,481,994
40000.07C Leave Travel Concession	251,351	162,469
40000.08 Other Expenses	0	117,292
40000.09 Employer Contribution to NPS/Pension	3,598,576	1,998,886
40000.10 Gratuity Contribution (On Deputation)	726,457	380,195
TOTAL	**63,734,479**	**46,807,678**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16 /Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-21 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
41000.01 Purchase	0	0
41000.02 Labour and Processing Expenses	0	0
41000.03 Cartage and Carriage Inward	0	0
41000.04 Electricity and Water Charges	1,719,010	1,461,131
41000.05 Insurance	12,985	11,106
41000.06 Repairs and Maintenance	1,140,155	629,978
41000.07 Office Expenses	1,086,906	1,078,048
41000.08 Rent, Rates, Taxes	18,750	25,000
41000.09 Vehicles, Running and Maintenance	123,899	124,299
41000.10 Postage, Telephone and Communication Charges	678,944	782,504
41000.11 Printing and Stationery	189,474	532,727
41000.12 Travelling and Conveyance Expenses	3,210,778	1,416,308
41000.12A TA/DA Expenses	2,252,283	667,867
41000.12B Local Conveyance Expenses	82,923	51,090
41000.12D Taxi Hiring Charges	875,572	697,351
41000.13 Expenses on Training and Awareness Programme / Seminar	28,794,607	13,089,305
41000.13A Training of Warehousemen	4,781,380	2,808,190
41000.13B Awareness Programme of Farmers	23,749,691	10,126,533
41000.13C Seminar Conference and Workshop	263,536	154,582
41000.14 Subscription Expenses	0	0
41000.15 Sponsorship Fees	0	0
41000.16 Auditors Remuneration	42,480	265,600
41000.17 Expenses on System Inspection of Warehouse	28,427,022	16,634,243
41000.18 Professional Charges	4,879,273	7,439,516
41000.19 Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0
41000.20 Irrevocable Balance Written-Off	0	0
41000.21 Studies	936,354	0
41000.21B Transformation plan for WDRA	936,354	0
41000.22 Foundation Day Celebration Expenses	331,191	0
41000.23 Outsource Manpower (DEO) Expenses	7,069,901	5,767,212
41000.24 Advertisement and Publicity	6,012,324	840,218
41000.25 Legal Expenses	0	0
41000.26 Bank Charges	1,554	118
41000.27 Other Expenses	1,326,563	1,105,523
41000.27A Misc Exp	1,326,563	1,105,523

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
41000.28 Newspaper & Periodicals	90,946	155,770
41000.29 Paise Rounded off	-3	1
41000.30 Prior Period Expenses	281,769	375,528
41000.31 Software O & M expenses	9,329,431	9,316,255
41000.32 CLOUD SERVICE EXPENSES	5,600,987	5,600,987
TOTAL	**101,305,300**	**66,651,377**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-22 EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 42000.01 Grant given to Institution/Organisations	0	0
(b) 42000.02 Subsidies given to Institution/Organisation	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-23 INTEREST PAID FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2023

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 43000.01 Interest Paid on Fixed Loans	0	0
(b) 43000.02 Interest Paid On other Loans	0	0
(c) 43000.03 Interest Paid - Others	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010).

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2022-23.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

i. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

ii. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 25 - NOTES TO ACCOUNTS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2023.

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007,the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), all receipts of Authority will be credited to Consolidated Fund of India (CFI) under the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of the Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and inspection agencies and interest earned thereon from Canara Bank/SBI etc. are being deposited in Canara Bank/SBI account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'. No expenditure is being done from this amount deposited in Canara Bank/SBI.

The amount received on account of warehouse registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest thereon from Canara Bank/SBI, renewal fee etc. have been shown under the headings "Interest received", "Fees & Subscription" and "Other Income" in the Receipts and Payments Account.

The Authority had written to the Department of Food and Public Distribution (DF&PD) to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs about the deposit of receipts similar to that of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), the DF&PD may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The DF&PD had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, and UPSC etc. WDRA again requested the DF&PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy the specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India having their expenditure charged to the Consolidated Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

The DF&PD had taken up the issue with the Department of Economic Affairs (DoEA), GOI. The DoEA vide its letter dated 16.07.2018 informed the accounting procedure to adopt by WDRA in this regard which suggest that all other receipts in the form of fees, income, charges etc. would be deposited in the WDRA Fund in Public Account of India after meeting operational requirements on monthly basis. The grants from Government would also be deposited in this Fund. For meeting its requirements, WDRA shall withdraw from this Fund in Public Account after making requisition to CA/CCA of DF&PD.'

WDRA agreed to the proposed accounting procedure of DEA to constitute WDRA Fund in Public Account of India and proposed to deposit all its receipts in WDRA Fund Public Account of India till WDRA becomes self-sufficient. WDRA will utilise grants received from the Government for the expenditure on its activities and thereafter withdraw from WDRA Fund for any additional requirement by making request to CCA/CA of DFPD. On acquiring self sufficiency, WDRA will meet its expenses from the receipts and deposit (except refundable security deposit/EMD) the balance to WDRA Fund in Public Account every month. Further, WDRA has not agreed for deposit of Government Grants to Public Accounts but to deposit in separate bank account maintained by WDRA for deposit of Govt. Grants and for receipts. It is also agreed by WDRA to deposit all sum realised by way of penalties and fines to Consolidated Fund of India (CFI). However operationalisation of this requires the amendment to W(D&R) Act, 2007. In this regard, the proposal for amendment to W(D&R) Act, 2007 is already submitted to the DFPD. Till then the penalties and fines shall be deposited in separate bank account maintained by WDRA and transfer to CFI after notification of said amendment to W(D&R) Act.

In brief, WDRA had agreed to the following:-

a. WDRA would deposit its receipts every month in Public Account under WDRA Fund and meet its operational requirements from Grants-in-Aid. The amount so deposited in the Public Account may be made available to WDRA expeditiously to meet its expenses as and when requested.

b. It was suggested by WDRA that in compliance to provisions of Section 37(I)(a) of the W(D&R) Act,2007, the Grants-in-Aid shall be deposited in the WDRA Fund in the Public Account and immediately transferred to WDRA's bank account for meeting expenses.

c. The sums realized as penalties & fines will be credited to CFI as suggested by MoF. However, this requires amendment to W(D&R) Act,2007. The detailed proposal for Act Amendment has already been sent to DFPD. After amendment in Act, amount so collected if any, will be remitted to CFI.

WDRA has again taken up the issue with the DFPD vide letter dated 25.3.2021 and 28.02.2023. The reply of the DF&PD is awaited.

3. The cost of stationary and printing being consumables have been charged to revenue expenditure.

4. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the functions of the Authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate and it is accounted for as fixed assets in the Books of Account and depreciation thereon is charged to Income & Expenditure Account.

5. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of Income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

6. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared on Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

Establishment Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2022-23	For the Year 2021-22
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	6,37,34,479	4,68,07,678
Less:- Closing Establishment Liabilities	51,45,579	69,35,445
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	5,85,88,900	3,98,72,233

Administrative Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2022-23	For the Year 2021-22
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	10,13,05,300	6,67,83,877
Less:- Closing Administrative Liabilities	1,17,61,851	1,27,05,309
Less:-Opening Administrative Assets	2,71,504	3,61,553
Net Payment	8,92,71,945	5,37,17,015

7. The WDRA has entered into Memorandum of Understanding (MOU) on 30th March, 2016 with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupation) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore.

8. As per MOU dated 30th March, 2016, it has been agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/

shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed by NCUI or for any other reason whatsoever, then in the said eventuality, the NCUI shall pay to the WDRA by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with the MOU. Necessary lease deed between NCUI and WDRA has been registered on 1st February,2019.

9. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial valuation report. Assumptions considered in the valuation are as under:-

Membership Data	
Number of Members	2
Total monthly salary	Rs. 2.04 Lakh
Average Past Service (Years)	6.13
Average age (Years)	52.85
Valuation Method	Projected Unit Credit Method
Actuarial Assumption	
Mortality & Morbidity Rate	100% of IALM (2012-14)
Discount Rate	7.20 % p.a.
Salary Escalation	8%
Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

10. The fully depreciated assets have been kept with written down value (WDV) of Rs. 1/- to recognise in the books of accounts.

11. All the Income earned by WDRA during the financial year has been shown as liability and transferred to Sundry Payable Account under schedule-7 in view of CAG observation being payable to Government of India. (Refer sl. No.2 above)

12. Interest earned as shown in Schedule 17 is interest received in the bank account maintained with the PNB.

13. Security Deposit received from the warehousemen in the form of FDRs/Bank Guarantees/I-Bonds as on 31.3.2023 is Rs. 138.43 Crores.

14. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/re- casted wherever necessary.

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

See rule-3

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

4th Floor, NCUI Building, August kranti Mrg, Hauz Khas, New Delhi

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31.03.2023

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. OPENING BALANCES			**I. EXPENSES**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses *	58,162,642	39,872,233
b)Bank Balance			(Corresponding to Schedule 20)		
i) In Current Account (PNB)	14,866,415	10,136,491	b) Administrative Expenses**	89,271,945	53,584,515
ii)In Deposit Account	746,846	561,987	(Corresponding to Schedule 21)		
iii) Saving Account (Canara Bank)	113,874,904	97,580,873	II. Payments made against funds for various projects		
iv) In Saving Account(SBI)	3,477,911				
II. GRANT RECEIVED			III. Investments and deposits made		
a) From Govt. of India			a) Out of Earmarked/Endowment Funds		
i) In Salary Fund	62,573,000	50,500,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
ii)In General Fund	89,117,000	70,124,000	IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress		
b)From State Govts.	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	1,816,932	1,316,273
c) From Other Sources (details)			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	-
(Grants for capital and revenue exp. To be	-	-	V. Refunds of Surplus Money/Loans		
shown separate amt.)	-	-	a) To the Govt. Of India	-	-
III. INCOME FROM SALES & SERVICE			b) To the State Govt.	-	-
a) Income from Sales			c) To other Providers of Funds	-	-
b) Income from Service			VI. Interest Paid		
IV. INCOME FROM INVESTMENT			VII. Other Payments		
a) Earmarked/Endowment Funds			- Advance to Others (Suppliers)	1,496,453	2,240,395
b) Own Funds (Other Investment)			- Prepayments	266,098	264,094
V. INCOME FROM ROYALTY ETC.			-TA Advance	8,000	-
a) Royalty			-LTC Advance	-	-
b)Publication			-Other Advance	-	-
c)Others			-Temporary Advance	-	-
VI. INTEREST RECEIVED			-Temporary Advance-refundable	98,150	13,429
a) On Term Deposit	63,652	-	-Refund of EMD	-	-
b) On Bank Deposits (Savings)			-Refund of Security Deposit	-	-
i) PNB	524,254	455,197			-
ii) Canara Bank	7,846,464	4,606,321	-Refund of Warehouse/Inspection Agency Reg/	127,500	40,000
iii) SBI	151,265	1,652	Renewal Fees(Sundry Payable)		
c) On Loans and Advances			-Payment to Other Opening Current Liability	13,371,026	12,201,404
d) On Others			-Payment for Inspection of FCI Warehouses		6,727,500
VII. FEE & SUBSCRIPTIONS					
i)Enterance Fee	-	-	VIII. Closing Balances		
ii)Annusl Fee/Subscription	2,000,000	2,000,000	a) Cash in Hand		
iii)Warehouse/Inspection Agency Reg/Renewal Fees	7,480,130	13,158,240	b) i) In current Accounts (PNB)	9,731,620	14,866,415
iv)Seminar Prog. Fee	-	-	iii) In Deposits Accounts(Fixed Deposit)	1,145,663	746,846
v)Consultancy Fee	-	-	iii) Saving Accounts (Canara Bank)	134,930,285	113,874,904
vi)Inspection Agency Empannelment Fee	155,000	-	iv) Saving Accounts (SBI)	-	3,477,911
vii)Other Fee	-	-			
VIII. OTHER INCOME	-	-			
i) Misc Receipts	3,660	35,729			
ii) EMD	-	-			
iii) Security Deposit	71,361	10,000			
iv) Stale cheque	699,681	-			
v) Sale of Fixed asstes	47,271				
v) Amount Received from (FCI)	6,727,500				
TA Advance	-	-			
LTC Advance	-	-			
Other Advance		42,000			
Temporary Advance		13,429			
Total	**310,426,314**	**249,225,919**	**Total**	**310,426,314**	**249,225,919**

*refer Note No. 8 of Schedule 25

**refer Note No. 8 of Schedule 25

For Manoj Monan & Associates
Chartered Accountants
CA Ravi Kumar Gupta
Partner
M No 057046

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

मुकेश कुमार जैन/MUKESH KUMAR JAIN
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष /Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

गोपनीय
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

रिपोर्ट/2-172/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/A/Cs/SAR/WDRA/22-23/ ∠ दिनांक: .10.2023

सेवा में,

अवर सचिव,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली– 110001.

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ। संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज को दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करे कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करे ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो"।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी.ए.जी. संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail pdaafwr@cag.gov.in

रिपोर्ट/2-172/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/A/Cs/SAR/WDRA/22-23/4056 दिनांक: 31.10.2023

1. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA), एनसीयूआई भवन, चौथी मंजिल, 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली 110017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

31/10/23

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38 (2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष की लिए डब्ल्यू० डी० आर० ए० के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व डब्ल्यू डी आर ए के प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

1. इस अलग रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखाकरण प्रक्रियाओं, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में शामिल की गई हैं। विधि के अनुपालन, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा कुशलता–सह–निष्पादन पहलू, यदि कोई है, के बारे में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टो /सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण किसी तरह की गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन और राशियों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जाँच शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ii तुलन पत्र, आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii हमारे मतानुसार लेखा बहियाँ डब्ल्यू० डी० आर० ए० द्वारा समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य संबंधित रिकार्ड भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 38(1) के अंतर्गत रखे गए हैं जैसा कि लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

iv हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः–

क. तुलन पत्र

देयताएँ

चालू देयताएँ प्रावधान (अनूसूची–7): 15.53 करोड़ रू

क.1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 0.97 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी। तथापि प्राधिकरण ने अनुसूची 7 में चालू देयताओं के अन्तर्गत न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है।

इसके फलस्वरूप 0.97 करोड़ राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।

ख. सामान्य

ख.1 प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 12.46 (अनुसूची–7) करोड़ रू की राशि है, जो भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। इसी राशि को सी.एफ.आई को हस्तांतरित नहीं किया गया तथा अपने पास अलग खाते में रखा गया है। यह टिप्पणी गत वर्षो से डब्ल्यू.डी.आर.ए के एस.आर.ए में भी उठाई गई है। तथापि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुल्क, आय तथा प्रभारों आदि के रूप में प्राप्त डब्ल्यू.डी.आर.ए की प्राप्तियों को सी.एफ.आई में जमा करवाने का मुद्दा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया था कि डब्ल्यू.डी.आर.ए की उपर्युक्त प्राप्तियों को हर महीने डब्ल्यू.डी.आर.ए की डेडिकेटिड निधि में भारत के लोक लेखा खाते तथा दण्ड तथा जुर्माना राशि सी.एफ.आई में जमा कराई जाए।

लेखा परीक्षा ने देखा है कि न तो डब्ल्यू.डी.आर.ए ने अभी तक डब्ल्यू.डी.आर.ए निधि का रख–रखाव नहीं किया है और न इस निधि में राशि हस्तांतरित की है। इस निधि का सृजन न करना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सलाह का उल्लंघन है।

ख.2 डब्ल्यू.डी.आर.ए के पास पंजीकरण आवेदनों तथा प्राप्तियों के प्रसंस्करण के लिए आई.टी. प्रणाली मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शुल्क/सब्सक्रिप्शन/ नवीकरण भुल्क तथा अन्य प्राप्तियों को लेखाबद्ध कर अनुसूची 7 के अन्तर्गत विविध देय लेखा में दर्शाया गया है तथा पंजीकरण/भांडागारों के नवीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त प्रप्तियों के सामाधान के अभाव में अप्रमाणित रहा। इसे उचित लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध करने की आवश्यकता है।

ग. अनुदान सहायता

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15.16 करोड़ रू की अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 13.22 करोड़ रू अथशेष था शुल्क एवं अंशदान के रूप में स्वयं की प्राप्तियां (जिसमें – 11. 73 करोड़ रू सरकारी अनुदान के 1.49 करोड़ रू शामिल है) इसके अतिरिक्त आंतरिक प्राप्तियों के 2.56 करोड़ रू (0.95 करोड़ शुल्क एवं अंशदान तथा 1.61 रू ब्याज तथा अन्य आय) अथशेष थी। इस प्रकार कुल अनुदान 30.94 करोड़ रू में से इसने 16.48 करोड़ रु. (राजस्व 16.30 + पूंजी 0.18 करोड़) का उपयोग किया तथा 14.46 करोड़ रु. (स्वयं प्राप्तियां 13.49 करोड़ रु. के तथा 0.97 करोड़ रू सरकारी अनुदान) शेष रह गया ।

घ. प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अलग से उपचारात्मक/सुधारत्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र में माध्यम से संगठन के नोटिस में लाया गया है।

V. पूर्व के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

VI. हमारे मत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित किए जाने पर तथा ऊपर दिये गए मामलों एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों में भारत में सामान्य रूप में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सही तथा स्पष्ट तस्वीर मिलती है:–

(क) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च, 2023 को भण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मामले मे और

(ख) जहाँ तक इसका उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अतिशेष के मामले में।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 31.10.2023

ह0/–
(गुरवीन सिद्धु)
महा निदेशक–लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण में आंतरिक लेखा परीक्षा खण्ड नहीं है। प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई तथा दस पैरा बकाया हैं।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण की आंतरिक प्रणाली पर्याप्त है,

3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

31 मार्च, 2023 तथा वस्तु सूची तथा सम्पत्ति आर्थात फर्नीचर एवं फिक्सर तथा कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री का सत्यापन किया गया।

4. वस्तु सुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च, 2023 तक वस्तु सूची जैसे पुस्तकें, प्रकाशन/लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

31 मार्च 2023 को छह महीने से अधिक सांविधिक भुगतान बाकया नहीं था।

प्रबंधन पत्र

1. लेखा परीक्षा ने पाया है कि गत वर्ष के निम्नलिखित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत आंकड़ों को चालू वर्ष के लेखों में ठीक से नहीं दिखाया गया है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है:–

क्रम. सं	लेखा शीर्ष	गत वित्तीय वर्ष (2021–22 में) दिखाए गए आंकड़े	चालू वित्तीय वर्ष (2022–23) में लिए गए आंकड़े
1	41000.10,डाक, टेलीफोन तथा संचार प्रभार	777.771	782.504
2	41000.13 प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम / सेमिनार	13,094,038	13,089,305
3	41000.13 बी किसान जागरूकता कार्यक्रम	10,131,266	10,126,533

ह0 / –
उ प निदेशक (रिपोर्ट)

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट पर डब्लू डी आर ए के उत्तर/ टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
क–1 चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनूसूची–7): 15.53 करोड़ रू	क.1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 0.97 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी। तथापि प्राधिकरण ने अनुसूची 7 में चालू देयताओं के अन्तर्गत न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके फलस्वरूप 0.97 करोड़ राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।	प्राधिकरण का खाता प्रोद्भवन आधारित है। उपयोग न की गई राशि के संबंध में मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्र सं. जी–28/1/2019–ए एवं एफ दिनाँक 07.08.2023द्वारा सूचित किया गया था। अनुप्युक्त रा ि। को वर्ष 2023–24 की अवधि में व्यय किया गया। अतएव, इसे प्राधिकरण के चालू दायित्व के रूप में नहीं माना गया। इसकी गत वर्ष में पूर्ण किए गए कार्यों/कार्यकलापों के लिए आवश्यकता थी। इसे बनाए रखना अपेक्षित था। अतः इसे चालू दायित्वों में कम एवं पूंजीगत निधि में अधिक नहीं दिखाया गया था। 0.97 करोड़ रू. को पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय किया गया है।
ख. सामान्य **ख.1**	प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 12.46 (अनुसूची–7) करोड़ रू की राशि है, की जो भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। इसी राशि को सी.एफ.आई को हस्तांतरित नहीं किया गया तथा अपने पास अलग खाते में रखा गया है। यह टिप्पणी गत वर्शों से डब्ल्यू.डी.आर.ए के एस. आर.ए में भी उठाई गई है। तथापि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	यह उल्लेख करना है कि पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क आदि सभी प्राप्तियां (अनुदान के अतिरिक्त) केनरा बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज और प्रतिभूति जमा केनरा बैंक / एस बी आई में जमा की जाती हैं। प्रतिभूति जमा राशि सरकार को देय नहीं है क्योंकि यह भांडागारपालों अन्य को वापसी योग्य है। दिनाँक 31.3.2023 तक सरकार को वापस की जा सकने वाली राशि रू. 12.46 करोड़ रूपय मात्र है, जिसमें उपार्जित ब्याज रू. 2.91 करोड़ सम्मिलित है। इसे अनुसूची–7 चालू देयताऐं तथा प्रावधान के अन्तर्गत 26000.01 की बीबीबी–4 विविध भुगतान शीर्ष में दिखाया गया है।

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भुल्क, आय तथा प्रभारों आदि के रूप में प्राप्त डब्ल्यू.डी.आर.ए की प्राप्तियों को सी.एफ.आई में जमा करवाने का मुद्दा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया था कि डब्ल्यू.डी.आर.ए की उपर्युक्त प्राप्तियों को हर महीने डब्ल्यू.डी.आर.ए की डेडिकेटिड निधि में भारत के लोक लेखा खाते तथा दण्ड तथा जुर्माना राशि सी.एफ.आई में जमा कराई जाए। लेखा परीक्षा ने देखा है कि न तो डब्ल्यू.डी.आर.ए ने अभी तक डब्ल्यू.डी.आर निधि का रख–रखाव किया है और न इस निधि में राशि हस्तांतरित की है। इस निधि का सृजन न करना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सलाह का उल्लंघन है।	डब्ल्यू.डी.आर.ए की प्राप्तियाँ शुल्क, आय, प्रभार आदि को सी. एफ.आई. में जमा करने का मामला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डी.एफ.एण्ड.डी) द्वारा आर्थिक मामले विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया है कि डब्लू.डी.आर.ए की उपरोक्त प्राप्तियों को प्रत्येक माह भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा किया जाए। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में बैठक आयोजित की गई थी। डब्लू.डी.आर.ए भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि के गठन के लिए आर्थिक कार्य विभाग की प्रस्तावित लेखा प्रक्रिया पर सहमत था तथा सभी प्राप्तियों जैसे शुल्क प्रभारों आदि को भारत के लोक खाते में डब्लू.डी. आर.ए निधि में जमा करने को प्रस्तावित किया था। यह सुझाव दिया गया था कि डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा संसद से और विनियोग के बिना भांडागारण (विकास एवं विनियमन) के अधिनियम की धारा 37 (1) (क) के अनुपालन में अनुदान सहायता लोक लेखा में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा की जाय तथा परिचालन खर्च पूरा करने के लिए डब्लूडीआरए के बैंक खाते में तुरन्त जमा किया जाए। इस व्यवस्था के संबंध में डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र सं0 जी 25020/6/2019 एन आईसी/2322 दिनांक 25–03–2021 भेजा था। इसी विशय पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को 28.02.2023 तथा 30.06.2023 को अनुस्मारक भी भेजे गए डब्लूडीआरए दंड और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां भारतीय संचित निधि (सी.एफ.आई) में जमा कराने के लिए सहमत था। हलांकि, इसके संचालन के लिए डब्लू.(डी एण्ड आर) अधिनियम, 2007 में संशोधन की आवश्यकता है।

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
		इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। ही भेजा जा चुका है। संशोधन होने तक पेनल्टियां तथा जुर्माना डब्लूडीआरए द्वारा मैंटेन किए गए अलग बैंक खातें में जमा किया जायेगा तथा उपरोक्त अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना के पश्चात इसे सी.एफ.आई. में हस्तांतरित किया जायेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उत्तर की प्रतिक्षा है। अनुसूची 25 में पैरा (2) के तहत खातों पर टिप्पणियाँ करने के बारे में विस्तार से बताया/खुलासा किया गया है। इस संबंध में लेखा परीक्षा के समय स्थिति स्पष्ट की गई तथा पत्राचार भी दिखाया गया।
ख. 2	डब्ल्यू.डी.आर.ए के पास पंजीकरण आवेदनों तथा प्राप्तियों के प्रसंस्करण के लिए आई.टी. प्रणाली मौजूद है। वित्तीय वर्श 2022–23 में भुल्क/सब्सक्रिप्शन/नवीकरण भुल्क तथा अन्य प्राप्तियों को लेखाबद्ध कर अनुसूची 7 के अन्तर्गत विविध देय लेखा में द ार्शाया गया है तथा पंजीकरण/भांडागारों के नवीकरण भुल्क के रूप में प्राप्त प्रप्तियों के सामाधान के अभाव में अप्रमाणित रहा। इसे उचित लेखा भीर्श में लेखाबद्ध करने की आवश्यकता है।	प्राधिकरण द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजे गए पत्र जी.25020/6/2019–एन.आई.सी/23222 दिनांक 25.03.2021 का उत्तर प्राप्त होने के प चात् संबंधित विभाग की सलाह को क्रिन्यावित करेगा तथा प्रतिभूति जमा/ई.एम.डी को छोड़कर पूरी राशि सरकार के साथ सृजित प्रस्तावित लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। इस संबंध में डब्ल्यू.डी.आर.ए द्वारा समस्त कार्रवाई की गयी है। डब्ल्यू.डी.आर.ए पंजीकरण भुल्क आवेदन के समय प्राप्त कर रहा है। पंजीकरण को अंतिम रूप देने में समय लगता है चूंकि भांडागार का भौतिक निरीक्षण करने सहित विभिन्न दस्तावेजों की जाँच करनी होती है तथा अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। सभी प्राप्तियां डब्ल्यू.डी.आर.ए के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। परिभाषित प्राप्त शुल्क होने तक प्रणाली आगे और प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं देती।

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
		भुल्क समाधान का विवरण इस प्रकार है:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में डब्ल्यू.डी.आर.ए के पोर्टल पर 71,24,000रू भुल्क प्राप्त हुआ (प्रति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है) भारतीय स्टेट बैक के खाते में प्राप्त राशि 74,80,130रू (प्रति अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।) डब्ल्यू.डी.आर.ए के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त राशि तथा भरतीय स्टेट बैक के खाते में प्राप्त राशि में अन्तर इसलिए आता है क्योंकि बैक के खाते राशि क्रेडिट होने की तारीख भिन्न होते होती। वास्तविक प्राप्ति को बैक के खाते में क क्रेडिट होने में 2–3 दिन लग जाते हैं। वित्तीय वर्श के अंतिम दिनों में प्राप्त राशि, बैक प्रभारों की कटौती के प चात् बैंक खाते में अगले वित्तीय वर्श में क्रेडिट की जाती है। अतः पोर्टल पर प्राप्त राशि तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाते में प्राप्त राशि में मामली अंतर होता है।
ग. अनुदान सहायता	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15.16 करोड़ रू की अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 13.22 करोड़ रू अथशेष था शुल्क एवं अंशदान के रूप में स्वयं की प्राप्तियां जिसमें – 11.73 करोड़ रू सरकारी अनुदान के 1.49 करोड़ रू भाामिल है) इसके अतिरिक्त आंतरिक प्राप्तियों के 2.56 करोड़ रू (0.95 करोड़ शुल्क एवं अंशदान तथा 1.61 रू ब्याज तथा अन्य आय) अथशेष थी। इस प्रकार कुल	वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान के विरूद्ध प्रारम्भिक जमा 1.49 करोड़ थी में अनुदान सहायता की कुल प्राप्ति 15.17 करोड़ रू पीएनबी में थी। वर्ष के दौरान ब्याज/अन्य प्राप्तियाँ 0.79 करोड़ थी। अतः प्राधिकरण के पास कुल राशि 17.46 करोड़ रू बनती है न कि 30.95 करोड़ रू जैसा कि लेखा परीक्षा ने दिखाया है वर्ष 2022–23 में कुल व्यय 16.48 करोड़ रू था। अतः 31.3. 2023 को अनुदान सहायता के विरूद्ध व्यय न हुई शेष राशि 0.97 करोड़ रू केवल है जिसे पीएनबी में रखा गया। प्राधिकरण की 31.03.2023 तक 12.46 करोड़ की कुल प्राप्तियां (अनुदान सहायता को छोड़कर) केनरा बैंक/एसबीआई में जमा की गई थी जिसे व्यय न किया गया

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
	अनुदान 30.94 करोड़ रू में से इसने 16.48 करोड़ रु (राजस्व 16.30 + पूंजी 0.18 करोड़) का उपयोग किया तथा 14.46 करोड़ रु. (स्वयं प्राप्तियां 13.49 करोड़ रु. के तथा 0.97 करोड़ रू सरकारी अनुदान) भोश रह गया ।	शेष नहीं माना जाना चाहिए। ये राशियां प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क, नवीकरण शुल्क, प्रतिभूति जमा आदि के रूप में प्राप्त की गई है। आयिक कार्य विभाग, भारत सरकार ने इस राशि को डब्ल्यू.डी.आर.ए निधि के अन्तर्गत लोक लेखा में जमा करने की सलाह दी है। इसके लिए भांडागारण (विकास एवं विनियमन में संशोधन करना अपेक्षित है। अधिनियम में संशोधन प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्राप्तियां डब्ल्यू.डी.आर.ए निधि के अन्तर्गत लोक लेखा में हस्तंतरित की जा रही है।

सत्यमेव जयते

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

वेयरहाउसिंग कारोबार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडीआरए के साथ अपने वेयरहाउस का पंजीकरण कराएं

डब्ल्यूडीआरए द्वारा भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण और इ-एनडब्लूआर जारी करने की सुविधा है

- परेशानी–मुक्त एवं उपस्थित हुए बिना पोर्टल पर ऑन–लाइन भांडागार पंजीकरण
- केवल पंजीकृत वेयरहाउस ही इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद जारी कर सकते हैं
- शिकायत निवारण/विवाद समाधान हेतु तीव्र प्रणाली
- भांडागारपालों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण
- प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट समितियों/किसान उत्पादक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के भांडागारों के पंजीकरण के लिए आसान शर्तें
- डब्लूडीआरए मानकों और नियामक अनुपालनों के कारण पंजीकृत भांडागारों पर अधिक भरोसा

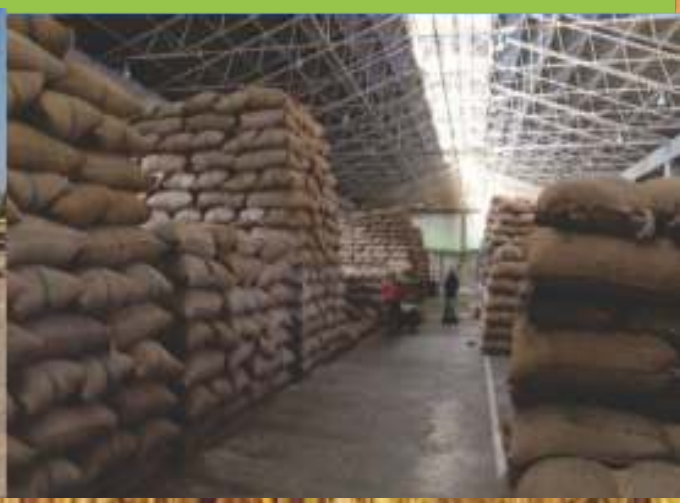

Warehousing Development and Regulatory Authority
4th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
Tel.: 011-49536496, Fax : 011-26515503, Website : www.wdra.gov.in